केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–434)

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - viii
प्रथम	अध्ययन परिचय	1–13
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	14–28
तृतीय	सर्वेक्षण परिणाम	29–68
चतुर्थ	कठिनाईयाँ एवं सुझाव	69–75
	परिशिष्ट I-VII	76–82

*****

उद्‌बोधन

जापान बैंक फॉर इन्टेरनेशनल कॉ–ऑपरेशन के वित्तीय सहयोग से बहुआयामी वानिकी, परियोजना "राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना" को क्रियान्वयन वर्ष 2003–04 से राज्य के 18 जिलों यथा अजमेर, अलवर, बांसवाडा, भीलवाड़ा, बूँदी, चित्तौडगढ, दौसा, डूँगरपुर, जयपुर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर व जैसलमेर में प्रारम्भ किया गया। योजनान्तर्गत मुख्यतः परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना (प्रथम), परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना (द्वितीय), अविकसित वनों को विस्थापित करना, पंचायत भूमि पर ईधन वृक्षारोपण, टिब्बा स्थिरीकरण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण की उत्पादकता में संवृद्धि तथा जैव विविधता संरक्षण में बायोलोजिक पार्क, इको टयूरिज्म के कार्य जनसहभागिता से करवाये गये हैं।

कार्यकारी विभाग से प्राप्त प्रलेखीय सूचनाओं, क्षेत्र में सम्पादित कार्यो का भौतिक अवलोकन एवं चयनित ग्राम के ग्रामवासियों व कार्यकारियों से साक्षात्कार उपरान्त प्राप्त विचारों एवं प्रतिक्रिया का विश्लेषणात्मक विवरण मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतिवेदन में योजनान्तर्गत सृजित परसम्पत्तियों का यथा स्थान विस्तृत विवेचन के साथ कार्यक्रम क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयों को रेखांकित कर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में सुझावों का समावेश भी किया गया है।

आशा है कि प्रतिवेदन में उल्लेखित व्यावहारिक सुझावों की पालना से परियोजना का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी हो सकेगा।

तिथि– 26 अगस्त, 2009
स्थान– जयपुर

(गुरजोत कौर)
प्रमुख शासन सचिव,
आयोजना विभाग

आमुख

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का जन–भागीदारी से क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2003–04 में 18 जिलों में प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत अप्रेल,2003 से माह मार्च,2006 तक 97900 हैक्टेयर वन भूमि में एवं 3500 रो. कि0मी0 में नहर किनारे पौधरोपण किया गया तथा फार्म फारेस्ट्री हेतु 119.89 लाख पौधे वितरित किये गये, 18 नर्सरी एवं 38 पौधशालाओं एवं 1814 जल संरचनाओं के निर्माण कार्य एवं दो बॉयोलोजिकल पार्क का निर्माण किया गया। जन–भागीदारी से वानिकी एवं जैव विविधता गतिविधियों द्वारा वन संवर्धन को बढ़ावा दिया गया।

परियोजना की उपयोगिता का आकलन करने हेतु साधारण न्यादर्श पद्धति के आधार पर चार जिलों यथा– उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर एवं दौसा का चयन किया गया। चार जिलों की 8 पंचायत समितियाँ एवं 19 ग्रामों का चयन कर परियोजना में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन, 110 लाभप्राप्तकर्ता एवं 47 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं से विचार–विमर्श तथा विभाग की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विश्लेषण कर अध्ययन परिणामों को प्रतिवेदन में समावेशित किया गया है। योजना के सफल क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को चिन्हित कर प्रतिवेदन में समावेश कर उसके निवारण हेतु सार्थक सुझाव दिये गये है।

आशा करता हूँ कि अध्ययन में दिये गये सुझाव कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

दिनांक : 26 अगस्त,2009
स्थान : जयपुर।

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना :

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह 23 डिग्री 30 अक्षांश और 30 डिग्री 11 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 29 अक्षांश ओर 78 डिग्री 17 पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हैं राजस्थान वन संसाधनों में अत्यधिक अभाव वाला राज्य है, (जिसके मात्र 9.49 प्रतिशत भू–भाग पर ही वन विद्यमान हैं) राज्य का अधिकांश पशुधन वनों पर निर्भर करता है। बेहताश बढ़ती जनसंख्या एवं पशुधन के कारण उत्पन्न जैविक दबाव के फलस्वरूप अल्प वन क्षेत्र स्थानीय लोगों की लगातार बढती वन उत्पादों की मांग पूरी करने में अपर्याप्त है।

राज्य में वानिकी विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के सफल अनुभवों के आधार पर जापान बैक फॉर इन्टरनेशनल कॉ–ऑपरेशन के वित्तीय सहयोग से प्रदेश में बहु आयामी वानिकी परियोजना "राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना " जनभागीदारी से वर्ष 2003–04 में क्रियान्वित की गयी । यह योजना प्रदेश के 18 जिलों यथा अजमेर, अलवर, बांसवाडा, भीलवाड़ा, बूँदी, चित्तौडगढ़, दौसा, डूँगरपुर, जयपुर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर,सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर में क्रियान्वित की गयी है परियोजना का क्रियान्वयन अरावली क्षेत्र में मरूस्थल प्रसार रोकना, जल एवं मृदा संरक्षण व परिस्थिति की पुनर्स्थापना, इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में आधारभूत ढांचे व आबादी के क्षेत्र को उडती हुई रेत से बचाना, जैव (वन सम्पत्ति व वन्य प्राणीय) विविधता एवं जीन पूल संरक्षण,ईधन, चारा, इमारती लकडी व अन्य लघु वन उपजों की उपलब्धता बढाना, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढाना एवं साझावन प्रबन्धन को संस्थागत स्वरूप प्रदान कर सशक्त बनाना इत्यादि उद्देश्यों को लेकर किया गया है।

II. अध्ययन की आवश्यकता :

प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन बाह्य सहायता परियोजना हेतु गठित राज्य स्तरीय स्टेन्डिग कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया गया है।

III अध्ययन के उद्देश्य :

राजस्थान वानिकी एवं बायोडाईर्वसिटी परियोजना के अध्ययन के निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया –

(i) परियोजना काल के निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध की गयी वास्तविक प्रगति की समीक्षा,
(ii) परियोजना के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति की समीक्षा करना,
(iii) वानिकी योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये रोजगार की समीक्षा करना,
(iv) जैव विविधता संरक्षण एवं जीन पूल संरक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना,
(v) परियेाजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की समीक्षा करना एवं सुझाव देना।

IV न्यादर्श :

जिलों को चार वर्ष की भौतिक प्रगति के आधार पर घटते हुए क्रम में जमाकर साधरण न्यायदर्श पद्धति के आधार पर चार जिलों उदयपुर, चित्तौडगढ़, सीकर, दौसा का चयन किया गया।

प्रत्येक चयनित जिलों में मण्डलवार सम्पादित कार्यो में से दो मण्ड़लों का चयन एक अधिकत्तम कार्यो वाला व दूसरा न्यूनतम कार्यो वाले मण्डल का चयन किया गया जिन जिलों में एक ही मण्डल है उसको चयनित माना गया।

चयनित वन मण्डल से दो ग्राम पंचायत का चयन अधिकत्तम व न्यूनतम कार्य प्रगति के आधार पर किया गया।

चयनित ग्राम पंचायत में कराये गये प्रत्येक कार्य के बारे में ग्रामवासियों के विचार प्राप्त कर पाँच–पाँच अनुसूचियाँ भरी गयी। जिस जिले में जैव विविधता के कार्य कराये गये। उनसे भी अनुसूची भरी गयी।

क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित क्षेत्र को तीन भागों में विभक्त कर प्रत्येक प्लाट में लगे पौधों की गणना कर भौतिक सत्यापन किया गया एवं पौधों की जीवित दर ज्ञात की गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त कल्याणकारी कार्य जैसे सिलाई, चिकित्सा शिविर इत्यादि के लाभार्थियों से भी अनुसूची भरी गई।

V संदर्भ वर्ष :

अध्ययन हेतु प्रलेख सूचना वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक रखा गया। लाभान्वितों के विचार सर्वेक्षण अवधि माह जुलाई 2008 से संबंधित है।

VI योजना में सम्मिलित मण्डलों व ग्रामों का विवरण :

योजना में राज्य के 18 जिलों व 32 मण्डलों एवं 1568 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। वन विभाग द्वारा 634 कार्य स्थलों एवं 75812 हैक्टर क्षेत्रफल व 1419 कलस्टरों में योजना की क्रियान्विति की गयी।

VII भौतिक प्रगति :

राज्य में योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक 97900 हैक्टर वन भूमि में पौध रोपण किया गया। इसके अतिरिक्त नहर किनारे 3500 रो0किलोमीटर में पौधरोपण किया गया । फार्म फोरेस्ट्री में 119.89 लाख पौधे वितरित किये गये। 18 नर्सरी स्थापित की गयी एवम् 38 पौध शालाओं का विकास किया गया, जल संरचनाओं के निर्माण कार्यो, के 1814 कार्य किये गये एवं 2 बायोलोजिकल पार्को का निर्माण कराया गया।

VIII वित्तीय प्रगति :

परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल आवंटित राशि 28775.00 लाख के विरूद्ध 27483.54 लाख व्यय किया गया जो 95.51 प्रतिशत है। व्यय राशि में से सबसे अधिक राशि 20619.90 (75.03 प्रतिशत)लाख वानिकी कार्य हेतु किया गया। जैव विविधता पर राशि 1619.38 लाख (5.89प्रतिशत) व्यय की गयी। शेष राशि 5244.26 लाख रूपये (19.08प्रतिशत) अन्य मदों यथा परियोजना प्रबन्धन कार्यालय उपकरण, वाहन, भवन, संचार प्रशिक्षण, अनुसन्धान, प्रबन्धन आदि पर व्यय किये गये।

IX पुनर्भरण हेतु भेजे गये क्लेमों का विवरण :

परियोजनान्र्तगत भारत सरकार को कुल आवंटित राशि 28775 लाख के विरूद्ध की गयी व्यय राशि 27483.54 लाख के विपरीत राशि 27180.59 लाख के क्लेम पुनर्भरण हेतु भेजे गये जिसके विरूद्ध राशि 27097.35 (99.69प्रतिशत) लाख पुनर्भरण के रूप में प्राप्त हुई। परियोजना वर्ष 2003–04 से 2006–07 में प्रतिवर्ष राशि क्रमशः 100. 00, 99.87, 99.70 एवं 99.36 प्रतिशत राशि प्राप्त होती रही।

X कार्य दिवस सृजन :

योजना क्रियान्वयन 2003–07 में राज्य स्तर से कुल 273.52 लाख मानव दिवस सृजन हुए, नियोजित किये गये श्रमिकों में से पुरूषों द्वारा 143.85 लाख एवं महिलाओं द्वारा 129.67 लाख कार्य दिवस सृजित किये गये। वर्ष 2003–04, 2004–05 में क्रमशः 68/– रूपये, 70/– रूपये की दर से मजदरी भुगतान किया गया। वर्ष 2005–06 में रूपये 73/– की दर से भुगतान किया गया। वर्ष 2006–07 में नियमानुसार 72/– रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया।इस पर विभाग का कहना है कि जुलाई 2004 से पूर्व मजदूरी दर 60/–रूपये थी। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित 19 ग्रामों में कराये गये आर.डी.एफ. प्रथम के 15 कार्यो में वर्ष 2005–07 में निर्धारित 73/– रूपये प्रतिदिन की दर के विरूद्ध 67/– रूपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया । इस प्रोजेक्ट में नियोजित मजदूरों को भुगतान की गयी मजदूरी दरों में निर्धारित मानदण्ड़ों के विरूद्ध भिन्नता पायी गयी । आगामी वर्षो में निर्धारित मजदूरी दर से वितरण सुनिश्चित किया जावें।

योजनान्तर्गत वृक्षारोपण से पूर्व भू–संरक्षण कार्यों के 1814 लक्ष्यों के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गयी। भू–संरक्षण कार्यो में मुख्य रूप से गेबियन स्ट्रेक्चर, परकोलेशन टैक सिम्पल, पी.टी.विथ पिचिंग आन अम्बेकमेन्ट, ड्राप स्पील वे, सिल्ट डिटेन्शन स्ट्रेक्चर, एनिकट, अर्थन ई.एम.बी. इत्यादि के कार्य कराये गये। योजना में सम्मिलित जिलों में से जयपुर व उदयपुर में सर्वाधिक नमी संरक्षण के कार्य करवाये गये । मृदा एवं नमी के कार्यो हेतु आवंटित राशि 1171.940 लाख के विरूद्ध राशि 1151.289 लाख व्यय की गई जो 98.24 प्रतिशत है। नमी संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जावे चूंकि राज्य में वर्षा की कमी रहती है एवम् पौधों को टैंक आदि से पानी पिलाया जाना भी सीमित ही रहता हैं।

XI प्रबन्धकीय :

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित मानदण्डानुसार वन विकास हेतु समिति गठित कर किया गया। योजना में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाया गया। सूक्ष्म योजना ग्रामीण सहभागिता आकंलन तकनीकी के आधार पर तैयार की गयी। चयनित जिलों में ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति, महिला उप समिति गठित की गयी। विभागीय कार्य ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति के द्वारा सम्पादित किये गये। वृक्षारोपण में प्रजाति चयन, सुरक्षा तथा ग्राम विकास में सहभागिता एवं जैव विविधता संरक्षण में सामुदायिक कार्य, जल मृदा के कार्य कराये गये।

क्षेत्र में योजना क्रियान्वयन से पूर्व वन विभाग व ग्राम वन सुरक्षा प्रबन्धन समिति के मध्य सहमति पत्र (MOU) तैयार किया। योजना संबंधित उपवन संरक्षक/मण्ड़ल वन अधिकारी से सूक्ष्म योजना अनुमोदित करायी जाती है। योजनान्तर्गत ग्राम का माइक्रोप्लान बनाया गया। जिसमें महिलाओं के विचारों व सुझावों का समावेश किया

गया। गैर सरकारी संगठनों को भी योजना के क्रियान्वयन में भागीदार बनाया गया व समूह गठन में सहयोग प्राप्त किया गया। योजनानुसार परियोजना के कार्य सम्पादित कराने में जनभागीदारी सुनिश्चित की गयी है। जनभागीदारी से ही वन विकास जैसे कठिन कार्य को समय पर पूर्ण करना सम्भव हो पाया है। अतः जन सहभागिता को उत्तरोत्तर प्रोत्साहित किया जाना वन विकास के हित में रहेगा।

चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो से ग्रामवासियों पर आर्थिक, सामाजिक, रहन सहन, रोजगार के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, पर्याप्त धामण घास उपलब्ध हुई, सामाजिक क्षेत्र में समूह में कार्य करने को बढ़ावा मिला, समीपस्था बढ़ी। रहन सहन में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ। चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो से रोजगार उपलब्धता से स्थानीय श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ एवं आय में वृद्धि हुई।

चयनित क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण कार्यो से मरू प्रसार एवं रेत उडने में रोक लगी। जैव विविधता से प्राकृतिक पौधों की वृद्धि हुई जिससे जंगली जानवरों को सुविधाजनक आश्रय स्थल प्राप्त हुआ। क्षेत्र के लोगों को घास, लकड़ी, ईधन, लघु वन ऊपज प्राप्त होने की सम्भावना बढ़ी।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना के तहत आर.डी.एफ प्रथम, द्वितीय व पी.ई.ओ., वृक्ष विहिन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण, पंचायत (सामुदायिक) लैण्ड में चुरैल, आंवला, बैर, बांस, खैर, सीताफल,लसोडा,बबूल, बांस के कल्पस, खेजडी, इजरायली बबूल की किस्म लगायी गयी। चयनित 19ग्रामों में आर.डी.एफ प्रथम व द्वितीय, आर.बी. एच., पी.ई.ओ, पंचायत भूमि वृक्षारोपण किया गया।

XII पौध रोपण की जीवित दरः

(i) सर्वेक्षण में परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना,प्रथम में मानदण्डानुसार 400 पौधे प्रति हैक्टर के अनुसार 3.12 लाख पौधे लगाये जाने चाहिए थे जिसके विरूद्ध 3.05 लाख पौधे लगाये गये जो कि 7000 पौधे (2.25 प्रतिशत) 16 स्थलों पर कम लगाये गये। सर्वेक्षण के दौरान जीवित दर 73.26 प्रतिशत पायी गयी।

(ii) परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना, द्वितीय में मानदण्डानुसार 88000 पौधे लगाये गये जो कि 9 कार्य स्थलों पर रोपित किये गये थे। सर्वेक्षण के दौरान पौधों की जीवित दर 94.71 प्रतिशत पायी गयी।

(iii) वृक्ष विहिन पहाडियों पर वृक्षारोपण के एक स्थल पर वृक्षारोपण में मानदण्डानुसार 100 हैक्टर में 60 हजार पौधों 600 प्रति हैक्टर के आधार पर लगाये गये। जिसका सर्वेक्षण के समय जीवित दर 60.50 प्रतिशत थी।

(iv) प्राकृतिक वनों, वृक्षारोपण एवं संवर्धन कार्य में मानदण्डानुसार 30,000 बीड़ के विरूद्ध 35000 बीड अर्थात 5000 बीड अधिक लगाई गयी जो 16.67 प्रतिशत अधिक बीड़ लगाई गई है। इसकी सर्वेक्षण के दौरान शत प्रतिशत जीवित दर थी।

(v) पंचायत (सामुदायिक) भूमि पर किये गये वृक्षारोपण में चयनित 29हैक्टर में 24 हजार पौधे लगाये गये जो मानदण्डानुसार 23200, से 800 अधिक (3.45 प्रतिशत) है। सर्वेक्षण में इस मद के जीवित दर 84.70 प्रतिशत थी। पौधों में मृत्यु दर का कारण दीमक का प्रकोप व समय पर पर्याप्त पानी नहीं पिलाना जाना पाया गया। प्रोजेक्ट के अनुसार पानी पिलाना एवम् पौधरोपण से पूर्व मृदा उपचार सुनिश्चित किया जावें ताकि पौधों की जीवित दर अधिक हो सके।

XIII प्रति पौध लागत राशि आकलन :

चयनित कार्य स्थलों पर 5.12 लाख पौधे रोपित किये गये जिन पर राशि 281.974 लाख व्यय की गयी। इससे ज्ञात हुआ कि पौधरोपण के समय प्रति पौध लागत राशि 55.07/—रूपये थी जो कि सर्वेक्षण (जुलाई,08)के समय 3.99 लाख पौधे जीवित पाये जाने के फलस्वरूप प्रति पौधे लागत बढ़कर राशि 70.67/— रूपये हो गई यह राशि 3—4 वर्ष की अवधि में बढ़ कर 28.33 प्रतिशत हो गयी। यह तथ्य बताता है कि पौधों की देखभाल व सुरक्षा की कमी से पौधों में मृत्यु दर बढ़ गयी। यह स्थिति विभाग को सजग रहने की ओर संकेत देती है कि परियोजना का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एहतियाती कदम निरन्तर उठाते रहने होंगे।

XIV कारपस फण्ड स्थापना :

कार्य स्थलों गाँव में से गठित समितियों द्वारा कारपस फण्ड स्थापित किये गये हैं। इस फण्ड से विभिन्न दक्षता एवं प्रशिक्षण कार्यानुसार था आधारभूत ढाँचा, पेयजल आदि के कार्य करवाये जाते है। शमशान पर टीनशैड से छाया उपलब्ध हुई, राहगीरों व चरवाहों को जल प्राप्त हुआ एवं आय हुई। ग्राम में गठित समितियों द्वारा सहयोग कर कार्य पूर्ण कराया गया। वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति द्वारा वर्ष में तीन बार बैठकें व वर्ष में दो बार ग्राम सभाऐं आयोजित की जाती है। स्थल का चयन मानदण्ड़ानुसार व समिति की राय से हुआ। कार्य स्थलों पर वृक्षारोपण को मवेशियों से बचाने के लिए चौकीदार की नियुक्ति हो रखी है। लेकिन वृक्षारोपण की सुरक्षा का स्तर बनाये रखने की आवश्यकता है ताकि रोपित पौधों का विकास सुनिश्चित हो सके।

XV लाभप्राप्तकर्ता स्तर की प्रतिक्रिया :

वृक्षारोपण से पूर्व पानी रोकने हेतु चैक डैम, वी डिन्च, ट्रैन्च बनवाने से मिट्टी का कटाव रूका, पानी भराव हुआ। वृक्षारोपण से पर्यावरण में सुधार हरियाली बढ़ने से हुआ, वर्षा होने की सम्भावना बढ़ी। ईधन, लकड़ी, चारा, लघुवन, उपज उपलब्ध हुआ क्षेत्र में 25 से 75 प्रतिशत तक रोजगार प्राप्त हुआ, वन विभाग, परिस्थितिकीय व विकास समिति द्वारा कार्य कराये गये, कराये गये कार्यो से जल की समुचित मात्रा में वृद्धि हुई। कार्य से पूर्व सर्वे कराया गया, ग्राम वन सुरक्षा प्रबन्धन समिति का गठन किया गया, भू–संरक्षण कार्य, वृक्षारोपण पश्चात् समय–समय पर निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण पश्चात वन विभाग द्वारा देखभाल से अवैध लकडियों के कटने पर रोक लगी। वृक्षारोपण की बाढ़ बन्दी की हुई है। कराये गये कार्यो से कटाव रूका, पर्यावरण में सुधार हुआ ईधन भविष्य में ईधन मिलने में वृद्धि हुई, रोजगार प्राप्त हुआ, आय बढी, समन्वय बढ़ा, बंजर भूमि उपजाऊ बनी, छाया प्राप्त हुई, जीवों में वृद्धि हुई, पलायन रूका, चारा प्राप्त हुआ आदि सामुदायिक कार्यों से लाभ हुआ।

XVI अधिकारी/गैर अधिकारी स्तर की प्रतिक्रिया :

योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मानदण्डानुसार जन सहभागिता के आधार पर निर्धारित मानदण्ड़ानुसार किया गया। ग्राम का माईक्रो प्लान तैयार किया गया सामुदायिक भवन/वन भूमि का चयन निर्धारित मानदण्डानुसार किया गया है। योजना के अन्तर्गत वानिकी विकास, भू–संरक्षण, जल संरक्षण के कार्य कराये गये। पौध रोपण से पूर्व नर्सरी तैयार की गई है। पौधों का निरीक्षण कर उसमें सुधार किया गया। राशि वन मण्ड़लों के माध्यम से कार्यकारी एजेन्सी को निर्धारित प्रक्रियानुसार उपलब्ध करायी जाती है।

वृक्षारोपण से क्रमशः हरियाली विकास, रोजगार, लघु वन उपज, भू–संरक्षण, जन सहभागिता, ग्रामवासियों पर प्रभाव, कृषि क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में, जैव विविधता, घास प्राप्ति में प्रभाव पड़ा है।

साझा प्रबन्धन को सुदृढ करने वाली गतिविधियों के अन्तर्गत चयनित क्षेत्र में समूह गठित किये गये प्रशिक्षण दिया गया। कटिंग, सिलाई करना सिखाया गया। पेयजल व्यवस्था सृजित की गयी। पानी की सुविधा सृजित होने से चयनित ग्रामों में शुद्ध पीने का पानी प्राप्त हुआ।

XVII **जैव विविधता :**

जैव विविधता के अन्तर्गत बायोलोजिकल पार्क का चयनित जिला उदयपुर में विकास किया गया जिसमें क्रमशः यथा स्थान संरक्षण, परिभ्रांषित आवास स्थल व इको रेस्टोरेशन, बाह्य स्थान संरक्षण, जैविक उद्यान के कार्य कराये गये।

परिस्थिति की पर्यटन केन्द्र विकसित किये गये, कम्पिंग साईट की सुरक्षा हेतु चैन लिंक फैन्सिंग लगवाई गयी, टैक विकास, न्यू पाईन्ट विकास के कार्य हुए। पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधा विकसित कर इको विकास समिति के माध्यम से इको पर्यटन केम्पिंग साईट का संचालन किया गया, स्वंय सहायता समूह बना कर आय सृजन गतिविधियों को इको टयूरिज्म कार्य से जोड़ा गया। ई.डी.सी. व एस.एच. जी.के खाते खोले गये। इको कैम्पिंग से हो रही आय को खाते में जमा करायी जा रही है। कराये गये जैव विविधता के कार्यों से जंगली जानवरों को संरक्षण मिला, पीने का पानी प्राप्त हुआ, वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई, पर्यटकों की आवक बढ़ी एवं आय में वृद्धि हुई।

चयनित जिला चित्तौडगढ़ में सीता माता क्षेत्र में सुधार यथा स्थान संरक्षण में चैक डैम,एनीकट, बाढ बन्दी, लोहे का गेट, वाटर पाईन्ट, निरीक्षण पथ/कच्ची सड़क का निर्माण हुआ है। परिभ्रांषित आवास स्थल व इको रेस्टोरेशन में आवश्यक आधार भूत सुविधाओं का विकास हुआ, जैविक उद्यानों का विकास, वाच टॉवर का निर्माण, आगन्तुकों की सुविधा हेतु पक्के चबूतरे का निर्माण सीतामाता क्षेत्र में कराये गये कार्यों से पानी उपलब्ध हुआ, जंगली जानवरों की उपलब्धता बढ़ी व उड़न गिलहरी की सुविधा विकसित हुई है।

XVIII सारांशतःयोजनान्तर्गत जिलों में पौधरोपण, जल संरक्षण, इको टयूरिजम, बायोडाईवर्सिटी, ग्राम सहभागिता जन चेतना, कर्षण कार्य तथा जन चेतना तथा ग्राम स्तर पर स्थानीय रोजगार में वृद्धि, हुई पशुओं का चारा, ईधन ,धामण घास की उपलब्धता में वृद्धि हुई हैं। परियोजना कार्यो की सुरक्षा व प्रबन्ध को विभाग की नियमित योजनाओं के साथ जोड़ा जावें। वन सुरक्षा प्रबन्धन समितियों की भागीदारी दीर्घकालिक हो, इन्हें कार्यो के आधार पर वार्षिक प्रोत्साहन राशि पर भी विचार किया जावें। वृक्षारोपण के प्रति चेतना शिविर नियमित रूप से आयोजित कराये जावें। प्रोजेक्ट की शेष अवधि में मृत पौधों की जगह रिप्लेसमेन्ट/बीजारोपण कराया जावे। यद्यपि वृक्षारोपण चुनौती भरा कार्य है लेकिन जनहित भागीदारी के प्रयास से प्रोजेक्ट के वांछित लक्ष्य अर्जित किया जाना संभव है। पशुओं से पौधों की क्षति होना, अवैध कटाई की रोक जनसहभागिता से ही सुनिश्चित हो सकती है। कारपस फण्ड को ग्रामीणों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कौशल विकास, आधारभूत ढांचा सृजन व वनों की सुरक्षा एवं संबंधित के लिए उपयोग किया जाना नवाचार कदम है इसे प्रोत्साहित किया जाना हितकर साबित होगा।

अध्याय प्रथम

अध्ययन परिचय

1.1 **प्रस्तावना** :

1.1.1 राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह 23 डिग्री 30 अक्षांश और 30 डिग्री 11 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 29 अक्षांश और 78 डिग्री 17 पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। राजस्थान वन संसाधनों में अत्यधिक अभाव वाला राज्य है, जिसके मात्र 9.49 प्रतिशत भू–भाग पर ही वन विद्यमान है। राज्य का अधिकांश पशुधन वनों पर निर्भर करता है। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या एवं पशुधन के कारण उत्पन्न जैविक दबाव के फलस्वरूप अल्प वन क्षेत्र स्थानीय लोगों की लगातार बढ़ती वन उत्पादों की मांग पूरी करने में अपर्याप्त है। प्रदेश में वानिकी विकास मुख्यतः निम्नांकित कारण से बाधित हुआ है।

(i) योजना क्रियान्वयन/निर्माण में उपेक्षा
(ii) वन उत्पादों पर निर्भर लाभान्वित समुदाय को समुचित महत्व एवं भागीदारी प्रदान न करना।

1.1.2 राज्य में वन विकास गतिविधियों को समुचित बढ़ावा बाह्य पोषित परियोजनाओं के शुभारम्भ से हुआ। अस्सी के दशक में विश्व बैंक एवं यू.एस.एड की सहायता से राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना 1985–93 की अवधि में क्रियान्वित की गयी। तत्पश्चात् जापान की ओ.ई.सी.एफ. से वृहद स्तर पर आर्थिक सहायता प्राप्त हुई जिससे प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई।

(i) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में वानिकी का विकास,
(ii) अरावली वृक्षारोपण परियोजना, एवं
(iii) वानिकी विकास परियोजना।

1.1.3 विगत वर्षों में वानिकी विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के सफल अनुभवों के आधार पर जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कॉ–ऑपरेशन के वित्तीय सहयोग से प्रदेश में बहुआयामी वानिकी परियोजना ''राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना'' का जन भागीदारी से क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ की गयी।

1.2 **परियोजना का कार्यक्षेत्र** :

1.2.1 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना राज्य के निम्नांकित 18 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है :–

1.2.2 अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर।

1.3 **परियोजना की अवधि** :

1.3.1 परियोजना वर्ष 2003–04 में प्रारम्भ की गई व परियोजना वर्ष 2008–09 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।(परियोजना संबंधी राशि का अन्तिम वितरण 31 जुलाई, 2010 तक रहेगा)

1.4 **परियोजना के उद्धेश्य** :

(i) अरावली क्षेत्र में मरूस्थल प्रसार रोकना, जल एवं मृदा संरक्षण व परिस्थिति की पुनर्स्थापना
(ii) इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में आधारभूत ढाँचे व आबादी के क्षेत्र को उड़ती हुई रेत से बचाना
(iii) जैव (वानस्पतिक व वन्य प्राणीय) विविधता एवं जीन पूल संरक्षण
(iv) ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी व अन्य लघु वन उपजों की उपलब्धता बढ़ाना
(v) ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना
(vi) साझा वन प्रबन्धन को संस्थागत स्वरूप प्रदान कर सशक्त बनाना।

1.5 **परियोजना रणनीति** :

1.5.1 परियोजना के उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न प्रयास किये गये।

(i) वन एवं वन्य जीव संरक्षण रणनीति
(ii) वन विकास रणनीति
(iii) वन प्रबन्धन रणनीति एवं
(iv) तकनीकी रणनीति

1.6 **वन एवं वन्य जीव संरक्षण रणनीति** : (Degraded Habitarutes)

(i) आवास सुधार एवं संरक्षण कार्य करना जिसमें परिभ्रांषित को पुनर्स्थापित किया जाना भी सम्मिलित है।
(ii) प्राकृतिक एवं कोपिस पुनरूत्पादन में कर्षण कार्य (Cultural operations) करना।
(iii) हैबिटाट्रस में रिक्त स्थानों में स्थानीय वृक्ष प्रजातियों का रोपण कर उनके स्टाक में सुधार कर उनकी भार वहन क्षमता में (Carrying Capacity) वृद्धि करना।

(iv) यथास्थान (In-Situ) मृदा व जल संरक्षण कार्य करवाना
(v) क्षेत्र की सुरक्षा करना
(vi) खरपतवार को उखाड़ फेंकना
(vii) ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति पारिस्थितिकी विकास समिति (EDCS), पंचायती राज संस्थाओं, गैर राजकीय संस्थाओं व स्थानीय लोगों के सहयोग से वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण एवं सवंर्धन सुरक्षा करना।
(viii) जैव विविधता संरक्षण संबंधी कार्य।

1.7 **वन विकास रणनीति** :

1.7.1 समस्त विकास एवं अन्य कार्य जलग्रहण/कलस्टर के आधार पर सम्पादित करना। यथासम्भव 200–250 है. क्षेत्रफल के कलस्टर का चयन कर प्रतिवर्ष 50–50 है. क्षेत्र में कार्य करवाना।

1.7.2 पडत व बंजड भूमि पर वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास कर उनको पुनर्स्थापित करना ताकि उनको स्थाई रूप से वनस्पति आच्छादित किया जा सके।

1.7.3 परिभ्रांषित वन/गैर वन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित कर उनकी उत्पादकता के अधिकतम स्तर तक पहुँचाना।

1.7.4 समिति गठित कर समिति के माध्यम से जनता वन योजना के तहत कार्य करवाना।

1.7.5 सूक्ष्म नियोजन (Micro Planning) के माध्यम से स्थानीय लोगों को विकास कार्यों में भागीदार बनाना।

1.7.6 सूक्ष्म योजना तैयार करने के लिए ग्रामीण सहभागिता आकलन (Participatory Rural Approach) तकनीक अपनाना।

1.8 **प्रबन्धकीय रणनीति : (Management Strategy)**

1.8.1 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों का गठन करना।

1.8.2 महिला उप समितियों का गठन करना

1.8.3 वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का सतत्ता के आधार पर (Sustainable Basis) साझा वन प्रबन्धन के माध्यम से प्रबन्धन करना।

1.9 साझा वन प्रबन्धन के अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियाँ :

1.9.1 क्षेत्र विशेष योजना :

- ग्राम या सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र (Micro Watershed) को इकाई मानते हुए क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार माइक्रोप्लानिंग करना।

- क्लोजर के प्रकार, अवधि, प्रजातियों का चयन एवं घास व चारे को काटकर ले जाने की पद्धति के संबंध में स्थानीय लोगों के विचार व सहमति प्राप्त करना।

- ग्रामीण/स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं का आकलन PRA के माध्यम से करना, प्रारूप सूक्ष्म योजना के संबंध में VFPMC की जनरल बॉडी मीटिंग में चर्चा करना तथा VFPMC सदस्यों से प्राप्त सुझावों को माइक्रो प्लॉन में सम्मिलित करना।

- प्रारूप सूक्ष्म योजना के संबंध में गैर राजकीय संस्थाओं व सलाहकारों से विचार विमर्श करना व उनके द्वारा दिये गये सुझावों का माइक्रोप्लान में समावेश करना।

- अन्तिम सूक्ष्म योजना को संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी स्तर से अनुमोदित करना।

- सूक्ष्म योजना क्रियान्वयन से पूर्व वन विभाग व VFPMC के मध्य सहमति पत्र MOU हस्ताक्षरित करना।

- स्थानीय लोगों को परियोजना कार्यों के लाभों से ग्राम स्तर पर बैठकें आयोजित कर अवगत कराना तथा सामूहिक विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से समिति के उप नियम तैयार करना।

- VFPMC, गैर राजकीय संस्था एवं महिलाओं से विचार विमर्श कर तकनीकी मॉडल, स्थानीय भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण में लगायी जाने वाली देशी प्रजातियों का सूक्ष्म नियोजन में समावेश कर इसे उप वन संरक्षक स्तर से अनुमोदित करना।

- स्थानीय पारस्परिक प्रथा जो संरक्षण हेतु अनुकूल हो उन्हें पुनर्जीवित कर वर्तमान अवस्था में लागू किया जावे।

1.9.2 **महिलाओं की भागीदारी** :

- माइक्रोप्लान तैयार करते समय महिलाओं से विचार विमर्श करना व उनसे प्राप्त सुझावों/विचारों का इसमें समावेश करना।

- महिला समूह को परियोजना कार्यों व उससे होने वाले लाभों की जानकारी देना।

- वृक्षारोपण कार्यों हेतु प्रजातियों के चयन, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादो एवं उनके उपयोग व विदोहन की विधि के बारे में उनकी राय जानकर माइक्रोप्लान में सम्मिलित करना।

- वन आधारित उद्योगों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना।

1.9.3 **गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी** :

- वृक्षारोपण एवं साझा वन प्रबन्धित क्षेत्रों में होने वाले लाभों को समान रूप से वितरण में सहायता करना।

- वन विभाग व आम जनता के बीच की दूरी समाप्त करना।

- साझा वन प्रबन्धन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।

- सूक्ष्म नियोजन तैयार करने में वन विभाग का सहयोग करना।

- VFPMC की बैठकें, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने में वन विभाग को सहयोग करना।

- वृक्षारोपण एवं साझा वन प्रबन्धित क्षेत्रों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन में सहयोग करना।

- विवादों के निपटारे में विभाग को सहयोग करना।

1.10 **तकनीकी रणनीति :**

1.10.1 **स्थल चयन** :

- कार्य स्थल के चयन के समय प्राथमिकता प्रदान करने के लिए निम्नांकित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।
- वृक्षारोपण स्थल का चयन समूह पद्धति (Cluster Approach) को ध्यान में रखकर करना।
- 200–250 हैक्टर क्षेत्र के कलस्टर का चयन कर प्रतिवर्ष उसमें से 50–50 हैक्टर क्षेत्र में कार्य कराना।
- कलस्टर चयन हेतु ग्रामीण, आदिवासी व पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देना।
- ऐसे क्षेत्र जहाँ ग्रामीण सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियाँ व स्थानीय लोग सक्रिय व प्रेरित हैं, उसी में कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिये जावे।
- जलवायु, भू–भाग की स्थिति एवं मृदा के प्रकार व गहराई को देखते हुए उपयुक्त क्षमता वाले क्षेत्रों को चयन में प्राथमिकता दिया जाना।
- टिकाऊ विकास को ध्यान में रखकर गैर काष्ठ वन उपज (लघु वन उपज) का चयन करना।

1.11 **जैव विविधता संरक्षण : (Bio Diversity Conservation)**

1.11.1 प्रदेश में लगभग 2500 पेड़ पौधे, 450 पक्षी, 50 स्तनधारी, 20 रैंगने वाले जीवों व 14 उभयचारियों की प्रजातियाँ पायी जाती है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में तितलियाँ, जन्तु व अनगिनत सूक्ष्म जीव व पौधे पाये जाते हैं। बहुमूल्य धरोहर के रूप में हमें विरासत में मिली इस प्राकृतिक जैव विविधता के संरक्षण के लिये परियोजना अन्तर्गत विभिन्न कार्य करवाये गये ताकि एक तरफ जीव विविधता का संरक्षण हो सके एवं दूसरी तरफ लुप्त प्रायः प्रजातियों के जीवों की संख्या में वृद्धि हो सके।

1.12 **जैव विविधता के कार्य** :

1.12.1 **यथास्थान संरक्षण** : (Insitu Conservation)

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करवाये :–

(i) जल संरक्षण उपाय (Moisture Conservation Measures)

(ii) संरक्षित क्षेत्रों का सुधार, परिभ्रांषित आवास स्थल का इको रेस्टोरेशन (Inprovement of Protected area)

1.12.2 बाह्य स्थान संरक्षण (Ex-situ conservation)

1.13 पारिस्थितिकीय पर्यटन : (Eco Tourism)

1.13.1 राजस्थान में पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग है एवं प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व के स्थलों, स्मारकों, किलों, हवेलियों, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यों एवं अन्य मनोहारी स्थलों पर भ्रमण हेतु आते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक वन्य प्राणियों एवं सुन्दर सुरम्य प्राकृतिक वनों का आनन्द लेने के लिए अभयारण्यों एवं संरक्षित क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं। विगत कुछ समय से परिस्थितिकीय पर्यटन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों व वनों में परिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देने की विपुल सम्भावनाएँ है। प्रदेश में दो बाघ परियोजनाएँ, विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, 25 अभयारण्य हैं। जहाँ देशी विदेशी पर्यटकों एवं वन तथा वन्य जीव प्रेमियों के पर्यटन हेतु प्रचुर अवसर व सम्भावनाऐं हैं। राजस्थान मरूस्थलीय वनस्पति एवं वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों का पूरे विश्व में अलग स्थान हैं। परिस्थितिकीय पर्यटन का मुख्य उद्धेश्य लोगों को प्रकृति के नजदीक व साथ रहने के अवसर प्रदान करना है ताकि वे सुन्दर, प्राकृतिक छटा, वन एवं वन्य जीवों के सुखद सामीप्य को अनुभव कर सकें व उसका आनन्द उठा सकें तथा उनमें पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता व रूचि पैदा हो सके। परिस्थितिकीय पर्यटन का उद्धेश्य लोगों को प्रकृति के नजदीक लाना है।

1.13.2 इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये गये :–

(i) केम्पिंग व ट्रेकिंग की पोटेन्शियल साइट्स का सर्वेक्षण
(ii) कैम्पिंग स्थलों का संचालन
(iii) साईन बोर्ड
(iv) प्रचार

1.14 इको ट्यूरिज्म कोष : (Eco Tourism Fund)

1.14.1 नाहरगढ़ व सज्जनगढ़ जैविक उद्यानों तथा परिस्थितिकीय पर्यटन स्थलों के सतत् स्वपोषणीय संधारण के लिए आवश्यक है कि इन स्थलों पर पर्यटकों से प्राप्त शुल्क को उपरोक्त स्थलों के रखरखाव व संधारण पर व्यय किया जावे। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों में शुल्क के रूप में प्रभारित राशि में से 75 प्रतिशत राशि इको–डवलपमेन्ट सरचार्ज के रूप में ली जाती है तथा यह राशि राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के रखरखाव के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इसी आधार पर इको ट्यूरिज्म कोष की स्थापना की गयी। जिसमें इको ट्यूरिज्म स्थलों व जैविक उद्यानों में शुल्क के रूप में प्रभारित राशि को मण्डल स्तर पर स्थापित इको ट्यूरिज्म कोष में जमा कराया गया। इस कोष में जमा राशि का प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर डिमान्ड ड्राफ्ट बनाकर मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन जीव प्रतिपालक द्वारा परियोजना प्रमुख को भिजवाया जो इसको मुख्यालय स्तर पर सृजित इको ट्यूरिज्म कोष में जमा करवाया तथा आवश्यकतानुसार अगले वित्तीय वर्ष में इस कोष से राशि इको ट्यूरिज्म स्थलों के संधारण हेतु आवंटित की गयी।

1.15 **साझा वन प्रबन्ध को सुदृढ़ बनाने वाली गतिविधियाँ** :

1.15.1 परियोजनान्तर्गत निम्नलिखित जनहित कार्य कराये जायेंगे।

1. **कल्याणकारी गतिविधियाँ :**

माइक्रोप्लान तैयार करते समय दूरस्थ वन/आदिवासी क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के स्थानीय लोगों की गैर वानिकी सामाजिक जरूरतों/समस्याओं का आकलन/पहचान करना,

स्थानीय लोगों एवं महिलाओं से विचार विमर्श कर क्षेत्र की आवश्यकतानुसार जनहित के कार्य करवाने हेतु प्राथमिकता निर्धारण करना,

राशि की उपलब्धतानुसार निम्न कार्य करवाये जावें :–

पेयजल व्यवस्था

हैण्डपम्प खुदवाना
कुआं खुदवाना
कुआं गहरा करवाना
ट्यूबवैल/नलकूप खुदवाना
जलाशय का निर्माण
गोवई नाडी/तालाब का निर्माण
एनीकट निर्माण
स्वास्थ्य व स्वच्छता
मेडीकल कैम्प लगाना
जल निकासी व्यवस्था विकसित करना/सुधार करना
सामुदायिक शौचालयों का निर्माण

पशुपालन

पशु नस्ल सुधार कार्य
पशुओं के पानी पीने हेतु खेलियाँ निर्माण
पशु देखभाल कैम्प

सड़क निर्माण/सुधार कार्य

सम्पर्क (एप्रोच) सड़क का निर्माण
गांव की सम्पर्क सड़कों का निर्माण
पुलिया, कलवर्ट निर्माण करवाना

सामुदायिक कार्य

यात्री प्रतीक्षालय निर्माण
चौपाल/चबूतरा निर्माण

2. **आय सृजित करने वाली गतिविधियाँ** : (**Income Generating Activities**)

ग्रामीण आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकता व कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों को आय सृजन करने वाली गतिविधियाँ :–

दक्षता बढ़ाना : (**Efficiancy Increase**)

सिलाई प्रशिक्षण
दाई प्रशिक्षण
कढ़ाई/बुनाई प्रशिक्षण

1.16 **लघु वन उपज : (Non Timber Forest Products)**
खाद्य सामग्री प्रोसेसिंग : (Timber)
लिफ्ट सिंचाई : (Lift Irrigation)

1.16.1 आय सृजन करने वाली गतिविधियाँ स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके माध्यम से कराई जावेगी। प्रत्येक वन सुरक्षा समिति के स्वयं सहायता समूह को परियोजना अवधि में 80,000/– रूपये की राशि इस गतिविधि हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। यह राशि वन सुरक्षा समिति के माध्यम से विभाग उपलब्ध कराता है। सामान्यतः यह राशि 4 सहायता समूहों के लिए पर्याप्त है। अर्थात एक समूह को 20,000/– की राशि उपलब्ध होती है। दक्षता प्रशिक्षणों पर किये गये व्यय के अलावा व्यापार या अन्य गतिविधी शुरू करने हेतु शेष राशि उपलब्ध कराई जाती है। जिसे स्वयं सहायता समूह अपनी आय से वापस जमा कराता है। वन सुरक्षा समिति राशि वापस जमा होने पर नये स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराती है।

1.16.2 उपरोक्त के अतिरिक्त भी ग्रामीणों से विचार विमर्श व माईक्रोप्लान के आधार पर ढाँचागत सुधार के लिए जनहित की सामुदायिक गतिविधियां ग्रामों में करवाया जाना।

1.16.3 साझा वन प्रबन्धन को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियों के लिए प्रत्येक VFPMC (प्रत्येक गांव हेतु) के लिए रूपये 1,50,000 की राशि उपलब्ध करायी जावेगी। इस राशि का उपयोग परियोजना के अन्तर्गत साझा वन प्रबन्धन को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियों (JFMCA) के सृजन पर किया जाता है।

1.16.4 परियोजना के अन्तर्गत एक कॉरपस कोष (Corpus Fund) का सृजन प्रत्येक वन मण्डल स्तर पर किया जाता है। जिससे JFMCAS के लिए उपलब्ध राशि रूपये 1,00,000 को जमा करवाया जाता है। परियोजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों के परियोजना अवधि समाप्ति उपरान्त आगामी वर्षों में संधारण हेतु कोष की राशि पर सृजित ब्याज का उपयोग किया जाता है।

1.16.5 साझा वन प्रबन्धन को सुदृढ़ करने वाले कार्यों को सम्पादित करने के लिए ग्राम समुदाय से श्रम अथवा राशि के रूप में अंशदान देने के लिए लागत राशि का कम से कम 10 प्रतिशत अंशदान प्राप्त किया जाता है जो कि स्वैच्छिक श्रम के रूप या नकद होता है।

1.16.6 सृजित सम्पत्तियों का संधारण स्थानीय समुदाय (VFPMC) के द्वारा कारपस कोष व जन सहयोग से किया जाता है।

1.17 **अध्ययन की आवश्यकता** :

1.17.1 इस परियोजना का मूल्यांकन अध्ययन बाह्य सहायता परियोजना हेतु गठित राज्य स्तरीय स्टेन्डिग कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इस विभाग द्वारा किया गया।

1.18. **अध्ययन के उद्वेश्य** :

1.18.1 राजस्थान वानिकी एवं बायोडाईर्वसिटी परियोजना के अध्ययन हेतु निम्न उद्वेश्य निर्धारित किये गये।

(i) परियोजना काल के निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध की गयी वास्तविक प्रगति की समीक्षा।
(ii) परियोजना के निहित उद्वेश्यों की प्राप्ति की समीक्षा करना
(iii) वानिकी योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये रोजगार की समीक्षा करना
(iv) जैव विविधता संरक्षण एवं जीन पूल संरक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना।
(v) परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों की समीक्षा करना एवं सुझाव देना।

1.19 **न्यादर्श** :

1.19.1 प्रथम स्तर पर योजनान्तर्गत चार वर्ष की भौतिक प्रगति के आधार पर जिलों को घटते हुऐ क्रम में जमाकर साधारण न्यादर्श पद्धति के आधार पर चार जिलों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, दौसा का चयन किया गया। चयनित जिलों में मण्डलवार किये गये कार्यो का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	वन मण्ड़ल का नाम	कराये गये कार्यो की संख्या	चयनित मण्डल
1.	उदयपुर	उपवन संरक्षक, वन्य जीव उपवन संरक्षक, मध्य उपवन संरक्षक, दक्षिण उपवन संरक्षक, उत्तर	217 185 150 72	उपवन संरक्षक वन्य जीव उपवन संरक्षक उत्तर
2.	चित्तौडगढ़	वन मण्डल अधिकारी उप वन संरक्षक वन्य जीव	99 74	वन मण्डल अधिकारी उप वन संरक्षक
3.	सीकर	उप वन संरक्षक	91	उप वन संरक्षक
4.	दौसा	उप वन संरक्षक	85	उप वन संरक्षक
योग	**4**	**8**	**973**	**6**

1.19.2 द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिलों में मण्डलवार सम्पादित कार्यों में से दो मण्डलों का चयन एक अधिकतम कार्यों वाला व दूसरा न्यूनतम कार्यों वाले मण्डल का चयन किया गया। जिन चयनित जिलें में एक ही मण्डल है उसको चयनित माना गया।

1.19.3 तृतीय स्तर पर चयनित वन मण्डल से दो ग्राम पंचायत का चयन अधिकतम व न्यूनतम कार्य की प्रगति के आधार पर किया गया जो निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	जिला	चयनित वन मण्डल	चयनित ग्राम का नाम	अधिकतम	न्यूनतम
1.	उदयपुर	उप वन संरक्षक वन्य जीव उप वन संरक्षक उत्तर	बोवस पीलादर गोताग कुचौली सूरजगढ सोलारिया	बोवस पीलादर गोताग –	 कुचौली सूरजगढ सोलारिया
2.	चित्तौडगढ़	मण्डल वन अधिकारी उप वन संरक्षक वन्य जीव	रावत का तालाब होसला (अभयपुरा) अम्बारेटी डबेला	रावत का तालाब होसला (अभयपुरा)	 अम्बारेटी डबेला
3.	दौसा	उप वन संरक्षक	बालाहेडी मोहनपुरा नाहरखेडा लाखनपुर राणोली	बालाहेडी मोहनपुरा नाहरखेडा लाखनपुर राणोली	–
4.	सीकर	उप वन संरक्षक	डागरा झारिण्डा टोडा प्रीतमपुर	डागरा झारिण्डा टोडा प्रीतमपुर	–
योग	**4**	**6**	**19**	**14**	**5**

1.19.4 चतुर्थ स्तर पर चयनित ग्राम पंचायत में कराये गये प्रत्येक कार्य के बारे में ग्रामवासियों के विचार प्राप्त कर पाँच–पाँच अनुसूचियाँ भरी गयी। जिस जिले में जैव विविधता के कार्य कराये गये हैं, उनसे भी अनुसूची भरी गयी :–

क्र.सं.	जिला	ग्राम पंचायत का नाम	अनुसूची संख्या
1.	उदयपुर	गोवस (पीलादर)	5
		गातोर (पीलादर)	5
		समेर	5
		कुचौली	5
		सूरजगढ	5
		सोलारिया	5
		योग	**30**
2.	चित्तौडगढ	अम्बारेटी	5
		डबेला	5
		रावत का तालाब	4
		होसला(अभयपुरा)	6
		योग	**20**
3.	दौसा	बालहेडी	5
		मोहनपुरा	5
		नोहरखोडा	5
		माखनपुरा	5
		राणोली	5
		योग	**25**
4.	सीकर	डागरा	5
		झरिण्डा	10
		टोडा	5
		प्रीतमपुर	15
		योग	**35**
		महायोग	**110**

1.19.5 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित क्षेत्र को तीन भागों में विभक्त कर प्रत्येक प्लॉट में लगे पौधों की गणना वन विभाग द्वारा अपनाई जा रही पद्धत्ति के आधार पर कर भौतिक सत्यापन किया गया एवं लगाये पौधों की जीवित दर ज्ञात की गयी।

1.19.6 उपरोक्त के अतिरिक्त चयनित क्षेत्र में कराये गये कल्याणकारी कार्य जैसे सिलाई, चिकित्सा, शिविर, इत्यादि से भी अनुसूची भरी गई ।

1.20. **अध्ययन उपकरण** :

1.20.1 अध्ययन हेतु निम्न उपकरणों को उपयोग में लिया गया :–

1. **राज्य/जिला प्रलेख अनुसूची** :

इस अनुसूची से योजनान्तर्गत की गयी भौतिक/वित्तीय प्रगति की सूचना प्राप्त की गयी।

2. **वृक्षारोपण स्थल अनुसूची** :

इस अनुसूची में चयनित किये गये वृक्षारोपण स्थल में रोपित पौधों की समस्त जानकारी प्राप्त की गयी।

3. **ग्राम अनुसूची** :

इस अनुसूची में योजनान्तर्गत कराये गये समस्त कार्यो की सूचना एकत्रित की गयी।

4. **लाभ प्राप्तकर्ता अनुसूची/ग्रामवासी अनुसूची** :

इस अनुसूची में योजनान्तर्गत चयनित ग्राम में कराये गये प्रत्येक कार्यों से हुए लाभ के संबंध में ग्रामवासियों से साक्षात्कार कर पाँच–पाँच अनुसूची भरी जाकर जानकारी प्राप्त की गयी।

5. **अधिकारी/गैर अधिकारी अनुसूची** :

इस अनुसूची में योजना के क्रियान्वयन में लगे अधिकारी/गैर अधिकारियों के विचार प्राप्त किये गये जैसे वन संरक्षक, उप वन संरक्षक, रेंजर, ग्राम सेवक, सरपंच व ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्ति।

6. **जैव विविधता अनुसूची** :

इस अनुसूची में जैविक विविधता के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण प्राप्त किया गया।

7. **अवलोकन अनुसूची** :

इस अनुसूची में अन्वेषक द्वारा बिन्दुवार टिप्पण कार्यक्रम के संबंध में प्रस्तुत किया गया।

1.21 **सन्दर्भ वर्ष** :

1.21.1 अध्ययन हेतु प्रलेख सूचना वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक रखा गया लाभान्वितों के विचार सर्वेक्षण माह जुलाई 2008 से संबंधित थे

————

अध्याय द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.0 राजस्थान वानिकी एवं बायोडाईवर्सिटी परियोजना के अन्तर्गत की गयी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण इस अध्याय में निम्न मदों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

2.1 परियोजना में सम्मिलित मण्डलों व ग्रामों का विवरण :

2.1.1 योजना में राज्य के 18 जिलों व 32 मण्डलों एवं 1568 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। योजना में सम्मिलित जिलों, मण्डलों व ग्रामों का विवरण परिशिष्ट–I व II में दिया गया है। वन विभाग द्वारा 634 कार्य स्थलों एवं 75812 हेक्टर क्षेत्रफल व 1419 कलस्टरों का चयन कर योजना की क्रियान्विति की गयी।

2.2 चयनित जिलो का विवरण :

2.2.1 राज्य के 18 जिलो में यह योजना क्रियान्वित की जा रही जिसमें से अध्ययन हेतु चार (22.22 प्रतिशत) जिलो का चयन किया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–1

चयनित जिलों/ग्रामों/मण्ड़लों का विवरण

क्र.स.	चयनित जिला	वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक सम्मिलित ग्रामों की संख्या	मण्डलो की संख्या
1.	उदयपुर	216	4
2.	चित्तौडगढ़	83	2
3.	दौसा	79	1
4.	सीकर	46	1
	योग	**424**	**8**

2.2.2 उपरोक्त तालिका के अनुसार अध्ययन हेतु चार (22.22प्रतिशत) जिलों का चयन किया गया। जिसमें 8 वन मण्ड़लो के 424 सूक्ष्म ग्रामों को योजना में अध्ययन हेतु चयनित किया गया। तालिका से स्पष्ट है कि चयनित जिलों में से उदयपुर जिले में सर्वाधिक 216 सूक्ष्म ग्रामों में योजना क्रियान्वित की गयी जो चार वन मण्ड़लों के अन्तर्गत है अतः उदयपुर में सबसे अधिक ग्रामों का चयन किया गया।

2.3 राज्य स्तरीय प्रगति :

2.3.1 योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर की गयी भौतिक प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–2

परियोजना अन्तर्गत की गयी भौतिक प्रगति का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाई	परियोजना का लक्ष्य (2003–04 से 2008–09 तक)	वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की भौतिक प्रगति	प्रतिशत
1.	वृक्ष विहीन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण	हैक्टर	3000	2600	86.67
2.	परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना I	हैक्टर	60000	46550	77.58
3.	परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना II	हैक्टर	25000	21850	87.4
4.	ईधन वृक्षारोपण	हैक्टर	5000	3750	75.00
5.	ब्लाक वृक्षारोपण	हैक्टर	1200	900	75.00
6.	टिब्बास्थिरीकरण	हैक्टर	3000	2250	75.00
7.	चरागाह विकास	हैक्टर	2000	1500	75.00
8.	सिंचित क्षेत्र में खालों पर वृक्षारोपण	हैक्टर	1000	600	60.00
9.	वृक्षारोपण उत्पादकता संवृद्धि	हैक्टर	20000	16000	80.00
10.	जैव विविधता हेतु क्लोजर निर्माण	हैक्टर	1600	1600	100
11.	इकोटयूरिज्म	हैक्टर	400	300	75.00
12.	नहर किनारे वृक्षारोपण	रो. कि.मो.	5000	3500	70.00
13.	फार्म फोरेस्ट्री	(लाख)	200	119.89	59.95
14.	नई नर्सरी स्थापना	संख्या	18	18	100
15.	पौध शालाओं का विकास	संख्या	30	38	126.67
16.	जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण	संख्या	2283	1814	79.46
17.	बायोलोजिकल पार्क	संख्या	2	2	100

स्त्रोत : मुख्यालय वन विभाग।

2.3.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि योजना अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक सभी मदों में परियोजना के लक्ष्य के विपरीत प्रगति अच्छी रही। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि सिंचित क्षेत्र में खालों पर वृक्षारोपण में प्रगति 1000 के लक्ष्य के विरूद्ध 600 (60.00 प्रतिशत) एवं वृक्षारोपण उत्पादकता संवृद्धि मद में 20,000 के लक्ष्य के विपरीत 16000 (80.00 प्रतिशत) की उपलब्धि रही जो अच्छी है। पौधशाला विकास में 30 के लक्ष्य के विरूद्ध 38(126.67प्रतिशत) उपलब्धि रही।

2.4 योजनान्तर्गत कार्यो हेतु आवंटित राशि व व्यय का विवरण :

2.4.1 योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु आवंटित राशि व व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–3
परियोजना हेतु आवंटन एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद का नाम	वर्षवार विवरण									
		2003–04		2004–05		2005–06		2006–07		योग	
		आवंटन	व्यय	आ.	व्यय	आ.	व्यय	आ.	व्यय	आ.	व्यय
1.	परियोजना प्रबन्धन	130.45	102.34	186.58	176.33	236.36	232.86	257.00	245.33	810.39	756.86
2.	कार्यालय उपकरण	24.30	14.22	66.89	66.74	40.30	28.32	43.69	41.20	175.18	150.48
3.	वाहन	1.00	1.10	198.08	195.51	188.50	181.77	56.00	55.44	443.58	433.82
4.	भवन	–	–	175.25	174.51	552.20	547.04	102.30	100.58	829.75	8.22.13
5.	संचार प्रसार	3.23	2.07	560.84	543.86	1220.00	1180.60	1165.50	1128.21	2949.57	2854.74
6.	प्रशिक्षण	–	–	33.67	31.29	82.13	30.61	71.00	18.49	186.80	80.39
7.	अनुसंधान	–	–	23.70	23.63	27.00	22.56	6.30	4.51	57.00	50.70
8.	आयोजना एवं प्रबोधन	0.70	–	68.67	67.61	35.30	1.00	33.45	26.53	138.12	95.14
9.	वानिकी कार्य	3138.22	2831.15	5729.56	5610.48	7163.62	6928.86	5431.33	5249.41	21462.73	20619.90
10.	जैव विवधिता कार्य	202.10	192.01	456.76	451.55	504.59	496.80	558.43	479.02	1721.88	1619.38
	योग	**3500**	**3142.89**	**7500**	**7341.51**	**10050.00**	**9650.42**	**7725.00**	**7348.72**	**28775.00**	**27483.54**
	प्रतिशत		**89.89**		**97.89**		**96.02**		**95.13**		**95.51**

2.4.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परियोजनान्तर्गत कुल राशि 28775.00 लाख का आवंटन किया गया जिसके विरूद्ध वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक राशि 27483.54 लाख का व्यय किया गया जो (95.51प्रतिशत) है। तालिका का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि कुल आवंटन में से सबसे अधिक आवंटन वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक वानिकी की कार्य हेतु राशि 21462.73 लाख का किया गया जो इस हेतु आवंटित राशि का 74.59 प्रतिशत है एवं व्यय भी राशि 20619.90 लाख का किया गया जो कुल व्यय का 75.03 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः राशि 2854.74 लाख (10.38प्रतिशत), संचार प्रसार पर 1619.38 लाख (5.89प्रतिशत) जैव विविधता पर एवं राशि 822.13 लाख (2.99 प्रतिशत) भवन पर किया गया। सबसे कम राशि 50.70 लाख (0.18 प्रतिशत) अनुसंधान पर किया गया।

2.4.3 योजनान्तर्गत कार्यो हेतु आवंटित राशि का कार्यवार तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :–

तालिका संख्या–4
आवंटित राशि का कार्यवार व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मद का नाम	वर्ष 2003–04 से 2006–07 की प्रगति		
		आवंटन	व्यय	प्रतिशत
1.	परियोजना प्रबन्धन	810.39	756.86	93.39
2.	कार्यालय उपकरण	175.18	150.48	85.90
3.	वाहन	443.58	433.82	97.80
4.	भवन	829.75	822.13	95.08
5.	संचार प्रसार	2949.57	2854.74	96.78
6.	प्रशिक्षण	186.80	80.39	43.04
7.	अनुसन्धान	57.00	50.70	88.95
8.	आयोजन एवं प्रबोधन	138.12	95.14	68.88
9.	वानिकी कार्य	21462.73	20619.90	96.07
10.	जैव विविधता कार्य	1721.88	1619.38	94.05
	योग	**28775.00**	**27483.54**	**95.51**

2.4.4 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परियोजना हेतु आवंटित राशि में से वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल आवंटन 28775.00 लाख किया गया था जिसके विरूद्ध राशि 27483.54 (95.51 प्रतिशत) का व्यय किया गया जिसमें से वानिकी व जैव विविधता पर कुल राशि 22239.28 लाख व्यय की गयी जो कुल व्यय का 80.92 प्रतिशत है, शेष मदों पर 14.59 प्रतिशत व्यय किया गया जो स्पष्ट करता है कि वानिकी व जैव विविधता पर अधिक व्यय किया गया। अतः स्पष्ट है कि योजना के उद्देश्य के अनुरूप ही राशि का उपयोग किया गया।

2.5 योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर लगाये गये श्रमिको का विवरण :

2.5.1 परियोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर लगाये गये श्रमिको का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–5
वर्षवार नियोजित श्रमिका का विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	वर्ष	पुरूष	महिला	योग
1.	2003–04	2064092	1732276	3796368
2.	2004–05	4100473	3584650	7685123
3.	2005–06	4410153	4044073	8454226
4.	2006–07	3555784	3135505	6691289
	योग	**14130502**	**12496504**	**26627006**
	प्रतिशत	**53.07**	**46.93**	**100**

2.5.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान वानिकी एवं बायोडाईवर्सिटी परियोजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक विभिन्न कार्यो पर 266.27 लाख श्रमिक नियोजित किये गये जिसमे 141.31 लाख (53.071 प्रतिशत) पुरूष एवं 124.96 लाख (46.93 प्रतिशत) महिला श्रमिक थे। अतः स्पष्ट है कि श्रम नियोजन में पुरूष श्रमिको की संख्या अधिक थी।

2.6 योजनान्तर्गत लगाये गये श्रमिको द्वारा सृजित मानव दिवसों का विवरण :

2.6.1 लगाये गये श्रमिकों द्वारा वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक सृजित मानव दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–6
सृजित मानव दिवसों का विवरण

(संख्या में)

क्र.सं.	सृजित मानव दिवस (2003–04 से 2006–07 तक)			
	श्रमिकों का विवरण	श्रमिकों की संख्या	सृजित मानव (कार्य दिवस)	प्रति श्रमिक सृजित मानव दिवस
1.	पुरूष	14130502	14385437	1.02
2.	महिलायें	12496504	12966792	1.04
	योग	**26627006**	**27352229**	**1.03**

2.6.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत कुल 27352229 मानव दिवस सृजित किये गये जिसमें से पुरूषों द्वारा 14385437 मानव दिवस एवं महिलाओं द्वारा 12966792 मानव दिवस सृजित किये गये प्रति श्रमिक पुरूषों द्वारा 1.02 मानव दिवस एवं महिलाओं द्वारा 1.04 मानव दिवस सृजित किये गये अर्थात् महिलाओं द्वारा अधिक प्रति मानव दिवस सृजित किये गये। सृजित किये गये मानव दिवसों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है :–

तालिका संख्या–7
योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों को मजदूरी भुगतान का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	सृजित मानव दिवस (संख्या)	मजदूरी (राशि)	प्रति मानव दिवस मजदूरी (रुपये)
1.	2003–04	3881027	2633.57	68
2.	2004–05	7868986	5487.14	70
3.	2005–06	8729112	6434.26	73
4.	2006–07	6873104	4953.63	72
	योग	**27352229**	**19508.60**	**71**

2.6.3 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत श्रमिकों को मजदूरी भुगतान का वर्षवार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि प्रति मानव दिवस मजदूरी भुगतान में अन्तर है एवं कुलसृजित मानव दिवस 273.52 लाख के विरूद्ध राशि 195.69 लाख रुपये का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया। वर्ष 2005–06 में निर्धारित मजदूरी दर 73/– रुपये का भुगतान किया गया। वर्ष 2003–04, 2004–05 व 2006–07 में प्रति मानव दिवस रुपये 1/– से रुपये 5/– कम की रेन्ज में भुगतान किया गया। इस संबंध में विभाग का कहना है कि जुलाई 2004 से पूर्व मजदूरी दर 60/–रूपये प्रतिदिन थी। मजदूरी का जिलेवार विवरण परिशिष्ट– IV में दिया गया है।

2.7 पुनर्भरण हेतु भेजे गये क्लेमो का विवरण :

2.7.1 योजनान्तर्गत किये गये व्यय के उपरान्त भारत सरकार को पुर्नभरण हेतु भेजे गये क्लेमो का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–8

भारत सरकार को पुनर्भरण हेतु भेजे गये क्लेमों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	परियोजनान्तर्गत आवंटन	व्यय	प्रेषित क्लेम	पुनर्भरण राशि	प्रतिशत (कॉलम संख्या 5 से 6 का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2003–04	3500	3142.89	3128.64	3128.64	100.00
2.	2004–05	7500	7341.51	7287.12	7277.89	99.87
3.	2005–06	10050	9650.42	9519.05	9490.96	99.70
4.	2006–07	7725	7348.72	7245.78	7199.86	99.36
	योग	**28775**	**27483.54**	**27180.59**	**27097.35**	**99.69**

2.7.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल व्यय राशि 27483.54 लाख (95.52प्रतिशत) आवंटित राशि 28775 लाख के विपरीत किया गया। राशि 27180.59 (98.90 प्रतिशत) लाख के क्लेम भारत सरकार को पुनर्भरण हेतु भेजे गये एवं राशि 27097.35 (99.69 प्रतिशत) लाख पुनर्भरण के रूप में प्राप्त हुई। प्रतिवर्ष पुनर्भरण राशि क्रमशः 100.00, 99.87, 99.70 एवं 99.36 प्रतिशत राशि प्राप्त होती रही है।

2.7.3 योजनान्तर्गत भारत सरकार को पुनर्भरण हेतु प्रेषित किये गये क्लेमों का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :–

तालिका संख्या–9
प्रेषित क्लेमों का मदवार विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद का विवरण	2003–04 से 2006–07 तक का विवरण				
		आवंटन	व्यय	प्रेषित क्लेम	पुनर्भरण राशि	वि.वि
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रोजेक्ट प्रशासन	810.39	756.86	–	–	वन विभाग द्वारा इकजाई क्लेम राशि का विवरण ही उपलब्ध कराया गया है। अतः कालम 5 एवं 6 में सूचना डेस अंकित की गई है।
2.	मशीनरी उपकरण	175.18	150.48	–	–	
3.	वाहन	443.58	433.82	–	–	
4.	भवन	829.75	822.13	–	–	
5.	संचार एवं विस्तार	2949.57	2854.74	–	–	
6.	प्रशिक्षण	186.80	80.39	–	–	
7.	अनुसन्धान	57.00	50.70	–	–	
8.	आयोजना एवं प्रबोधन	138.12	95.14	–	–	
9.	वानिकी कार्य	21462.73	20619.90	–	–	
10.	जैविक संरक्षण	1721.88	1619.38	–	–	
	योग	**28775**	**27483.54**	**27180.59**	**27097.35**	

2.7.4 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत मदवार कुल आवंटन 28775 लाख का वर्ष 2003–04 से 2006–07तक किया गया। जिसके विरूद्ध राशि 27483.54 लाख (95.51प्रतिशत) का व्यय कर, राशि 27180.59 लाख (98.90 प्रतिशत) के पुनर्भरण के क्लेम भारत सरकार को भेजे गये जिसमें से राशि 27097.35 लाख के क्लेम भारत सरकार से प्राप्त हुये अर्थात 99.69 प्रतिशत राशि पुनर्भरण के रूप में प्राप्त हुई। तालिका के विश्लेषण करने से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यय की गयी राशि में से सबसे अधिक राशि वानिकी कार्य पर की गयी जो कुल व्यय राशि का 75.03 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि योजना जिस उद्देश्य को लेकर प्रारम्भ की गयी थी, उसके अनुरूप व्यय किया गया। इसके बाद संचार व विस्तार पर 10.39 प्रतिशत एवं 5.82 प्रतिशत जैविक कार्य पर राशि व्यय की गयी।

2.8 वृक्षा रोपण कार्य का स्तर वार विवरण :

2.8.1 मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य का विवरण :

योजना में सम्मिलित 18 जिलों व 27 वन मण्डल में जल एवं नमी संरक्षण के कराये गये, कराये गये कार्यो का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–10
मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य का विवरण

(इकाई–कार्य संख्या)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लक्ष्य	2003 से 2006–07 तक की प्रगति	प्रतिशत
1.	गेबियन स्ट्रेक्चर	799	799	100.00
2.	परकोलेशन टैक सिम्पल	176	176	100.00
3.	पी.टी विथ पिचिंग आन अम्बेकमेन्ट	144	145	100.69
4.	ड्राप स्पील वे	109	109	100.00
5.	सिल्ट डिटेन्शन स्ट्रेक्चर	134	134	100.00
6.	ई.ई.विथ कट स्पील वे	88	87	98.86
7.	एनिकट टाईप I	91	91	100.00
8.	अर्थन ई.एम.बी. (आउटलेट)	72	73	101.38
9.	एनिकट टाईप II	59	59	100.00
10.	एनिकट टाईप III	28	28	100.00
11.	**परकोलेशन टैकविथ आउटलेट**	**114**	**113**	**99.12**
	योग	**1814**	**1814**	**100**

2.8.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल 1814 जल एवं नमी के संरक्षण के कार्यो के लक्ष्य के विपरीत शत प्रतिशत कार्य करवाये गये। इस मद के अन्तर्गत क्रमशः गेबियन स्ट्रेक्चर, परकोलेशन टैक सिम्पल, पी टी विथपिचिंग आन अम्बेकमेन्ट, ड्राप स्लीप वे सिल्ट डिटेन्शन स्ट्रेक्चर, एनिकट टाईप I, अर्थन ई.एम.बी. इत्यादि के कार्य करवाये गये। जिससे स्पष्ट होता है कि पौधरोपण से पूर्व मृदा संरक्षण के कार्य करवाये गये जिससे नमी बनी रहे। उपरोक्त के अतिरिक्त कंटूर डरिक्स, पत्थरों के चैक डेम निर्माण एवं कट्रंर ट्रैंच, वी–डिचेज आदि के भी निर्माण किये गये इस प्रकार कुल 1817 मृदा नमी के कार्य करवाये गये। योजनान्तर्गत कराये गये वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यो का जिलेवार एवं मण्डलवार विवरण **परिशिष्ट V** में दिया गया है। जिसके अनुसार योजना में सम्मिलित 18 जिलों में से 16 जिलों (88.89प्रतिशत) में मृदा एवं नमी संरक्षण के कार्य करवाये गये। इन कार्यो के अन्तर्गत कुल 1814 कार्य मृदा एवं नमी संरक्षण के कराने के लक्ष्य के विरूद्ध 1817 कार्य कराये गये जो 100.17 प्रतिशत अर्थात लक्ष्य से अधिक मृदा व नमी संरक्षण के कार्य करवाये गये। तालिका के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि योजना में सम्मिलित 16 जिलों में से जयपुर व उदयपुर जिले में सर्वाधिक मृदा एवं नमी संरक्षण के गे बियन स्ट्रक्चर, परकोलेशन टैंक सिम्पल, पी.टी.विथ सिम्पल, परकोलेशन टैक विथ आऊटले ड्राप स्पील वे , सिल्ट डिटेन्शन स्ट्रेक्चर, ई.ई विथकट, स्पिल वे, एनिकट I , अर्दन ई.एम. बी. (कोर एण्ड आऊटलेट), एनिकट टाईप II, एनिकट टाईप III इत्यादि के कार्य मुख्य रूप से करवाये गये।

2.9 मृदा एवं नमी संरक्षण के कराये गये कार्यो हेतु आवंटन व व्यय का विवरण :

2.9.1 योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कराये गये मृदा एवं नमी सरंक्षण कार्यो हेतु आवंटित राशि व व्यय का विवरण **परिशिष्ट VI** में दिया गया है। जिसके अनुसार कुल 1171.940 लाख का आवंटन किया गया जिसके विरूद्ध राशि 1151.289 व्यय की गयी जो (98.24प्रतिशत) है अर्थात स्पष्ट है कि वृक्षारोपण से पूर्व जल संरक्षण के कार्य करवाये गये।

2.10 चयनित जिलों की भौतिक प्रगति :

2.10.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये जिलों में योजनान्तर्गत चयनित जिलों के उल्लेख के बाद कार्यो की गयी भौतिक प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–11
चयनित जिलों में कार्यों की भौतिक प्रगति का विवरण

(इकाई–हैक्टर में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की प्रगति का विवरण									
		उदयपुर		चित्तौडगढ़		दौसा		सीकर		योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	ल.	उप.	ल.	उप.	ल.	उप.	ल.	उप.
1.	परिभ्राषित वनो की पुनर्स्थापना I	19200	19200	4950	4950	3800	3800	3650	3650	31600	31600
2.	परिभ्राषित वनो की पुनर्स्थापना II	19950	19950	4150	4150	–	–	350	350	24450	24450
3.	प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपणों में उत्पादकता सर्वधन कार्य	3150	3150	1850	1850	–	–	–	–	5000	5000
4.	पंचायत (सामुदायिक भूमि) पर वृक्षा रोपण	4750	4750	–	–	–	–	–	–	4750	4750
5.	वृक्षविहीन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण (RBH)	900	900	150	150	–	–	150	150	1200	1200
6.	फ्यूल वुड पोधरोपण	1150	1150	325	325	–	–	125	125	1600	1600
7.	फार्म फोरेस्ट्री			–	–	–	–	–	–		
	नम्बर										
	उगाना	24.00	24.00							24	24
	वितरण करना	17.00	17.00							17	17
8.	नर्सरी										
	नई	3	3	1	1	–	–	–	–	4	4
	विधमान	1	1	3	3	–	–	–	–	4	4
9.	भवन	39	39	16	16	–	–	–	–	53	53
10.	जल संरक्षण संरचनाये	118	118	57	57	49	49	–	–	224	224
11.	कानस्ट्रेक्शन आफ जीन पुल										
	1	400	400	–	–	–	–	–	–	400	400
	2	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2
	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
	4	110	110	–	–	–	–	–	–	110	110
12.	मशीनरी एवं उपकरण	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
13.	अनुसंधान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	कम्यूनिकेशन व एक्सटेन्शन	304	304	1274	1274	–	–	–	–	1578	1578
15.	प्रशिक्षण	3336	3336	–	–	–	–	–	–	3336	3336
16.	कार्य	141	141	–	–	–	–	–	–	141	141
17.	वाहन	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2
18.	इन्फ्राक्टकचर का सृजन	376	376	–	–	–	–	–	–	376	376

2.10.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु चयनित जिलो में योजनान्तर्गत निर्धारित किये गये प्रत्येक कार्य के लक्ष्य वर्ष 2003–04 से 2006–07 की अवधि में शत प्रतिशत अर्जित कर लिये गये जो कि परिणात्मक दृष्टि से विभाग की उपलब्धि रही है।

2.11 योजनान्तर्गत लगाये गये श्रमिको के कार्य दिवस का विवरण :

2.11.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलो में योजना के क्रियान्वयन हेतु लगाये गये श्रमिको का वर्ष 2003–04 से 2006–07 का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–12

योजना क्रियान्वयन में लगाये गये श्रमिकों के कार्य दिवसों का विवरण

(कार्य दिवस–लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक का विवरण		
		पुरूष	महिला	योग
1.	उदयपुर	23.94	22.55	46.49
2.	चित्तौडगढ	8.72	5.16	13.88
3.	दौसा	2.04	8.16	10.20
4.	सीकर	7.09	3.55	10.64
	योग	**41.79**	**39.42**	**81.21**
	प्रतिशत	**51.46**	**48.54**	

सूचना स्त्रोत : सम्बन्धित वन मण्ड़ल अधिकारी।

2.11.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में योजनान्तर्गत कराये गये विभिन्न कार्यो पर कुल 81.21 लाख मानव दिवस सृजित किये गये जिसमें से पुरूष के 41.79 (51.46 प्रतिशत)एवं महिला के 39.42 (48.54प्रतिशत) लाख कार्य दिवस सृजित किये गये । अतः स्पष्ट है कि पुरूष श्रमिको को 2.37 (6.01प्रतिशत) लाख मानव दिवस अधिक रोजगार प्रदान किया गया।

2.12 योजनान्तर्गत कराये गये भू–संरक्षण कार्यो का विवरण :

2.12.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में वृक्षारोपण से पूर्व कराये गये भू–संरक्षण कार्यो का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या–13
चयनित जिलों में कराये गये भू–संरक्षण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम व यूनिट	प्रारम्भ से वर्ष 2006–07 तक की प्रगति									
		उदयपुर		चित्तौडगढ		दौसा		सीकर		योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	ल.	उप.	ल.	उप.	ल.	उप.	ल.	उप.
1.	चैक डैम (धन मीटर)	97739	97739	–	–	336810	336810	–	–	434549	434549
2.	कन्ट्रर ट्रैन्च रनिंग मीटर (लाख में)	8.70	8.70	–	–	960000	960000	–	–	18.30	18.30
3.	गेवियन स्ट्रक्चर (संख्या)	115	115	28	28	20	20	27	27	190	190
4.	परकुलेश टेक सिम्पल (संख्या)	20	20	7	7	5	5	6	6	27	27
5.	परकुलेशन टेक विथ एम्बोकमेन्ट (संख्या)	16	16	–	–	4	4	4	4	38	38
6.	परकुलेशन टेक विथ आऊटलेट (संख्या)	9	9	3	3	6	6	3	3	21	21
7.	ड्राप स्पील वे (संख्या)	19	19	3	3	4	4	3	3	29	29
8.	सिल्ट डिटेक्शन स्ट्रक्चर (संख्या)	17	17	6	6	4	4	5	5	32	32
9.	आउद लेट स्ट्रक्चर (संख्या)	1	1	1	1	–	–	–	–	2	2
10.	एनिकट I (संख्या)	1	1	1	1	3	3	–	–	5	5
11.	एनिकट II (संख्या)	3	3	–	–	4	4	–	–	7	7
12.	एनिकट III (संख्या)	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2
13.	अर्थन एम्बेक्मेन्ट विथ कोर एण्ड आऊट लेट (संख्या)	2	2	–	–	2	2	–	–	4	4
14.	परकोलेशन टेक साधारण (संख्या)	6	6	–	–	–	–	–	–	6	6
15.	परकोलेशन टेक विथ पिचिंग एम्बोकमेन्ट (संख्या)	5	5	7	7	–	–	–	–	12	12
16.	परलोकशन टेक आऊटलेट (संख्या)	4	4	–	–	–	–	–	–	4	4
17.	जल संरक्षण ढाँचा अर्थन एम्बोकमेन्ट विथ स्पील वे (संख्या)	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
18.	अर्थन एम्बेकमेन्ट विथ आऊटलेट टाईप I एनिकट (संख्या)	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
19.	अर्थन एम्बेकमेन्ट वीदकोर एण्ड सुरबेल आऊटलेट टाईप II एनिकट (संख्या)	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
20.	वाटर हारवेस्टिग निर्माण (संख्या)	52	52	–	–	–	–	–	–	52	52
21.	ई.ई. विथ कर स्पील वे (संख्या)	–	–	55	55	3	3	3	3	6	6
	योग	**275**	**275**	**111**	**111**	**55**	**55**	**51**	**51**	**440**	**440**
	प्रतिशत										**100**

2.12.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु चयनित जिलों में वृक्षारोपण से पूर्व चयनित जिलों उदयपुर, चित्तौडगढ़, दौसा व सीकर में भू–जल संरक्षण के वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक 440 कार्यो के लक्ष्य के विपरीत शत प्रतिशत प्रगति की गयी जिसमें मुख्यतया क्रमशः चैक डैम, कन्टूर ट्रैन्च, गेवियन स्ट्रक्चर, परकोलेशन टैक, परकोलेशन टैक विथ एम्बोंकमेन्ट, ड्राप स्पील वे, सिल्ट डिटेक्शन स्ट्रक्चर के कार्य करवाये गये।

2.13 वित्तीय प्रगति :

2.13.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कराये गये कार्यो हेतु आवंटन व व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–14

चयनित जिलों को आवंटन एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	चयनित जिला	वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की वित्तीय प्रगति		
		आवंटन	व्यय	विशेष विवरण
1.	उदयपुर	4226.54	4226.54	
2.	चित्तौडगढ	1513.833	1402.566	
3.	दौसा	779.13	779.13	
4.	सीकर	916.742	898.30	
	योग	**7436.245**	**7306.536**	
	प्रतिशत		**98.26**	

2.13.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलो में योजना हेतु वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल रूपये 74.36 करोड की राशि आवंटित की गयी। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 73.06 करोड व्यय किये गये जो 98.26 प्रतिशत है। उक्त राशि क्रमशः अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण कार्य, संधारण कार्य, वन विकास कार्यो, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एवं उपकरणों के ऊपर व्यय की गयी। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि चयनित सभी जिलों को आवंटित राशि का अधिकतम स्तर तक व्यय किया गया है।

2.14 योजनान्तर्गत नियोजित किये गये श्रमिको को दिये गये भुगतान का विवरण :

2.14.1 योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर नियोजित किये गये श्रमिको को भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–15

नियोजित किये गये श्रमिको को भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक किये गये भुगतान का विवरण					
		राशि		मानव दिवस लाखों में		योग मानव दिवस	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	राशि	दिनों लाखों में
1.	उदयपुर	2193.91	1049.80	23.94	22.55	3243.71	46.49
2.	चित्तौडगढ	613.08	437.08	8.72	5.76	1050.16	14.48
3.	दौसा	148.96	595.77	2.04	8.16	744.73	10.20
4.	सीकर	517.86	259.15	7.09	3.55	777.01	10.64
	योग	**3473.81**	**2341.80**	**41.79**	**40.02**	**5815.61**	**81.81**
	प्रतिशत	**59.73**	**40.27**	**51.46**	**48.54**	**100**	**100**

सूचना का स्त्रोत : सम्बन्धित वन मण्ड़ल अधिकारी।

2.14.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलो में योजनान्तर्गत कराये कार्यो हेतु कुल राशि 5815.61 लाख अर्थात 58.15 करोड का भुगतान किया गया जिसमें से पुरूषो को राशि 3473.81 लाख व महिलाओ को राशि 2341.80 लाख का भुगतान किया गया। अतः स्पष्ट है कि कराये गये कार्यो पर लगाये गये श्रमिको में से पुरूषो को अधिक लगाया गया। लगाये गये श्रमिको को 71/– रूपये प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया जो निर्धारित दर 73/– रूपये प्रतिदिन से कम है अर्थात 2.74 प्रतिशत कम भुगतान किया गया। राज्य स्तर से चयनित जिलों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि राज्य स्तर पर 273.52 लाख मानव दिवस का सृजन कर राशि 195.09 करोड का भुगतान किया गया जबकि चयनित जिलों में 81.81 लाख मानव दिवस सृजित किये गये जो राज्य स्तर पर सृजित किये गये मानव दिवसों से 29.91 प्रतिशत है एवं भुगतान राशि 58.15 करोड़ का किया गया जो कुल परियेाजना में राज्य स्तर पर किये गये भुगतान राशि 195.09 करोड़ से 29.81 प्रतिशत है।

2.14.3 राज्य स्तर सृजित किये गये मानव दिवस के विरूद्ध श्रमिकों को भुगतान 71/– प्रतिदिन की दर से किया गया जबकि चयनित जिलों में 71/– प्रतिदिन की दर से किया गया अर्थात् राज्य स्तर पर सृजित मानव दिवस एवं चयनित जिलों में 71/– प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया।

2.15 पुनर्भरण हेतु प्रेषित किये गये क्लेमों का विवरण :

2.15.1 अध्ययन हेतु जिलो मे आवंटन के विरूद्ध किये गये व्यय व प्रेषित क्लेमो का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–16
जिलो मे आवंटन के विरूद्ध किये गये व्यय व प्रेषित क्लेमो का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. स.	चयनित जिला	वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक विवरण			
		आवंटन	व्यय	प्रेषित क्लेम	विशेष विवरण
1.	उदयपुर	4218.56	4206.137	4204.587	
2.	चित्तौडगढ	1528.073	1519.02	1503.475	
3.	दौसा	779.13	779.13	779.13	
4.	सीकर	916.742	898.30	892.74	
	योग	**7443.162**	**7402.587**	**7379.932**	
	प्रतिशत		**99.45**	**99.69**	

2.15.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलो में वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल आवंटित राशि 74.43 करोड के विपरीत राशि 74.03 करोड व्यय किये गये जो 99.45 प्रतिशत है। व्यय की गयी राशि 74.03 करोड के विरूद्ध पुनर्भरण हेतु राशि 73.80 करोड के क्लेम भारत सरकार को पुनर्भरण हेतु मुख्यालय प्रेषित किये गये । प्रेषित क्लेमो का प्रतिशत 99.69 है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार को क्लेम अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा प्रेषित किये जाते है तथा पुनर्भरण की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होती है। अतः राशि वन विभाग को प्राप्त होकर कार्यों के विरूद्ध खर्च की जाती है।

2.16 योजनान्तर्गत किये गये भू–संरक्षण कार्य पर किये गये व्यय का विवरण :

2.16.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये जिलो में भू–संरक्षण कार्यो हेतु आवंटन राशि 584.685 लाख का किया गया जिसके विरूद्ध राशि 582.066 लाख व्यय की गयी जो 99.55 प्रतिशत है। **(परिशिष्ट– VII)**

2.17 वन विकास कार्यो हेतु निर्धारित मानदण्ड :

2.17.1 अध्ययन हेतु चयनित चार जिलो में से दो जिलों (50.00प्रतिशत) में पाया गया कि वन विकास के कार्य समूह कलस्टर के आधार पर किये गये। शेष दो जिलों सीकर व दौसा (50.00 प्रतिशत) में नहीं किये गये, जिसके कोई कारण नहीं दर्शाये गये। मानदण्ड़ानुसार 250–250 हैक्टर के क्लस्टर का चयन प्रतिवर्ष कर उसमें 50–50 हैक्टर के कार्य कराना है।

2.18 प्रबन्ध कार्य विवरण :

2.18.1 योजना के क्रियान्वयन में चयनित जिलो में सर्वेक्षण में पाया गया कि योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डानुसार वन विकास हेतु समिति गठित की गयी । ग्राम की सूक्ष्म योजना में स्थानीय लोगो को भागीदार बनाया गया। सूक्ष्म योजना ग्रामीण सहभागिता आंकलन तकनीक के आधार पर तैयार की गई। चयनित प्रत्येक जिले में ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति, महिला उप समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा विभागीय कार्य, ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति के द्वारा सम्पादित कराये गये, वन सुरक्षा एवं वन्य जीव प्रबन्ध का कार्य, स्वयं सहायता समूह बनाकर स्थानीय स्तर पर आमदनी बढाने के प्रयास, वन संवर्धन जन सहयोग योगदान बढाने का प्रयास, महिलाओं से संबंधित योजना, महिला रोजगार, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन, वृक्षारोपण में प्रजाति चयन, सुरक्षा तथा ग्राम विकास में सहभागी एवं जैव विविधता सरंक्षण में, सामुदायिक कार्य, जल मृदा के विभिन्न कार्य किये गये/किये जा रहे है।

2.19 सूक्ष्म योजना का अनुमोदन :

2.19.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में सर्वेक्षण में पाया कि सूक्ष्म योजना संबंधित उपवन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी से अनुमोदित करायी गई एवं योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व वन विभाग व ग्राम वन सुरक्षा प्रबन्धन समिति (VFPMC) के मध्य सहमति पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर किये गये। अध्ययन हेतु चयनित जिलों में योजनानुसार ग्राम का माइक्रोप्लान बनाते समय महिलाओं से विचार विमर्श किया गया एवं उन विचारों व सुझावों का सूक्ष्म योजना में समावेश किया गया /किया जाता है।

2.20 गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी :

2.20.1

क्षे

त्रीय कार्य में चयनित जिलों में पाया कि परियेाजन के क्रियान्वयन में गैर सरकारी संगठनों को भी भागीदार बनाया गया। जिसके अन्तर्गत प्रचार प्रसार में, माइक्रोप्लान तैयार करने में, कार्यो में श्रम भागीदारी में, वन क्षेत्रो से प्राप्त चारा/घास आदि उपलब्ध कराने में, आधारभूत सुविधाओं के लिए ग्रामवासियों से विचार विमर्श व राय प्राप्त करने में, स्वयं सहायता समूह गठन इत्यादि में सहयोग प्राप्त किया गया/किया जाता है।

————

अध्याय तृतीय

सर्वेक्षण परिणाम

3.0 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अध्ययन हेतु चयनित ग्राम, वृक्षारोपण स्थल, लाभप्राप्तकर्ता एवं अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं का विवरण निम्न मदों में दर्शाया जा रहा है :–

3.1 चयनित ग्रामों का विवरण :

3.1.1 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अध्ययन हेतु चयनित किये गये ग्रामों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या–17

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना हेतु चयनित ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	पंचायत समिति का नाम	चयनित ग्रामों का नाम	जनसंख्या (वर्ष 2001)
1.	उदयपुर	सराडा	बोवस	1065
			गातोड	1612
		गोगुन्दा	बाल्या	248
			सूरजगढ़	1629
			सोलारिया	2385
		मावली	कुचोली	2651
2.	चित्तौडगढ़	धरियावद	डबेला	2977
		चित्तौडगढ़	रावत का तालाब	70000
		धरियावद	होसला (अभयपुर)	210
			अम्बारेट्टी	40
3.	दौसा	महुवा	बालहेडी	5480
			मोहनपुर	810
		सिकराय	नोहरखोडा	2140
			लाखनपुर	510
			राणोली	1808
4.	सीकर	फतेहपुर	डागरा	844
			झारिण्डा	1325
		नीमकाथाना	टोडा	4974
			प्रीतमपुर	8244
	4	**8**	**19**	**108952**

3.1.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु चयनित चार जिलों की आठ पंचायत समितियों के 19 ग्रामों को चयनित कर क्षेत्रीय कार्य किया गया जिनकी कुल जनसंख्या 108952 है।

3.2 चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो की भौतिक प्रगति :

3.2.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये ग्रामों में योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो का वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–18
योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

(इकाई – संख्या)

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की प्रगति									
		चयनित जिले									
		उदयपुर		चित्तौडगढ		दौसा		सीकर		योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	ल.	उप.	ल.	उप.	ल.	उप.	ल.	उप
1.	वृक्षाविहिन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण (RBH)	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
2.	परिभ्रांषित वनो की पुनर्स्थापना I	5	5	2	2	8	8	6	6	21	21
3.	परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना II	2	2	6	6	–	–	–	–	8	8
4.	प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण में उत्पादकता से संवर्धन कार्य (PEO)	–	–	7	7	–	–	–	–	7	7
5.	वृक्षारोपण	5	5	8	8	7	7	–	–	20	20
6.	भू – संरक्षण कार्य	9	9	4	4	–	–	–	–	13	13
7.	इन्फ्रास्ट्रेक्चर कार्य	1	1	7	7	–	–	1	1	9	9
8.	पेयजल	–	–	3	3	–	–	–	–	3	3
9.	एन्ट्रीपाईन्ट	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1
10.	जैव विविधता कार्य	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1
11.	ग्रामीण ईधन वृक्षारोपण	–	–	–	–	–	–	4	4	4	4
	योग	**22**	**22**	**39**	**39**	**16**	**16**	**11**	**11**	**88**	**88** **100**

3.2.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों के चयनित 19 ग्रामों में कुल 88 कार्य क्रमशः आर.बी.एच., आर.डी.एफ I व II व प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण में उत्पादकता संवर्धन, भू– संरक्षण व इन्फ्रास्ट्रेक्चर के कार्य कराये गये। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि चयनित ग्रामों में जैव विविधता के कार्य यथा– चैकडैम, पशुरक्षक चौकी, कटबैक, खाई मरम्मत, पत्थर की दीवार एवं सिंगलीग क्लिनिंग कार्य भी करवाये गये।

3.3 चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो की वित्तीय प्रगति :

3.3.1 अध्ययन हेतु चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो हेतु आवंटित राशि व व्यय का वर्ष 2003–04 से 2006–07 का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–19

चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो की वित्तीय प्रगति का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	चयनित जिलों में वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक की प्रगति का विवरण									
		उदयपुर		चित्तौडगढ़		दौसा		सीकर		योग	
		आवंटन	व्यय	आ.	व्यय	आ.	व्यय	आ.	व्यय	आ.	व्यय
1.	वृक्षाविहिन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण(RBH)	–	–	–	–	12.37	12.37	–	–	12.37	12.37
2.	परिभ्रांषित वनो की पुनर्स्थापना I	17.11	17.11	3.85	3.84	25.04	25.04	40.54	40.06	86.54	86.05
3.	परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना II	50.50	50.39	–	–	7.87	7.87	7.99	7.99	66.36	66.25
4.	प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपणों में उत्पादकता संवर्धन कार्य	–	–	9.68	9.68	–	–	–	–	9.68	9.68
5.	वृक्षारोपण	29.73	29.73	70.82	69.90	6.09	6.09	–	–	106.64	105.72
6.	भू – संरक्षण कार्य	21.55	21.55	3.48	3.48	–	–	–	–	25.03	25.03
7.	इन्फ्रास्ट्रेक्चर कार्य	1.00	1.00	2.33	2.33	–	–	–	–	3.33	3.33
8.	पेयजल	–	–	1.32	1.32	–	–	–	–	1.32	1.32
9.	एन्ट्रीपाईन्ट	–	–	4.99	4.99	–	–	–	–	4.99	4.99
10.	जैव विविधता कार्य	–	–	4.88	4.88	–	–	–	–	4.88	4.88
11.	ग्रामीण ईधन वृक्षारोपण	–	–	–	–	–	–	4.16	3.68	4.16	3.68
	योग	**119.89**	**119.78**	**101.35**	**100.42**	**51.37**	**51.37**	**52.69**	**51.73**	**325.30**	**323.30**
	प्रतिशत										**99.39**

3.3.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत चयनित जिलों के चयनित ग्रामों में कुल 11 कार्य कराये गये जिस हेतु राशि 325.30 लाख की आंवटित की गयी जिसके विरूद्ध राशि 323.30 लाख व्यय की गयी जो 99.39 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि आवंटित राशि का समुचित उपयोग किया गया।

3.4 चयनित ग्रामों में कराये कार्यो पर सृजित मानव दिवसों का विवरण :

3.4.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये 19 ग्रामों में कराये गये कार्यो पर सृजित किये गये मानव दिवसों का वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–20

चयनित ग्रामों में किये गये व्यय एवं मानव दिवसों का विवरण

(राशि लाखों में मानव दिवस–लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक									
		उदयपुर		चित्तौडगढ़		दौसा		सीकर		योग	
		व्यय	मानव दिवस	व्यय	मा. दि.	व्यय	मा. दि.	व्यय	मा. दि.	व्यय	मा. दि.
1.	वृक्ष विहिन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण (RBH)	–	–	–	–	12.37	0.16	–	–	12.37	0.16
2.	परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना I	17.11	0.24	3.84	0.45	25.04	0.33	40.06	0.83	86.05	1.85
3.	परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना II	50.39	0.58	–	–	7.87	0.11	7.99	0.10	66.25	0.79
4.	प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण में उत्पादकता संवृद्धि	–	–	9.68	0.12	–	–	–	–	9.68	0.12
5.	वृक्षारोपण	29.73	0.39	69.90	0.86	6.09	0.08	–	–	105.72	1.33
6.	भू–संरक्षण कार्य	21.55	0.02	3.48	0.03	–	–	–	–	25.03	0.05
7.	सामुदायिक कार्य	1.00	0.003	2.44	0.08	–	–	–	–	3.44	0.083
8.	पेयजल	–	–	1.32	0.04	–	–	–	–	1.32	0.01
9.	एन्ट्रीपाईन्ट	–	–	4.99	0.07	–	–	–	–	4.99	0.07
10.	जैव विविधता कार्य	–	–	4.88	0.07	–	–	–	–	4.88	0.07
11	ग्रामीण ईधन वृक्षारोपण	–	–	–	–	–	–	3.68	0.04	3.68	0.04
	योग	**119.78**	**1.233**	**100.53**	**1.72**	**51.37**	**0.68**	**51.73**	**0.97**	**323.41**	**4.573**

3.4.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलो के चयनित ग्रामों में कुल 11 कार्य कराये गये जिन पर राशि 323.41 लाख व्यय कर 4.573 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। तालिका के विश्लेषण करने से यह भी स्पष्ट होता है कि कार्य पर लगाये गये श्रमिको 71/–रूपये प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया जो निर्धारित दर 73/–रूपये प्रतिदिन से 2.74 प्रतिशत कम है।

3.5 ग्राम में सृजित कार्यो के संबंध में :

3.5.1 स्थान का चयन :

सर्वेक्षण में शत प्रतिशत ने व्यक्त किया कि स्थान का चयन सूक्ष्म योजना के आधार पर किया गया। स्थान का चयन क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं ग्राम वन सुरक्षा समिति के सदस्यों व ग्राम वासियों की सहमति के द्वारा किया गया। शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि कराये गये कार्य उपयोगी एवं उपयुक्त है।

3.5.2 सर्वेक्षण में चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो के उपयोगी एवं उपयुक्त होने के संबंध में उत्तरदाताओं का मत था कि कार्य निम्नप्रकार उपयोगी है :–

(i) जल सरंक्षण, पर्यावरण सुधार, मृदा संरक्षण में उपयोगी रहा।

(ii) वृक्षारोपण से टीले स्थिर हुए।

(iii) वृक्षारोपण से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ

(iv) पशुओं के लिए चारा की उपलब्धता हुई।

(v) स्थानीय लोगों के लिए ईधन की उपलब्धता हुई।

3.6 कराये गये भौतिक कार्यो की गुणवत्ता का विवरण :

3.6.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये ग्रामों में कराये गये कार्यो की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन एवं स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की गयी जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–21

चयनित किये गये ग्रामों में कराये गये कार्यो की गुणवत्ता का विवरण

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित ग्राम संख्या	कार्य संख्या	गुणवत्ता का विवरण		
				उत्तम	अच्छा	उत्तर नहीं
1.	उदयपुर	6	22	–	5	1
2.	चित्तौडगढ़	4	39	2	2	–
3.	दौसा	5	16	1	4	–
4.	सीकर	4	11	4	–	–
	योग	**19**	**88**	**7**	**11**	**1**
	प्रतिशत			**36.84**	**57.89**	**5.26**

3.6.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों के चयनित 19 ग्रामों में क्रमशः वृक्षविहीन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्राषित वनों की पुनः स्थापना प्रथम, परिभ्राषित वनों की पुनः स्थापना द्वितीय, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण में उत्पादकता संवृद्धि, वृक्षारोपण, भू–संरक्षण कार्य, इन्फ्रास्ट्रेक्चर, पेयजल, एन्ट्रीपाईन्ट, जैव विविधता, ग्रामीण ईधन वृक्षरोपण के कार्य कराये गये जिसके सम्बन्ध में चयनित ग्रामों मे से 7(36.84प्रतिशत) ने उत्तम व 11(57.89प्रतिशत) ने अच्छी गुणवत्ता के कार्य बताये, जबकि 1 ग्राम (5.26प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.7 ग्राम में निर्माण किये गये कार्यो से पड़े प्रभाव का विवरण :

3.7.1 सर्वेक्षण में ग्राम में कराये कार्यो से हुये प्रभाव का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–22

ग्राम में निर्माण किये गये कार्यो से पड़े प्रभाव का विवरण

क्र.सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	कोड				
			1	2	3	4	उत्तर नहीं
1.	उदयपुर	6	4	–	2	1	1
2.	चित्तौडगढ	4	1	–	–	1	3
3.	दौसा	5	5	–	–	–	–
4.	सीकर	4	2	1	1	–	–
	योग	**19**	**12**	**1**	**3**	**2**	**4**
	प्रतिशत		**52.53**	**5.26**	**15.78**	**10.52**	**21.52**

नोट–**एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।**

कोड–

1. जंगल विकास, भू–संरक्षण,रोजगार, जल संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता , आर्थिक सुधार जंगलों से लगाव।
2. ग्राम में खुर्रा निर्माण व नाली निर्माण से आवागमन में सुविधा, शमशान धाट में शैड निर्माण से दाह संस्कार के समय ग्रामीणों को छाया उपलब्ध।
3. बीड क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण हेतु जलकुण्ड के निर्माण से राहगीरों एवं चरवाहा को पीने का पानी सुलभ हुआ।
4. प्रतिक्षालय से यात्रियों को सड़क पर वर्षा व धूप से रक्षा हुई।

3.7.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित ग्रामों में सृजित कराये गये कार्यो में से 12(52.53प्रतिशत) ने जंगल विकास, भू–संरक्षण, रोजगार, जल संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, आर्थिक सुधार, जंगलों से लगाव में प्रभाव पड़ना, 3(15.78प्रतिशत) ने बीड क्षेत्र वर्षाजल संग्रहण हेतु जलकुण्ड का निर्माण से पीने का पानी सुलभ हुआ, 2(10.52प्रतिशत) ने प्रतिक्षालय से यात्रियों को सड़क पर वर्षा व धूप से रक्षा हुई केवल 1(5.26प्रतिशत) ने आवागमन व शमशान घाट में शेड़ से छाया प्राप्त हुई व्यक्त किया शेष 4(21.52प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.8 चयनित ग्राम में सृजित कार्य से ग्रामवासियों पर पड़े प्रभाव का विवरण :

3.8.1 अध्ययन हेतु चयनित 19 ग्राम में कराये गये कार्यो से ग्रामवासियों पर पड़े प्रभाव का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–23

चयनित ग्राम में सृजित कार्य से ग्रामवासियों पर पड़े प्रभाव का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता संख्या	प्रभाव		प्रभाव का विवरण				
			हाँ	नहीं	आर्थिक	सामाजिक	रहन सहन	रोजगार	अन्य
1.	उदयपुर	6	6	–	6	6	6	6	5
2.	चित्तौडगढ़	4	4	–	4	4	4	4	–
3.	दौसा	5	5	–	5	5	5	5	–
4.	सीकर	4	4	–	4	4	4	4	4
	योग	**19**	**19**	–	**19**	**19**	**19**	**19**	**9**
	प्रतिशत		**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**47.37**

3.8.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित ग्रामों में कराये गये कार्या के सर्वेक्षण के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, रहन सहन, रोजगार पर शत प्रतिशत प्रभाव पड़ना स्वीकारा। आर्थिक क्षेत्र में रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, निःशुल्क/सस्ती दर पर धामण घास उपलब्ध होने से चारे पर पशुपालको को कम व्यय करना पड़ा, सामाजिक क्षेत्र में भाईचारे व समूहों में काम करने को बढावा मिला, ग्राम वन सुरक्षा प्रबन्धन समिति के कारण स्थानीय जनता में समीपस्था बढी, ग्रामवासियों में वन के प्रति रूझान बडा, रहन सहन में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। ग्राम में रोजगार प्राप्त हुआ, बाहर नहीं जाना पडा, पहले की अपेक्षा अधिक रोजगार प्राप्त हुआ। सर्वेक्षण में उपरोक्त प्रभाव के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी प्रभाव पडना स्वीकारा गया जिसके अन्तर्गत पर्यावरण के प्रति जागरूकता, जंगल सुरक्षा के प्रति रूझान, ग्राम में खुर्रा निर्माण व नाली निर्माण से आवागमन में सुविधा, ग्राम में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत सामुदायिक भवन की चार दीवारी का निर्माण, जल व भू–संरक्षण के तहत अर्थन बन्ड विथ कर स्लिप के निर्माण इत्यादि से प्रभाव पड़ा ।

3.9 चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो से आय में वृद्धि का विवरण :

3.9.1 चयनित शत प्रतिशत ग्रामों में कराये गये कार्यो से ग्रामवासियों पर प्रभाव पड़ा है जिसके अन्तर्गत वन से स्थानीय लोगों को चारा पत्ती, घास, आदि मिलने से पशुओं को पालने में सहायक हुआ। जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ा, आय में पूर्व की अपेक्षा लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

3.9.2 रोजगार की उपलब्धता के कारण स्थानीय श्रमिकों की आय में वृद्धि हुई । कार्य स्थल के नजदीक कृषकों की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने से पैदावार में वृद्धि हुई।

3.10 चयनित कार्यों के अवलोकन का विवरण :

3.10.1 चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो के अवलोकन उपरान्त की स्थिति का विवरण निम्न मदों में दर्शाया जा रहा है :–

(i) **मरूस्थल प्रसार रोक** :

वृक्षारोपण से क्षेत्र में मरू प्रसार पर रोक लगी है व हरियाली बढ़ी है, भूमि का संरक्षण बढ़ा, भू व जल संरक्षण में वृद्धि हुई, मिट्टी का कटाव रूका, एवं नमी बढ़ी है।

(ii) **रेत उड़ने के संबंध में** :

वृक्षारोपण से रेत उडने पर रोक लगी, पर्यावरण में सामान्य सुधार हुआ है। भू–संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

(iii) **जैव विविधता के संबंध में :**

प्राकृतिक पौधो की वृद्धि हुई ,जंगली जानवरो वन्य प्राणियों, पक्षियों को संरक्षण मिला, पानी की सुविधा जंगली जानवरों को प्राप्त हुई । स्थानीय जैव विविधता से जान वरों को पनाह मिली ।

(iv) क्षेत्र के लोगों को चारा, घास आदि पशुओं के लिए प्राप्त हुई । वन क्षेत्र विकसित होने से भविष्य में ईधन, इमारती लकडी, लघुवन उपज, आदि मिलने की उम्मीद बढी ।

(v) **रोजगार :**

स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से पलायन रूका, रोजगार प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, पहले की अपेक्षा अधिक रोजगार प्राप्त हुआ जिससे रहन–सहन में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ।

(vi) **पर्यावरण :**

पर्यावरण के प्रति जागरूकता, जंगल सुरक्षा के प्रति रूझान बढ़ा, पर्यावरण में सुधार हुआ जिससे शुद्ध वातावरण मिला है।

3.11 सृजित कार्यो से ग्राम का विकास :

3.11.1 वृक्ष विहिन क्षेत्र में वृक्षारोपणा कार्यो से पौधे तैयार होने से क्षेत्र को हरियाली मिली, जल व भू–संरक्षण होने से भूमि कटाव व मरूस्थल प्रसार पर रोक लगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से, आय में वृद्धि होने से, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पडा। आपसी सहयोग सहभागिता विकसित होने से ग्राम के विकास के हर स्तर पर अच्छा व सकारात्मक प्रभाव हुआ। वनों के प्रति जागरूकता बढ़ी। पानी की उपलब्धता बढी, ग्राम के विकास के क्षेत्र में लघु वन उपज में बढोत्तरी हुई।

3.12 चयनित वृक्षारोपण स्थल का विवरण :

3.12.1 अध्ययन हेतु चयनित किये वृक्षारोपण स्थलों में लगाये गये पौधो का विवरण , जीवित पौधो का विवरण एवं अन्य का विवरण निम्न मदों में दिया जा रहा है :–

3.13 चयनित कार्य स्थलों का विवरण :

3.13.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये वृक्षारोपण कार्य स्थलों का विवरण, लगाये गये पौधो का भौतिक सत्यापन व अन्य जानकारी प्राप्त की गयी जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या–24

चयनित कार्य स्थलों का विवरण

(क्षेत्रफल–हैक्टर)

क्र.सं.	चयनित जिले	चयनित कार्य स्थल	चयनित कार्य स्थल						
			आर.डी.एफ			आर.बी. एच.	पी.ई.ओ.	पंचायत भूमि	योग
			I	II	योग				
1.	उदयपुर	11	150	300	450	–	150	15	615
2.	चितौडगढ़	8	190	140	330	–	50	–	380
3.	दौसा	5	140	–	140	100	–	–	240
4.	सीकर	7	300	–	300	–	–	14	314
	योग	**31**	**780**	**440**	**1220**	**100**	**200**	**29**	**1549**

3.13.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियेाजना के अन्तर्गत चार प्रकार के कार्य यथा आर.डी.एफ प्रथम, द्वितीय, आरबीएच, पी,ई,ओ एवं पंचायत भूमि वृक्षारोपण का क्षेत्रीय कार्य के लिए चयन किया गया अर्थात कुल 1549 हैक्टर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षित विभिन्न कार्यो का विवरण आगामी मदों में दिया जा रहा है।

3.14 वृक्षारोपण :

3.14.1 चयनित जिलों में वृक्षारोपण कार्यो के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रों में खोदे गये गड्डो, लगाये गये पौधे, मानदण्डानुसार पौधों की संख्या का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–25
वृक्षारोपण अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण

(क्षेत्रफल –हैक्टर में– गड्डों – संख्या लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित क्षेत्र							
		आर.डी.एफ I				आर.डी.एफ II			
		क्षेत्रफल	पौधे/गड्डो की संख्या		मानदण्डानुसार प्रति 400 हैक्टर	क्षेत्रफल	पौधे/गड्डो की संख्या		मानदण्डानुसार प्रति 200 हैक्टर
1.	उदयपुर	150	0.45	0.45	0.60	300	0.60	0.60	0.60
2.	चित्तौडगढ़	190	0.64	0.64	0.76	140	0.28	0.28	0.28
3.	दौसा	140	0.60	0.60	0.56	–	–	–	–
4.	सीकर	300	1.36	1.36	1.20	–	–	–	–
	योग	**780**	**3.05**	**3.05**	**3.12**	**440**	**0.88**	**0.88**	**0.88**

3.14.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना (आर.डी.एफ I) के तहत चयनित क्षेत्र में 780 हैक्टर में कुल 3.05 लाख गड्डे खोदे गये एवं इतने ही पौधे लगाये गये जबकि उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये मानदण्डानुससार 400 पौधे प्रति हैक्टर के आधार पर 3.12 लाख पौधे लगाये जाने चाहिए थे जो 2.25 प्रतिशत (7) कम थे।

3.14.3 परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना (आर.डी.एफ II) में चयनित क्षेत्र कार्यस्थल 440 हैक्टर में 0.88 लाख गड्डे खोदे गये एवं इतने ही पौधे लगाये गये जो तालिका में दिये गये मानदण्डानुसार 200 प्रति हैक्टर के आधार पर है।

3.15 वृक्षविहीन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण :

3.15.1 चयनित जिलों में वृक्षारोपण के अन्तर्गत वृक्षविहीन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण (आर.बी.एच.) प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण में उत्पादकता संवर्धन कार्य एवं पंचायत (सामुदायिक) भूमि पर वृक्षारोपण के कार्य कराये गये जिसका विवरण निम्न मदों में दिया जा रहा है :–

I वृक्षविहीन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण (आर.बी.एच.) का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–26
वृक्षविहीन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण (आर.बी.एच.) का विवरण

(संख्या लाखों में – क्षेत्रफल हैक्टर में)

क्र.सं.	चयनित जिला	क्षेत्रफल	गड्डों की संख्या	पौधों की संख्या	मानदण्डानुसार पौधों की संख्या
1.	उदयपुर	–	–	–	–
2.	चित्तौडगढ़	–	–	–	–
3.	दौसा	100	0.60	0.60	0.60
4.	सीकर	–	–	–	–
	योग	**100**	**0.60**	**0.60**	**0.60**

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित चार जिलों में से चयनित जिला दौसा में इस मद के अन्तर्गत 100 हैक्टर पौध रोपण किया गया जिसमें 0.60 लाख गड्डे खोदे गये एवं इतने ही पौधे रोपित किये गये जो इस मद हेतु तालिका में दर्शाये एक मानदण्डानुसार है।

II प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण एवं संवर्धन कार्य के अन्तर्गत लगाये गये बांस बीडा का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या–27
प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण एवं संवर्धन कार्य के अन्तर्गत लगाये गये बांस बीडा का विवरण

(गडडे–संख्या,पौध–संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	क्षेत्रफल	गडडों की संख्या	लगाये गये पौधों की संख्या	मानदण्डानुसार बीड की न्यूनतम संख्या	विशेष विवरण
1.	उदयपुर	150	0.25	0.25	22500	इस मद के अन्तर्गत बांस के कलम्पस अर्थात् वृक्ष पौधों, झाड़ियों का समूह व बांस बीड लगाये गये है।
2.	चित्तौडगढ़	50	0.10	0.10	7500	
3.	दौसा	–	–	–	–	
4.	सीकर	–	–	–	–	
	योग	**200**	**0.35**	**0.35**	**30000**	

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में इस मद में 200 हैक्टर के क्षेत्रफल में 0.35 लाख गडडे खोदे गये एवं इतने बांस बीड लगाये गये जो इस मद हेतु तालिका में दर्शाये मानदण्ड से 0.05 बीड (16.67प्रतिशत) अधिक है।

III पंचायत भूमि –

पंचायत (सामुदायिक) भूमि पर किये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या–28

पंचायत (सामुदायिक) भूमि पर किये गये वृक्षारोपण का विवरण

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित क्षेत्रफल हैक्टर	गडडों की संख्या	लगाये गये पौधों की संख्या	मानदण्डानुसार पौधें की संख्या
1.	उदयपुर	15	0.12	0.12	12000
2.	चित्तौडगढ़	–	–	–	–
3.	दौसा	–	–	–	–
4.	सीकर	14	0.12	0.12	11200
	योग	**29**	**0.24**	**0.24**	**23200**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में चयनित किये गये 29 हैक्टर क्षेत्र में पंचायत (सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण) किया गया एवं 0. 24 लाख गडडे खोदे गये व इतने ही पौधे लगाये गये जो इस मद हेतु तालिका दर्शाये गये मानदण्डानुसार 800 प्रति हैक्टर पोधे लगाये जाने चाहिए अर्थात कुल 23200 पौधे लगाये जाने चाहिए थे परन्तु 24000 पौधे लगाये गये। अतः निर्धारित मानदण्ड से 800 पौधे अधिक लगाये गये जो 3.45 प्रतिशत है।

3.16 पौधरोपण के वर्ष का विवरण :

3.16.1 सर्वेक्षण में चयनित किये गये कार्य स्थलों में रोपित किये गये पौधे के वर्ष का विवरण प्राप्त किया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–29

चयनित किये गये कार्य स्थलों में रोपित किये गये पौधे के वर्ष का विवरण

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित कार्य स्थल संख्या	वर्षा का विवरण			
			2004–05	2005–06	2006–07	योग
1.	उदयपुर	11	1	5	5	11
2.	चित्तौडगढ़	8	3	2	3	8
3.	दौसा	5	1	2	2	5
4.	सीकर	7	4	1	2	7
	योग	**31**	**9**	**10**	**12**	**31**
	प्रतिशत		**29.03**	**32.26**	**38.71**	**100**

3.16.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 31 कार्य स्थलों में से 9(29.03प्रतिशत) वर्ष 2004–05 के थे, 10(32.26प्रतिशत) वर्ष 2005–06 के तथा 12(38.71प्रतिशत) 2006–07 तक के थे । अतः स्पष्ट है कि अध्ययन हेतु सभी वर्षों के कार्य स्थलों को समावेशित किया गया है, ताकि समग्र रूप से अध्ययन की प्रगति प्राप्त हो सके। परियोजन वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ हुई थी लेकिन प्रारम्भ में परियोजनान्तर्गत प्रारम्भिक कार्य किये गये इस कारण वास्तविक वृक्षारोपण कार्य 2004–05 से प्रारम्भ हुआ।

3.17 पौधो की किस्म का विवरण :

3.17.1 अध्ययन हेतु सर्वेक्षित किये गये कार्य स्थलों पर लगाये गये पौधो एवं मानदण्डानुसार प्रति हैक्टर पौधो की संख्या का विवरण निम्न मदों मे दिया जा रहा है :–

(i) परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना I :

चयनित कार्य स्थलों पर रोपित किये गये पौधो का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–30

चयनित कार्य स्थलों पर रोपित किये गये पौधो का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	कार्य स्थल की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टर	लगाये पौधो की संख्या	पौधो की किस्म
1.	उदयपुर	2	150	45000	चुरैल, आंवला, नीम, बैर,बांस,खेर, सीताफल, लसोडा, देशी बबूल, रोज,करांज
2.	चित्तौडगढ	4	190	64000	नीम, बांस, आंवला, खेर,बीलपत्र,चुरेल, बहेडा, बैर, खिरनी, बबूल, कुमठा, रोज
3.	दौसा	3	140	60000	बबूल कुमठा, टोटलिस, पापडी, देशी बबूल,रोध, चुरेल, खैर, बेर
4.	सीकर	6	300	136000	रोध,कुमठा, चुरेल, बेर, देशी कीकर, टोटलिस, देशी बबूल, नीम,अरड, इजराईली बबूल, खेजड़ा
	योग	**15**	**780**	**3,05,000**	–

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता हे कि चयनित जिलों में चयनित कार्य स्थलो में परिभ्रांषित वनों की पुर्नस्थापना के कुल 780 हैक्टर क्षेत्रफल में 3,05,000 पौधे लगाये गये जो प्रति हैक्टर 391 पौध के आधार पर है जबकि मानदण्डानुसार 400 पौधे प्रति हैक्टर होने चाहिए थे । पौधरोपण में चुरेल, आंवला, नीम, बेर, बांस, खेर, सीताफल, लसांडा, देशी बबूल, रोज, कंरज, कुमठा, बहेडा, बीलपत्र, बैर, खिरनी, टोटलिस,रोध, इजराईली बबूल, खेजडा के पौधे रोपित किये गये जो कि क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप चयन किया जाना विभाग के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया।

(ii) **परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना II :**

चयनित कार्य स्थल में लगाये गये पौधो का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–31

चयनित कार्य स्थल में लगाये गये पौधो का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	कार्य स्थल की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टर	लगाये पौधो की संख्या	पौधो की किस्म
1.	उदयपुर	6	300	60000	बांस,आंवला,खिरनी, सीरस, नीम, बैर, हवन, आम, महुवा, खैर, चुरेल, सीताफल, देशी बबुल
2.	चित्तौडगढ	3	140	28000	आवंला, बेर, खैर, चुरेल, बांस, देशी बबूल, गूगल, बहेडा, खिरनी, रोज, बीलपत्र, अर्जन, धौंक, कुमठा
3.	दौसा	–	–	–	–
4.	सीकर	–	–	–	–
	योग	**9**	**440**	**88,000**	**–**

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में चयनित कार्य स्थलों में 440 हैक्टर में वृक्षारोपण किया गया। जिसमें बांस, आंवला, खिरनी, सीरस,नीम, बेर, हवन, आम, महुवा, खेर,चुरेल, सीताफल, देशी बबूल, गूगल,बहेडा, रोज, बीलपत्र, अर्जुन, धोक, कुमठा के पौधो को रोपित किया गया। सर्वेक्षण में पाया कि कुल 440 हैक्टर में लगाये पौधे निर्धारित मानदण्ड 200 प्रति हैक्टर के आधार पर लगाये गये ।

(iii) **वृक्ष विहिन पहाडियों पर पुर्नवनीकरण :**

चयनित चार जिलों में से दौसा में 100 हैक्टर का चयन कर 60,000 पौधे कुमठा, टोटलिस, पापडी, देशी बबूल के रोपित किये गये जो निर्धारित मानदण्डानुसार 600–700 प्रति हैक्टर के आधार पर है।

प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपणों में उत्पादकता संर्वधन कार्य चयनित चार जिलों में से चयनित जिला उदयपुर व चित्तौडगढ़ में किया गया। किये गये कार्य में से चयनित कार्य स्थल पर रोपित किये गये पौधों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–32

चयनित कार्य स्थल पर रोपित किये गये पौधों का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित कार्य स्थल संख्या	क्षेत्रफल हैक्टर	रोपित पौधो की संख्या	किस्म	विशेष विवरण
1.	उदयपुर	2	150	25000	बांस	पौधो को कल्म्पस किये गये है। नये गड्डे नहीं खोदे गये न वृक्षारोपण किया गया
2.	चित्तौडगढ़	1	50	10000	बांस	बांस कल्चर का कार्य किया गया
3.	दौसा	–	–	–	–	–
4.	सीकर	–	–	–	–	–
	योग	**3**	**200**	**35000**	**–**	**–**

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में कुल 200 हैक्टर में यह कार्य किया गया जिसके अन्तर्गत पौधो का कल्म्पस व बांस कल्चर का कार्य किया गया है। 200 बीडे के विरूद्ध 175 बीडे में ही कर्षण का कार्य कराया गया जो मानदण्ड से 25 बीड कम रोपित किये गये।

(v) पंचायत लैण्ड (सामुदायिक) पर वृक्षारोपण :

चयनित चार जिलों में से चयनित जिले उदयपुर व सीकर में यह कार्य किया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

तालिका संख्या–33

पंचायत लैण्ड (सामुदायिक) पर वृक्षारोपण का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	कार्य की संख्या	क्षेत्रफल	पौधो की संख्या	पौधो की किस्म
1.	उदयपुर	1	15	12000	देशी बबूल बैर, नीम
2.	चित्तौडगढ़	–	–	–	–
3.	दौसा	–	–	–	–
4.	सीकर	1	14	12000	इजरापली,बबूल, खेजडी, बांस, नीम
	योग	**2**	**29**	**24000**	**–**

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में इस मद में कुल 29 हैक्टर में कार्य किया गया एवं 24,000 देशी बबूल, बैर, नीम, खेजडी, इजरायली बबूल के पौधे लगाये गये जो निर्धारित मानदण्ड 800 प्रति हैक्टर के विपरीत 828 पौधे लगाये गये जो मानदण्ड से 28(3.50प्रतिशत) अधिक है।

सर्वेक्षण में चयनित 31 कार्यस्थलों में से शत प्रतिशत ने बताया कि योजना में अनुमोदित किस्म अनुसार पौधे लगाये गये। पौधो के विकास के संबंध में चयनित पौध–रोपण स्थलों में से 23(74.19प्रतिशत) का विकास अच्छा एवं 8(25.81प्रतिशत) का बहुत अच्छा था। अतः स्पष्ट है कि योजना में निहित मानदण्डानुसार पौधे लगाये गये व क्षेत्रीय अवलोकन पर पाया गया कि अधिकतम पौधो का विकास अच्छा था।

3.18 पौधो की जीवितता का विवरण :

3.18.1 पौधो की जीवितता का श्रेणीवार विवरण निम्न मदों में दिया जा रहा है–

3.19 परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना I :

3.19.1 इस मद में लगाये पौधे, क्षेत्रफल, जीवित पौधे, मृत पौधों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–34

परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना–I में लगाये पौधे, क्षेत्रफल, जीवित पौधे, मृत पौधों का विवरण

(सर्वेक्षण माह– जुलाई,08)

क्र. सं.	जिला	चयनित कार्य स्थल	मानदण्डानुसार पौधे		लगाये गये पौधे	जीवित पौधे	मृत पौधे
			क्षेत्रफल	संख्या			
1.	उदयपुर	3	150	0.60	45000	45000	–
2.	चित्तौडगढ़	4	190	0.76	64000	56000	8000
3.	दौसा	3	140	0.56	60000	35400	24600
4.	सीकर	6	300	1.20	136000	87040	48960
	योग	**16**	**780**	**3.12**	**305000**	**223440**	**81560**
	प्रतिशत					**73.26**	**26.74**

3.19.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना प्रथम में चयनित 15 कार्य स्थलों के 780 हैक्टर में मानदण्डानुसार 3.12 लाख पौधों के विरूद्ध 3.05 लाख पौधे लगाये गये जो 97.76 प्रतिशत है। लगाये गये पौधों में से सर्वेक्षण के दौरान 2.33 लाख (73.26 प्रतिशत) जीवित पाये गये एवं 0.82 पौधे (26.74प्रतिशत) मृत पाये गये।

3.20 परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना II :

3.20.1 इस मद में लगाये गये पौधे, क्षेत्रफल, जीवित पौधे, मृत पौधों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–35

परिभ्रांषित वनों की पुर्नस्थापना–II में लगाये पौधे, क्षेत्रफल, जीवित पौधे, मृत पौधों का विवरण

(सर्वेक्षण माह– जुलाई,08)

क्र. सं.	जिला	चयनित कार्य स्थल	मानदण्डानुसार पौधे		लगाये गये पौधे	जीवित पौधे	मृत पौधे
			क्षेत्रफल	संख्या			
1.	उदयपुर	6	300	60000	60000	58800	1200
2.	चित्तौडगढ़	3	140	28000	28000	24545	3455
3.	दौसा		–	–	–	–	–
4.	सीकर		–	–	–	–	–
	योग	**9**	**440**	**88000**	**88000**	**83345**	**4655**
	प्रतिशत					**94.71**	**5.29**

3.20.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता हे कि परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना द्वितीय में चयनित 9 कार्य स्थलों के 440 हैक्टर क्षेत्रफल में मानदण्डानुसार 0.88 लाख पौधे लगाये गये। जिसमें से सर्वेक्षण के दौरान 83345 पौधे जीवित पाये गये जो (94.71प्रतिशत) हैक्टर एवं 4665 पौधे मृत पाये गये जो 5.29 प्रतिशत है।

3.21 वृक्षविहीन पहाड़ियों पर पौध रोपण III :

3.21.1 इस मद के अन्तर्गत चयनित जिलों में से दौसा जिले में पौध रोपण किया गया जिसके तहत चयनित 100 हैक्टेर में 60000 पौधे लगाये गये जो मानदण्ड़ानुसार थे। सर्वेक्षण में लगाये गये पौधों में से 36300 (60.50 प्रतिशत) पौधे जीवित पाये गये एवं 23700 (39.50 प्रतिशत) पौधे मृत पाये जिसकी जगह कोई रिप्लेसमेन्ट नहीं किया गया पाया गया।

3.22 प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण में उत्पादकता संवर्धन कार्य IV :

3.22.1 इस मद में लगाये गये पौधे, क्षेत्रफल, जीवित पौधे, मृत पौधों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–36

प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण में उत्पादकता संवर्धन कार्य का विवरण

(सर्वेक्षण माह– जुलाई,08)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित कार्य स्थल	मानदण्डानुसार		लगाये गये पौधे	जीवित पौधे	मृत पौधे
			क्षेत्रफल	पौधे			
1.	उदयपुर	2	150	30000	25000	25000	–
2.	चित्तौडगढ़	1	50	10000	10000	10000	–
3.	दौसा	–	–	–	–	–	–
4.	सीकर	–	–	–	–	–	–
	योग	**3**	**200**	**40000**	**35000**	**35000**	–
	प्रतिशत					**100**	

3.22.2 प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण में संवर्धन कार्य के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में से चयनित जिला उदयपुर व चित्तौडगढ़ जिले में इस मद में वृक्षारोपण किया गया। जिसके अनुसार चयनित तीन स्थलो के 200 हैक्टर में 35000 पौधे लगाये गये जो निर्धारित मानदण्ड 400 प्रति हैक्टर अर्थात 40000 से कम है। सर्वेक्षण में पाया गया कि लगाये गये बांस के पौधों को कलम्पस किया गया है, में से शत प्रतिशत पौधे जीवित पाये गये।

3.23 पंचायत लैण्ड (सामुदायिक भूमि का वृक्षारोपण) पौध रोपण V

3.23.1 इस मद में लगाये गये पौधे, क्षेत्रफल, जीवित पौधे, मृत पौधों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–37
पंचायत लैण्ड (सामुदायिक भूमि का वृक्षारोपण) पौध रोपण कार्य का विवरण

(सर्वेक्षण माह– जुलाई,08)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित कार्य स्थल	मानदण्डानुसार		लगाये गये पौधे	जीवित पौधे	मृत पौधे
			क्षेत्रफल	पौधे			
1.	उदयपुर	1	15	12000	12000	12000	–
2.	चित्तौडगढ़	–	–	–	–	–	–
3.	दौसा	–	–	–	–	–	–
4.	सीकर	1	14	11000	12000	8342	3658
	योग	**2**	**29**	**23000**	**24000**	**20342**	**3658**
						84.76	**15.24**

3.23.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में पंचायत लैण्ड (सामुदायिक वृक्षारोपण) में पौधे रोपण में चयनित चार जिलों में से चयनित जिला उदयपुर एवं सीकर में इस मद में कार्य किया गया जिसके अन्तर्गत चयनित दो कार्य स्थलों के 29 हैक्टर में 24000 पौधे लगाये गये जो मानदण्ड से 1000(4.35प्रतिशत) अधिक है। सर्वेक्षण के दौरान लगाये गये पौधे में से 20342 पौधे (84.76प्रतिशत) जीवित पाये गये एवं 3658(15.24प्रतिशत) मृत पाये गये।

3.24 वानिकी कार्य हेतु स्वीकृत राशि का विवरण :

3.24.1 चयनित कार्य स्थलों हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय का वर्ष 2003–04 से 2006–07तक का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–38
वानिकी कार्य हेतु स्वीकृत राशि का विवरण

(पौध–लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित कार्य स्थल	लगाये गये पौध(2003–07)	आवंटन लाखों में	व्यय लाखों में	प्रति पौधे लागत (रूपये)	सर्वेक्षण के समय (जुलाई,08)जीवित पौधे	जीवित प्रति पौधे (रूपये)
1.	उदयपुर	11	1.42	92.79	86.641	61.01	1.41	61.00
2.	चित्तौडगढ़	8	1.02	96.00	94.70	92.84	0.91	92.84
3.	दौसा	5	1.20	51.36	51.36	42.80	0.72	42.80
4.	सीकर	7	1.48	52.692	49.273	33.29	0.95	33.29
	योग	**31**	**5.12**	**292.842**	**281.974**	**55.07**	**3.99**	**70.67**

स्त्रोत : वन विभाग

3.24.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों के चयनित 31 कार्य स्थलों में 5.12 लाख पौधे लगाये गये जिस हेतु राशि 292.842 लाख आवंटित किये गये जिसके विरूद्ध राशि 281.974 लाख व्यय किये गये अर्थात प्रति पौध लागत लगभग राशि 55.07/– आयी। सर्वेक्षण में पाया गया कि लगाये गये पौधो में से 3.99 लाख पौधे जीवित थे जिस पर प्रति पौध लागत राशि 70.67/– आयी है। अतः पुर्न पौध रोपण करें एवम् जनसहभागिता से कार्य स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करावें।

3.25 वृक्षारोपण हेतु लगाये गये श्रमिकों एवं भुगतान की गयी मजदूरी का विवरण :

3.25.1 अध्ययन हेतु चयनित किये कार्य स्थलों पर लगाये श्रमिकों एवं श्रमिकों को दी गयी मजदूरी का वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

3.26 परिभ्रांषित वनों की पुर्नस्थापना (आर.डी.एफ.I) :

तालिका संख्या–39
परिभ्रांषित वनों की पुर्नस्थापना (आर.डी.एफ.I) का विवरण

(श्रमिक–संख्या, राशि लाखों में)

क्र.सं.	चयनित जिला	कार्य स्थल संख्या	श्रमिकों की संख्या			कार्य दिवस	भुगतान राशि
			पुरूष	महिला	योग		
1.	उदयपुर	2	848	1037	1885	36848	23.31
2.	चित्तौडगढ़	4	20556	12704	33260	33260	22.64
3.	दौसा	3	1262	606	1868	36018	26.30
4.	सीकर	6	865	823	1688	53061	34.75
	योग	**15**	**23531**	**15170**	**38701**	**159187**	**107.00**
			60.80	**39.20**	**100**		

स्त्रोत – वन मण्डल अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार

3.26.1 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में 15 चयनित कार्य स्थलों में कराये गये परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना (आर.डी.एफ.I) में कुल 38701 श्रमिको को कार्य पर लगाया गया जिसमें से 23531 (60.80प्रतिशत) पुरूष व 15170(39.20प्रतिशत) महिला श्रमिकों को लगाया गया एवं 1.59 लाख कार्य दिवसों का सृजन किया गया। लगाये गये श्रमिकों को राशि 107.00 लाख का भुगतान किया गया अर्थात् 67/– रूपये प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया, जो निर्धारित दर 73/–प्रतिदिन से कम है।

3.27 परिभ्रांषित वनों की स्थापना (आर.डी.एफ.II) :

3.27.1 चयनित जिलों में इस मद में कराये गये कार्यो पर नियुक्त किये गये श्रमिकों एवं दी गयी मजदूरी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–40
परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना (आर.डी.एफ.II) का विवरण

(श्रमिक–संख्या, राशि लाखों में)

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित कार्य स्थल	श्रमिकों की संख्या			कार्य दिवस	भुगतान राशि
			पुरूष	महिला	योग		
1.	उदयपुर	6	1684	2105	3789	59887	43.72
2.	चित्तौडगढ़	3	13389	9818	23201	26795	19.56
3.	दौसा	–	–	–	–	–	–
4.	सीकर	–	–	–	–	–	–
	योग	**9**	**15067**	**11923**	**26990**	**86682**	**63.28**

3.27.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों (दौसा व सीकर में कार्य नहीं हुए) में परिभ्रांषित वनों की पुर्नस्थापना (आर.डी.एफ.II) में कराये गये 9 कार्यो में 26990 श्रमिकों द्वारा कार्य किया गया एवं 86682 कार्य दिवस सृजित किये गये अर्थात प्रत्येक श्रमिक द्वारा औसतन 3.21 कार्य दिवस कार्य किया कार्य हेतु कुल राशि 63.28 लाख की मजदूरी का भुगतान किया गया अर्थात प्रतिदिन 73/–रूपये के आधार पर भुगतान किया गया।

3.28 वृक्ष विहिन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण (आर.बी.एच.) :

3.28.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये कार्य स्थल में वृक्ष विहिन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण के कराये गये कार्य का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–41
वृक्ष विहिन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण (आर.बी.एच.) का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित कार्य स्थल	श्रमिकों की संख्या			कार्य दिवस	भुगतान राशि
			पुरूष	महिला	योग		
1.	उदयपुर	–	–	–	–	–	–
2.	चित्तौडगढ़	–	–	–	–	–	–
3.	दौसा	2	1285	**853**	2138	31620	23.08
4.	सीकर	–	–	–	–	–	–
	योग	**2**	**1285**	**853**	**2138**	**31620**	**23.08**
	प्रतिशत		**60.10**	**39.90**	**100**		

सूचना का स्त्रोत – वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार

3.28.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित किये गये कार्य स्थल में वृक्षारोपण हेतु कुल 2138 श्रमिकों को लगाया गया जिसमें से पुरूष 1285 (60.10 प्रतिशत) एवं महिला 853(39.90प्रतिशत) श्रमिकों को नियोजित किया गया एवं 31620 कार्य दिवस सृजित किये गये अर्थात् औसतन 14.80 कार्य दिवस सृजित किये जिस हेतु कुल राशि 23.08 लाख का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया । अतः प्रत्येक श्रमिक को औसतन 1080/–रूपये की राशि का भुगतान किया गया। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिदिन 73/–की दर से भुगतान किया गया जो निर्धारित दर के समान है।

3.29 पंचायत (सामुदायिक) भूमि पर वृक्षारोपण :

3.29.1 अध्ययन हेतु चयनित कार्य स्थल में से पंचायत भूमि पर किये वृक्षारोपण पर नियुक्त श्रमिक,मजदूरी एवं कार्य दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–42
पंचायत (सामुदायिक) भूमि पर वृक्षारोपण का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित कार्य स्थल	श्रमिकों की संख्या			कार्य दिवस	भुगतान की गयी राशि
			पुरूष	महिला	योग		
1.	उदयपुर	2	122	241	363	6664	4.29
2.	चित्तौडगढ़	–	–	–	–	–	–
3.	दौसा	–	–	–	–	–	–
4.	सीकर	1	94	43	137	2726	1.99
	योग	**3**	**216**	**284**	**500**	**9390**	**6.28**
	प्रतिशत		**43.20**	**56.80**	**100**		

स्त्रोत : वन विभाग।

3.29.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित किये गये कार्य स्थलों में पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण हेतु कुल 500 श्रमिकों को लगाया गया जिसमें पुरूष 216(43.20प्रतिशत) एवं महिला 284(56.80प्रतिशत) को लगाया गया एवं 9390 कार्य दिवस सृजित किये गये अर्थात् औसतन 18.78 कार्य दिवस सृजित किये गये एवं राशि 6.28 लाख का भुगतान मजदूरी का किया गया। अतः प्रत्येक श्रमिकों को औसतन 1256/–रूपये की राशि का भुगतान किया गया । तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिदिन 67/– के आधार पर भुगतान किया गया जो निर्धारित दर 73/– प्रतिदिन से कम है।

3.30 प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण में उत्पादकता संर्वधन कार्य :

3.30.1 चयनित किये गये जिलों में से जिला उदयपुर में किये गये पी.ई.ओ. कार्य में नियोजित किये श्रमिको, कार्य दिवस व मजदूरी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–43
प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण में उत्पादकता संर्वधन कार्य का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित कार्य स्थल	श्रमिकों की संख्या			कार्य दिवस	भुगतान राशि
			पुरूष	महिला	योग		
1.	उदयपुर	2	594	863	1457	20558	15.01
2.	चित्तौडगढ़	–	–	–	–	–	–
3.	दौसा	–	–	–	–	–	–
4.	सीकर	–	–	–	–	–	–
	योग	**2**	**594**	**863**	**1457**	**20558**	**15.01**
	प्रतिशत		**40.76**	**59.23**	**100**		

(–) = कार्य नहीं हुआ।

3.30.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित कार्य स्थल में वृक्षारोपण हेतु कुल 1457 श्रमिकों को नियुक्त किया गया जिसमें से पुरूष श्रमिक 594 (40.76प्रतिशत) एवं महिला श्रमिक 863(59.23प्रतिशत) को नियोजित किया गया एवं 20558 कार्य दिवस सृजित किये गये अर्थात ओसतन 14.11 कार्य दिवस सृजित किये जाकर राशि 15.01 लाख का भुगतान किया गया अर्थात् प्रत्येक श्रमिक को 1030/– की राशि का भुगतान किया गया। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक श्रमिक को 73/– प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया जो निर्धारित दर के समान है।

3.31 रोपित वृक्षों की सिचाई व्यवस्था का विवरण :

3.31.1 सर्वेक्षण में चयनित किये गये कार्य स्थल पर वृक्षों की सिंचाई स्त्रोतों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–44
रोपित वृक्षों की सिंचाई के स्त्रोतों का विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित कार्य स्थल	स्त्रोतो का विवरण			
			टैकर	नहर	प्राकृतिक	योग
1.	उदयपुर	11	–	–	11	11
2.	चित्तौडगढ़	8	6	1	4	8
3.	दौसा	5	–	–	5	5
4.	सीकर	7	7	–	6	13
	योग	**31**	**13**	**1**	**26**	**40**
	प्रतिशत		**41.94**	**3.23**	**83.87**	**129.03**

नोट– **एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।**

3.31.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 31 कार्य स्थलों में क्रमशः 13(41.94प्रतिशत) टैकर, 26(83.87 प्रतिशत) प्राकृतिक से वृक्षो की सिंचाई की व्यवस्था है। अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकतर वृक्षों की सिंचाई प्राकृतिक है अर्थात् वर्षा पर निर्भर है।

3.32 वृक्षारोपण से क्षेत्र में पड़े प्रभाव का विवरण :

3.32.1 सर्वेक्षण में शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि वृक्षारोपण से क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है। जिसके अन्तर्गत क्रमशः 26(83.87प्रतिशत) ने आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, 29(93.55प्रतिशत) ने पशुओं के लिए घास व जलाने हेतु ईधन प्राप्ति में वृद्धि हुई, 30(96.77प्रतिशत) ने पर्यावरण में वृद्धि, 17(54.84प्रतिशत) ने जल व भू–संरक्षण में सुधार हुआ, 4(12.90प्रतिशत) ने मजदूरी मिलने से पलायन रूका, 5 (16.13प्रतिशत) ने वन्य जीवों की सुरक्षा व वनजीवों को आश्रय प्राप्त हुआ।

3.33 अन्वेषण द्वारा कार्य स्थलों के निरीक्षण उपरान्त वस्तु स्थिति का विवरण :

3.33.1 सर्वेक्षण के दौरान चयनित 31 कार्य स्थलों का भौतिक निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार चयनित 31 कार्य स्थलों में से 19 (91.29 प्रतिशत) वृक्षारोपण स्थल में रोपित पौधों में अच्छी प्रगति होने से अच्छी गुणवत्ता के वृक्ष विकसित होने की संभावना है, 8 (25.81 प्रतिशत) कार्य स्थल उच्च स्तर के व सर्वोत्तम है, 4 (12.90 प्रतिशत) कार्य स्थलों में प्राकृतिक आश्रय सुरक्षित कुऐं है, व्यक्त किया गया। शत–प्रतिशत ने ट्रेन्चों पर बीजारोपण से अंकुरित पौधों की अच्छी ग्रोथ हुई है, विशेष कर कुमठा के पौधों की, रोपित पौधों में देशी बबूल की ग्रोथ अच्छी है। शत–प्रतिशत कार्य स्थलों पर बाडबन्दी थी, पत्थर की दीवार एवं खाई खोदकर भी बाडबन्दी की हुई है।

3.34 वृक्षारोपण में समितियों की सहभागिता के संबंध में विवरण :

3.34.1 शत–प्रतिशत ग्रामों में वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों का गठन किया हुआ है। चयनित ग्रामों में क्रमशः वर्ष 2003–04 तक 19 समितियों एवं वर्ष 2004–05 में 12 समितियों का गठन किया गया।

3.34.2 गठित की गयी ग्राम वन सुरक्षा प्रबन्धन समितियों द्वारा क्रमशः वानिकी विकास कार्य, सामुदायिक विकास कार्य, जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, स्वयं सहायता समूह निर्माण कार्य, वृक्षारोपण सुरक्षा में सहयोग, महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दिलवाना, जैव विविधता संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, ग्रामों में जनता की आवश्यकता अनुरूप कार्यों का चयन/प्रस्ताव तैयार करवाकर भिजवाने में, कार्यों में सहभागिता/श्रम, श्रमिकों को भुगतान, वन क्षेत्र में उपलब्ध पशु चारा/घास में, अवैध लकड़ियों के कटाने में, सुरक्षा में, एस.एच.जी. को ऋण उपलब्ध कराने में इत्यादि कार्यों में सहयोग कर कार्य पूर्ण कराया गया।

3.34.3 महिला उप समितियों का गठन योजना प्रारम्भ होने से पूर्व चयनित स्थलों पर अन्य योजना में किया हुआ था जिसको इस योजना में भी सम्मिलित कर लिया गया। अध्ययन के दौरान क्षेत्रीय निरीक्षण में पाया गया कि शत प्रतिशत गठित ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति कार्यरत थी, 11 समितियों (35.48प्रतिशत) द्वारा वर्ष में कम

से कम 3 बार बैठकें आयोजन एवं वर्ष में दो बार ग्राम सभाऐं आयोजित करना अवगत हुआ। आवश्यक होने पर समिति जब चाहे बैठक कर लेती है। इन बैठकों में वन विकास से सम्बन्धित सभी मदों पर विमर्श कर प्रभावी कार्यवाही की जाने की स्थिति में अध्ययन दल को अवगत कराया गया।

3.35 ग्राम में कराये गये कार्यो से समितियों को हुए लाभ का विवरण :

3.35.1 निरीक्षित किये गये 31 कार्य स्थलों में से 29 (93.55प्रतिशत) में समितियों के कारपस फण्ड का सृजन, ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त होना व्यक्त किया गया। 20 (64.52 प्रतिशत) ने लघु वन उपज प्राप्त होना, 19 (61.29 प्रतिशत) ने वृक्षारोपण से घास प्राप्त होना, 10 (32.25 प्रतिशत) ने जल स्तर में वृद्धि होना, 13 (41.93 प्रतिशत) ने पर्यावरण में सुधार होना व्यक्त किया। उपरोक्त के अलावा चयनित कार्य स्थलों/ग्रामों में खुर्रा एवं नाली निर्माण से गन्दगी कम होना, शमशान घाटों में टीनशैड बनाने से छाया उपलब्ध होना व वर्षा जल संग्रह से राहगीरों एवं चरवाहों को जल प्राप्त होना भी व्यक्त किया गया तथा आय का होना भी बताया गया।

3.36 स्थल के चयन के संबंध में विवरण :

3.36.1 स्थानीय समुदाय/ग्राम वन विकास समिति व गैर सरकारी एजेन्सियों की राय ली गयी, ने व्यक्त किया कि स्थल का चयन निर्धारित मानदण्डानुसार हुआ एवं चयन क्षेत्र में वन सुरक्षा समिति एवं विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र की आवश्यकतानुसार उपलब्ध स्थान का चयन किया गया/जाता है। ग्रामवासियों व सुरक्षा समितियों की बैठक में समस्त पहलुओं जैसे पौधरोपण व उससे लाभ के संबंध में विचार विमर्श करके किया गया।

3.36.2 चयनित 31 कार्य स्थलों में से 4(12.90प्रतिशत) ने चयन में कठिनाई आना व्यक्त किया शेष 27(87.10प्रतिशत) ने कोई कठिनाई व्यक्त नहीं की। जिन कार्य स्थलों ने कठिनाई व्यक्त की उनके द्वारा बताया गया कि भूमि में खड्डे खोदते समय चट्टान आने से पौधों का विकास कम होता एवं जीवितता दर कम होती है।

3.36.3 इस समस्या को दूर करने हेतु सुझाव दिया गया कि वृक्षारोपण करने से पूर्व भूमि की जांच स्वरूप सैम्पल लेकर भूमि उपयुक्त पाये जाने पर कार्य किया जावें।

3.36.4 चयनित शत प्रतिशत कार्य स्थल में सुरक्षा हेतु चौकीदार की नियुक्ति की हुई है एवं वेतन वन विभाग व इको डबलपमेन्ट कमेटी द्वारा दिया जाता है। चौकीदार की उपयोगिता यह है कि स्थल को मवेशियों से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखता है।

3.37 लाभप्राप्तकर्ताओं के विचारों का विवरण :

3.37.1 यहाँ सभी वर्ग के लाभार्थियों का चयन किया गया ताकि कार्यक्रम के सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी समाज के प्रतिनिधियों से प्राप्त हो सके। अध्ययन हेतु चयनित किये गये लाभप्राप्तकर्ताओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–45
लाभप्राप्तकर्ताओं का विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	जिला	उत्तरदाताओं की संख्या	जातिवार विवरण			व्यवसाय का विवरण			
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कृषि	पशु–पालन	मजदूरी	अन्य
1.	उदयपुर	30	6	16	8	26	15	20	1
2.	चित्तौडगढ़	20	–	12	8	20	11	11	–
3.	दौसा	25	4	12	9	9	3	13	–
4.	सीकर	35	11	–	24	20	–	15	–
	योग	110	21	40	49	75	29	59	1
	प्रतिशत		**19.09**	**36.36**	**44.55**	**68.18**	**26.36**	**53.64**	**0.91**

3.37.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में कुल 110 लाभप्राप्तकर्ताओं का साक्षात्कार हेतु चयन किया गया जिसमें से 21(19.09प्रतिशत) अनुसूचति, 40(36.30प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के व 49(44.55प्रतिशत) सामान्य जाति के थे। चयनित किये गये लाभप्राप्तकर्ताओं में से 75(68.19प्रतिशत) का कृषि व्यवसाय था, 29(26.36प्रतिशत) का कृषि के साथ पशुपालन व 59(53.64प्रतिशत) मजदूरी का कार्य कर रहे थे केवल 1(0.09प्रतिशत) ने अन्य कार्य अपनाया हुआ था।

3.38 वृक्षारोपण की उपयोगिता के संबंध में लाभप्राप्तकर्ताओं के विचार :

3.38.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये लाभप्राप्तकर्ताओं से उनके ग्राम में कराये गये वृक्षारोपण कार्यो की उपयोगिता के संबंध में विचार प्राप्त किये गये जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–46
वृक्षारोपण की उपयोगिता के संबंध में लाभप्राप्तकर्ताओं के विचारों का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता संख्या	कार्य कराये गये		यदि हाँ तो कार्य उपयोगी एवं पूर्ण है		जल एवं मृदा संरक्षण कार्य *		यदि हाँ तो किस प्रकार	
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	1	2
1.	उदयपुर	30	30	–	30	–	29	1	21	12
2.	चित्तौडगढ़	20	20	–	20	–	20	–	20	–
3.	दौसा	25	25	–	25	–	25	–	25	–
4.	सीकर	35	35	–	35	–	35	–	35	–
	योग	**110**	**110**	**–**	**110**	**–**	**109**	**1**	**101**	**12**
	प्रतिशत		**100**		**100**		**99.09**	**0.90**	**92.66**	**10.90**

कोड– 1. पानी को रोकने हेतु चैक डैम, वी डिन्थ ट्रैन्च बनवाये जिसे मिट्टी का कटाव रूका एवं पानी का भराव हुआ।

2. नाडी व गेवियन स्ट्रैक्चर बनाना

***** = कराये गये कार्यों का विवरण पैरा 3.38.3 में दिया गया है।

3.38.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता हे कि चयनित जिलों में चयनित 110 उत्तरदाताओं में से शत–प्रतिशत ने मत व्यक्त किया कि ग्राम में कराये गये वानिकी कार्य उपयोगी व पूर्ण हैं।

3.38.3 तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि चयनित 110 उत्तरदाताओं में से 109 (99.09प्रतिशत) ने व्यक्त किया कि ग्राम में जल व मृदा संरक्षण के कार्य कराये गये व 1 (0.09प्रतिशत) के ना में मत व्यक्त किया। क्योंकि समतल क्षेत्र होने से मृदा का कार्य नहीं किया गया। हाँ में मत व्यक्त करने वाले 109 उत्तरदाताओं में से 101 (92.66प्रतिशत) ने चैक डेम, वी–डिन्थ ट्रेन्च आदि बनवाये, 12 (11.01प्रतिशत) ने नाडी व गेवियन स्ट्रेक्चर बनाया जाना व्यक्त किया जिससे पानी रूका, मिट्टी का कटाव रूका व पानी भराव हुआ जो पौधों को नमी प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ।

3.39 वृक्षारोपण से पर्यावरण में सुधार का विवरण :

3.39.1 चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं का वृक्षारोपण से पर्यावरण में हुये सुधार का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या–47
वृक्षारोपण से पर्यावरण में सुधार का विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता संख्या	पर्यावरण में सुधार		पर्यावरण सुधार का विवरण (कोड)	
			हाँ	नहीं	1	2
1.	उदयपुर	30	25	5	25	–
2.	चित्तौडगढ़	20	20	–	20	–
3.	दौसा	25	25	–	25	7
4.	सीकर	35	35	–	35	12
	योग	**110**	**105**	**5**	**105**	**19**
			95.45	**4.55**	**100**	**18.10**

कोड– 1. वृक्षारोपण के पश्चात् हरियाली विकसित होने से पर्यावरण प्रभावित हुआ व लोगों को शुद्ध हवा प्राप्त हुई।
2. वृक्षारोपण से समय पर वर्षा होने की सम्भावना बढ़ी।

3.39.2 तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से 105(95.45प्रतिशत) ने पर्यावरण में सुधार होना व्यक्त किया, 5(4.55प्रतिशत) ने ना में मत व्यक्त किया। जिन उत्तरदाताओं ने हाँ में मत व्यक्त किया उनमें से शत प्रतिशत 105 ने वृक्षारोपण के पश्चात हरियाली विकसित होने से पर्यावरण प्रभावित हुआ व जनता को शुद्ध हवा प्राप्त हुई, 19(18.10प्रतिशत) ने वृक्षारोपण से समय पर वर्षा होने की संभावना बढ़ी व्यक्त की गयी।

3.40 वृक्षारोपण से ग्रामवासियों को ईधन,लकड़ी, चारापत्ती एवं लघु वन उपज की उपलब्धता का विवरण :

3.40.1 वृक्षारोपण से प्राप्त ईधन लकडी, चारा पत्ती के संबंध में लाभप्राप्तकर्ताओं के विचारों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–48
वृक्षारोपण से ग्रामवासियों को ईधन,लकड़ी, चारापत्ती एवं लघु वन उपज की उपलब्धता का विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता की संख्या	ईधन, चारा के संबंध में विचार			यदि हाँ तो आवश्यकता की पूर्ति हुई		यदि हाँ तो किस प्रकार (कोड)	
			हाँ	नहीं	उत्तर नहीं	हाँ	नहीं	1	2
1.	उदयपुर	30	23	2	5	22	1	20	8
2.	चित्तौडगढ़	20	20	–	–	20	–	20	19
3.	दौसा	25	25	–	–	25	–	25	9
4.	सीकर	35	35	–	–	35	–	35	13
	योग	**110**	**103**	**2**	**5**	**102**	**1**	**100**	**49**
	प्रतिशत		**93.64**	**1.82**	**4.54**	**99.03**	**0.97**	**98.04**	**48.04**

कोड– 1. वृक्षारोपण के पश्चात् क्षेत्र में हरियाली विकसित होना प्रारम्भ हुआ, चारा, घास आदि की उपलब्धता बढ़ी।
2. भविष्य में ईधन, लकड़ी व अन्य लघु वन उपज मिलने की उपलब्धता हुई।

3.40.2 तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में चयनित 110 लाभप्राप्तकर्ताओं में से 103 (93.64प्रतिशत) ने ईधन,चारा एवं लघु वन उपज की उपलब्धता होना स्वीकारा जबकि 2(1.82प्रतिशत) ने नहीं होना व्यक्त किया। जिन उत्तरदाताओं ने हाँ में मत व्यक्त किया उनमें से 102(99.03प्रतिशत) ने आवश्यकता की पूर्ति होना व्यक्त किया व 1(0.97प्रतिशत)ने नहीं होना व्यक्त किया। आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में 100(98.04प्रतिशत) ने वृक्षारोपण से क्षेत्र में हरियाली विकसित होना प्रारम्भ हो गया है व चारा, घास आदि उपलब्ध हुई। 49(48.04 प्रतिशत) ने भविष्य में ईधन, लकडी व अन्य लघु वन उपज की उपलब्धता होना व्यक्त किया।

3.40.3 जिन उत्तरदाताओं ने नहीं में उत्तर दिया उनके द्वारा वृक्षारोपण को दो वर्ष हुए है इसलिए भविष्य में लाभ उपलब्ध होने की आशा व्यक्त की है।

3.41 क्षेत्र में हरियाली के संबंध में विचार :

3.41.1 चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं से क्षेत्र में हरियाली के संबंध में विचार प्राप्त करने पर शत प्रतिशत ने हरियाली का बढ़ना स्वीकारा।

3.42 रोजगार के संबंध में :

3.42.1 शत प्रतिशत ने व्यक्त किया कि वृक्षारोपण कार्यो से रोजगार प्राप्त हुआ। रोजगार प्राप्त के संबंध में चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं में से क्रमशः 59(53.64प्रतिशत)ने 25 प्रतिशत तक रोजगार मिला, 30(27.27प्रतिशत) ने 26 से 56 प्रतिशत तक रोजगार प्राप्त होना, 19(17.27प्रतिशत) ने 50 से 75 प्रतिशत तक रोजगार एवं केवल 2 (1.82प्रतिशत) ने 76 से 100 प्रतिशत तक रोजगार प्राप्त होना व्यक्त किया।

3.43 जलग्रहण क्षेत्र में कराये गये कार्यो का विवरण :

3.43.1 सर्वेक्षण में चयनित क्षेत्र में वृक्षारोपण से पूर्व कराये गये जल मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यो की जानकारी प्राप्त की गयी जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–49

जलग्रहण क्षेत्र में कराये गये कार्यों का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता की संख्या	मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य			यदि हाँ तो क्या– क्या कार्य कराये गये (कोड)		कराये गये कार्यो में जल का समुचित मात्रा/आवक	
			हाँ	नहीं	उत्तर नहीं दिया	1	2	हाँ	नहीं
1.	उदयपुर	30	26	4	–	26	18	21	5
2.	चित्तौडगढ़	20	20	–	–	20	–	20	–
3.	दौसा	25	–	–	25	–	–	–	–
4.	सीकर	35	–	–	35	–	–	–	–
	योग	**110**	**46**	**4**	**60**	**46**	**18**	**41**	**5**
	प्रतिशत		**41.82**	**3.64**	**54.54**	**100**	**39.13**	**89.13**	**10.87**

कोड नम्बर : 1– चैक डेम, नाडी एवं गेवियन का निर्माण
2– वृक्षा रोपण किया गया

3.43.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में चयनित 110 लाभप्राप्तकर्ताओं में से 46(41.82प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि मृदा एवं नमी संरक्षण के कार्य कराये गये व 4(3.64प्रतिशत) ने नहीं में उत्तर दिया एवं 60(54.54प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। जिन उत्तरदाताओं ने हाँ में व्यक्त किया उनमें से शत प्रतिशत ने चैकडेम, नाडी एवं गेवियन संरचना का निर्माण किया जाना बताया व 18(39.13प्रतिशत) ने मृदा एवं नमी संरक्षण के बाद वृक्षारोपण किया जाना व्यक्त किया। सर्वेक्षण में कराये गये निर्माण संरचनाओं में जल की समुचित मात्रा व आवक के संबंध में 41 (89.13प्रतिशत) ने हाँ में व 5(10.87प्रतिशत) ने नहीं मत व्यक्त किया।

3.44 संस्था का विवरण जिसके द्वारा कार्य कराये गये :

3.44.1 संस्था द्वारा कराये गये मृदा व नमी संरक्षण के कार्यो का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–50
संस्था का विवरण जिसके द्वारा कार्य कराये गये

(संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता की संख्या	संस्था का विवरण	
			वन विभाग	परिस्थिति व विकास समिति
1.	उदयपुर	26	26	–
2.	चित्तौडगढ़	20	8	17
3.	दौसा	–	–	–
4.	सीकर	–	–	–
	योग	**46**	**34**	**17**
	प्रतिशत	**100**	**73.91**	**36.96**

नोट–एक से अधिक का उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।

3.44.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है जिन उत्तरदाताओं ने मृदा व नमी संरक्षण के कार्य कराया जाना व्यक्त किया उनमें से 34(73.91प्रतिशत)ने विभाग द्वारा कराया जाना व 17(36.96प्रतिशत) ने परिस्थितिवश विकास समिति द्वारा कराया जाना व्यक्त किया। सर्वेक्षण में 45(97.83प्रतिशत) ने व्यक्त किया कि कराये गये कार्यो से वृक्षों की पिलाई नहीं की जा रही है व 1(2.17प्रतिशत) ने हाँ में मत व्यक्त किया। ना में मत व्यक्त करने वालों में से 29(64.44प्रतिशत) ने परियेाजना में इसका प्रावधान नहीं होना व 18(40.00प्रतिशत) ने पूर्णतया वर्षा पर निर्भर होना बताया।

3.45 वानिकी कार्य से पूर्व ग्राम के सर्वेक्षण का विवरण :

3.45.1 चयनित किये ग्रामों के शत प्रतिशत चयनित लाभप्राप्तकर्ताओं का मत था कि कार्य कराने से पूर्व ग्राम का सर्वे किया गया। सर्वे पूर्ण करने के पश्चात शत प्रतिशत लाभप्राप्तकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग द्वारा ग्राम में वन सुरक्षा प्रबन्धन समिति का गठन कर चैकडेम, वी–डैम व ट्रेन्च बनवाकर योजना का क्रियान्वयन किया गया, 14(12.73प्रतिशत) का मत था कि वृक्षारोपण पश्चात समय–समय पर निरीक्षण किया गया। चयनित लाभप्राप्तकताओं में से क्रमशः 12 (10.91प्रतिशत) द्वारा बताया गया कि योजना का प्रारम्भ वर्ष 2003–04 में 63 (57.27प्रतिशत) ने 2004–05 से, 18(16.36प्रतिशत) द्वारा 2005–06 से व 10 (9.09प्रतिशत) द्वारा 2006–07 से क्रियान्वयन होना व्यक्त किया 7(6.36प्रतिशत) द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3.46 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति का विवरण :

3.46.1 शत प्रतिशत लाभप्राप्तकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया कि वानिकी कार्यो से पूर्व ग्राम में ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति का गठन किया गया। चयनित 109 (99.09प्रतिशत) ने वृक्षारोपण स्थल का चयन, वृक्षारोपण कराने एवं वृक्षारोपण पश्चात देखभाल करने में वन विभाग को सहयोग दिया एवं श्रमिक उपलब्ध कराना है व कराये, 8(7.27प्रतिशत) ने अवैध रूप लकड़ियों के कटने पर रोक का कार्य, 12(9.09प्रतिशत) ने कच्ची सड़क, चबूतरा, दीवार निर्माण, यात्री प्रतिक्षालय व पेयजल हेतु हैण्डपम्प इत्यादि कार्य कराये गये।

3.47 वृक्षारोपण की बाड़बन्दी के संबंध :

3.47.1 सर्वेक्षण में वृक्षारोपण स्थल पर की गयी बाड़बन्दी के संबंध में चयनित शत–प्रतिशत 110 उत्तरदाताओं का मत था कि बाड़बन्दी फैन्सिंग की हुई है।

3.48 वृक्षारोपण/मृदा नमी संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यो का प्रभाव :

3.48.1 शत प्रतिशत लाभप्राप्तकर्ताओं का मत था कि कराये गये कार्यो से कटाव रोकने में सहायक हुये, पर्यावरण में सुधार हुआ, ईधन भविष्य में मिलने में वृद्धि हुई स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हुआ, रोजगार से आय बढ़ी, सामाजिक क्षेत्र में समन्वय बढ़ा, एक साथ कार्य करने में भाईचारा बढा। चयनित 100(90.91प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि वृक्षारोपण से मृदा संरक्षण हुआ जिसके अन्तर्गत मिट्टी का कटाव रूका/नमी में वृद्धि हुई, 10(9.09प्रतिशत) ने बंजर भूमि उपजाऊ बनी बताया। 49(44.55प्रतिशत) ने पक्षियों को बैठने के लिए छाया मिली, जीवों में वृद्धि हुई व्यक्त किया।

3.48.2 उपरोक्त के अतिरिक्त 22(20प्रतिशत) ने पशुओं को चराने हेतु चारा पत्ती मिलने लगी, प्रत्येक 2(1.82प्रतिशत) ने वन्य जीव स्थायी रूप से रहने लगे, पलायन रूकना व्यक्त किया। 13(11.82प्रतिशत) ने दीवार चबूतरा, कच्ची सड़क, बस स्टैण्ड पर प्रतीक्षालय आदि जन उपयोगी कार्य से लाभ हुआ।

3.49 अधिकारी/गैर अधिकारियों का विवरण :

3.49.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये अधिकारी/गैर अधिकारियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–51
अधिकारी/गैर अधिकारियों का विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	अधिकारी	गैर अधिकारी	योग
1.	उदयपुर	5	3	8
2.	चित्तौडगढ़	11	2	13
3.	दौसा	7	5	12
4.	सीकर	7	7	14
	योग	**30**	**17**	**47**
	प्रतिशत	**63.83**	**36.17**	**100**

3.49.2 तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित 47 अधिकारी/गैर अधिकारियों में से 30(63.83प्रतिशत) अधिकारी उत्तरदाताओं एवं 17 (36.17प्रतिशत) गैर अधिकारी उत्तरदाताओं का चयन किया गया।

3.49.3 शत प्रतिशत चयनित 47 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि उनके क्षेत्र में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चलाई जा रही हैं एवं शत प्रतिशत ने बताया गया कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन परियोजना में निर्धारित मानदण्ड अनुसार जन सहभागिता प्राप्त कर निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किया जा रहा है परियोजना क्रियान्वयन विकास समितियों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से गाँव के विकास हेतु समग्र विकास योजना (माइक्रोप्लान) तैयार कर गतिविधियों के आंकलन उपरान्त विभाग से संबंधित गतिविधियों को मूर्तरूप दिया जा कर किया जा रहा है। यह येाजना राज्य में 18 जिलों में चलाई जा रही है।

3.49.4 सर्वेक्षण में शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि योजना का क्रियान्वयन स्थानीय ग्रामवासियों की आवश्यकता एवं सहमति के अनुसार उपलब्ध सामुदायिक भूमि/वन भूमि का चयन कर उपयुक्त मॉडल निर्धारित कर एवं माइक्रोप्लान के अनुसार कार्य का क्रियान्वयन किया जाता है। शत प्रतिशत उत्तरदाता स्थल के चयन से सहमत थे।

3.49.5 चयनित शत प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि यह विभाग द्वारा राज्य सरकार से राशि प्राप्त कर संबंधित वन मंडलों के माध्यम से कार्यकारी एजेन्सी को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उपलब्ध करायी जाती है।

3.49.6 शत प्रतिशत अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि योजनान्तर्गत क्रमशः वानिकी विकास, भू–संरक्षण, जल संरक्षण,कम्यूनिटी वेलफेयर, साझा वन प्रबन्धन, आर.बी.एच.,आर.डी.एफ I व II,पौधरोपण कार्य, इन्फ्रास्ट्रेक्चर विकास, नर्सरी में पौध तैयार कर वितरण करना, नमी संरक्षण निर्माण, एनीकट, नाडी, तलाई आदि कार्य अग्रिम फैसिगं कार्य चैक डैम विभिन्न ट्रेन्च आदि कार्य किये गये।

3.49.7 योजनान्तर्गत शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि पौधरोपण से पूर्व पौध तेयार की जाती है। चयनित स्थल के निकटतम पानी की उपलब्धता, स्थल की उपयुक्ता का आंकलन एवं मृदा की गुणवत्ता पौध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से नर्सरी तैयार की जाती है। वृक्षारोपण क्षेत्र से दूरी व लागत, पोध तैयारी हेतु नर्सरी स्थल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

3.50 भू–संरक्षण कार्य :

3.50.1 शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि वृक्षारोपण से पूर्व भू–संरक्षण कार्य कराये गये जिसके अन्तर्गत पत्थर एवं मिट्टी के चैक डैम, कन्टुर, ट्रैन्च, तलाई निर्माण जल एवं मृदा संरक्षण, स्ट्रैन्चर आदि कार्य कराये गये।

3.50.2 शत प्रतिशत अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि पौधरोपण पश्चात् पौधे का निरीक्षण किया जाता है। वन क्षेत्र के निरीक्षण के समय वृक्षारोपण क्षेत्र का निरीक्षण भली–भाँति किया जाता है व क्षेत्र में कराये गये कार्यो की नपती के समय कार्य स्थल पर ब्लाक्स के अनुसार गणना की जाती है। पौधरोपण निराई, पिलाई अग्रिम कार्य व संधारण कार्यो के दौरान पौधो का निरीक्षण कर उनमें सुधार किया जाता हैं पौधरोपण के दौरान व पौधरोपण के पश्चात समय–समय पर कार्य स्थल का निरीक्षण कर पौधरोपण में सुधार हेतु सुझाव दिये जाते है।

3.51 वृक्षारोपण की जीवित दर के संबंध में विचार :

3.51.1 अध्ययन हेतु चयनित 47 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं से पौध की जीवित दर के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–52

वृक्षा रोपण की जीवित दर के संबंध में विचारों का विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता की संख्या	जीवित दर प्रतिशत का विवरण			
			26–50%	51–75%	76–100%	योग
1.	उदयपुर	8	–	–	8	8
2.	चित्तौडगढ़	13	–	2	11	13
3.	दौसा	12	1	10	1	12
4.	सीकर	14	–	14	–	14
	योग	**47**	**1**	**26**	**20**	**47**
	प्रतिशत		**2.13**	**55.37**	**42.55**	

3.51.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से क्रमशः 1(2.13प्रतिशत) ने 26–50 प्रतिशत तक जीवित दर, 26(55.32प्रतिशत) ने 51 से 75 प्रतिशत तक व 20(42.55प्रतिशत) ने 76 से 100 प्रतिशत तक जीवित दर होना व्यक्त किया।

3.52 पौधो की पिलाई :

3.52.1 चयनित 47 अधिकारी/गैर अधिकारी में से 30(63.83प्रतिशत) ने पानी की पिलाई प्राकृतिक वर्षा जल से, 18(38.29प्रतिशत) ने टैकर, टेक हैण्डपम्प, कुआ इत्यादि से किया जाना व्यक्त किया व 1(2.13प्रतिशत) ने नहर के पानी में पाईप डालकर उससे पानी की व्यवस्था करना बताया। मानदण्डानुसार पिलाई के संबंध में 19 (40.43प्रतिशत) ने हाँ में मत व्यक्त किया व 11(23.40प्रतिशत) ने ना में एवं 17 (36.17प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। जिन उत्तरदाता ने ना में मत व्यक्त किया उनमें से 11 (23.40 प्रतिशत) ने वर्षा होने पर पिलाई होना व्यक्त किया।

3.53 पौधो का विकास :

3.53.1 अध्ययन हेतु चयनित 47 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं में से क्रमशः 27(57.45प्रतिशत) ने अच्छा, 18(36.29प्रतिशत) ने बहुत अच्छा व 2 अधिकारी उत्तरदाता (4.26प्रतिशत) ने ठीक बताया। विकास ठीक होने के कारणों में मवेशी का दवाब, वृक्षारोपण एवं उसके बाद क्षेत्र में वर्षा का औसत से कम होना, क्षेत्र में दीमक का अधिक प्रकोप होना बताया।

3.53.2 सर्वेक्षण में चयनित जिलो के चयनित अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं में से 18(38.30प्रतिशत) ने जैविक कार्य होना स्वीकार शेष 29(61.70प्रतिशत) ने नहीं होना बताया। जिन उत्तरदाताओं ने हाँ में उत्तर दिया वो सभी उदयपुर जिले के उत्तरदाता थे।

3.54 कार्यक्रम की सफलता के संबंध में अधिकारी/गैर अधिकारियों के विचार :

3.54.1 शत प्रतिशत चयनित 47 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं ने योजना को सफल बताया जिसका विवरण निम्न मदों में दिया जा रहा है :–

(i) हरियाली विकास :

चयनित उत्तरदाताओं में से 12(75.53प्रतिशत) ने क्षेत्र में हरियाली का विकास हुआ, प्रति इकाई क्षेत्रफल में बायोमास में वृद्धि हुई, पर्यावरण में सुधार हुआ।

(ii) **रोजगार :**

चयनित 35(74.47प्रतिशत) ने व्यक्त किया कि स्थानीय रोजगार ग्रामवासियों को प्राप्त हुआ जिससे आजीविका का विकास हुआ।

(iii) **लघुवन उपज :**

चयनित 35(74.47प्रतिशत) ने बताया कि लघुवन उपज एवं वन उपज में वृद्धि हुई।

(iv) **भू–संरक्षण :**

चयनित 35(74.47प्रतिशत) ने भू–संरक्षण में व जल संरक्षण में वृद्धि हुई।

(v) **जनसहभागिता :**

उपरोक्त कार्य से जनसहभागिता में वृद्धि हुई एवं जनता स्वावलम्बी बनी ग्रामवासियों को आवश्कतानुसार (घास) बांस कार्य का विकास हुआ।

(vi) **ग्रामवासियों पर प्रभाव :**

शत प्रतिशत चयनित 47 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं का मत था कि ग्रामवासियों को लाभ हुआ जिसका विवरण निम्न मदों में दिया जा रहा है।

(vii) **कृषि क्षेत्र में :**

चयनित 10(21.28प्रतिशत) ने घास प्राप्त होने से जानवरों की चराई से छुटकारा मिला, कृषि वानिकी के अन्तर्गत खेतों पर पेड़ लगाना तथा कुऐ/बोरवेल में जल स्तर बढना। कृषि भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि हुई। पेड पौधों की हरी पत्तियों से जैविक खाद मिली जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ी है।

(viii) **आर्थिक क्षेत्र में :**

चयनित शत प्रतिशत स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होना व्यक्त किया जिससे मजदूरी प्राप्त हुई, आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई/रहन–सहन में वृद्धि हुई।

(ix) **जैव विविधता :**

चयनित उत्तरदाताओं में से 22(46.80प्रतिशत) ने प्राकृतिक जंगल का विकास होने से वन्य जीवों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त हुआ।

(x) **घास प्राप्ति में :**

शत प्रतिशत ने योजना में कार्य होने से घास व चारा पत्ती प्राप्त होना बताया।

(xi) **अन्य क्षेत्र में :**

चयनित 47 उत्तरदाताओं में से 35(74.47प्रतिशत) ने वृक्षारोपण संधारण के लिए वन सुरक्षा प्रबन्धन समिति को कारपस फण्ड़ में सहायता राशि दिये जाने से सर्वागींण विकास होना व्यक्त किया।

3.55 महिलाओं को प्राप्त रोजगार का विवरण :

3.55.1 अध्ययन हेतु चयनित 47 उत्तरदाताओं में से शत प्रतिशत ने महिलाओं को रोजगार प्राप्त होना स्वीकारा। रोजगार के संबंध में क्रमशः चयनित उत्तरदाताओं में से 6(12.77प्रतिशत) ने 25 प्रतिशत, 23(48.94प्रतिशत) ने 26 से 50 प्रतिशत, 16 (34.04प्रतिशत) ने 51 से 75 प्रतिशत तक रोजगार प्राप्त होना बताया केवल 1 (2.13प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.55.2 शत प्रतिशत ने व्यक्त किया कि निर्धारित 73/–प्रतिदिन की दर से श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया गया। 39(82.98प्रतिशत) ने वन विभाग द्वारा भुगतान किया जाना, 8(17.02प्रतिशत) ने नहीं किया जाना व्यक्त किया।

3.56 योजना का क्रियान्वयन :

3.56.1 चयनित 47 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं में से 45(95.74प्रतिशत) ने ठीक प्रकार से होना एवं 2(4.26प्रतिशत) ने नहीं होना व्यक्त किया। शत प्रतिशत उत्तरदातओं ने एमओयू में अनुमोदित मदों अनुसार कार्य किया जाना व्यक्त किया। शत– प्रतिशत ने पुर्नभरण के प्रस्ताव भारत सरकार को समय पर भेजा जाना व्यक्त किया।

3.57 साझावन प्रबन्धन को सुदृढ बनाने वाली गतिविधियाँ :

3.57.1 सर्वेक्षण में अध्ययन हेतु चयनित किये गये जिले उदयपुर के चयनित ग्राम बोबस की ग्राम पंचायत पिलादर में साझावन प्रबन्धन को सुदृढ़ बनाने वाली गतिविधियों की गयी जिसके अन्तर्गत आय सृजन करने वाली गतिविधियों में सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाया गया। प्रशिक्षण हेतु स्वयं सहायता समूह गठित किये गये एवं समूहों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण वर्ष 2004–05 में दिया जाकर 8 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया जिसमें से अनुसूचित जाति का एक, अनुसूचित जन जाति के 6 लाभान्वित व एक अन्य जाति के लाभान्वितों को प्रशिक्षण से लाभान्वित किया गया। प्रशिक्षण हेतु राशि 0.25 लाख आवंटित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की कटिंग एवं सिलाई करना सिखाया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने से आय में 5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई व रूपये 15/– प्रतिदिन की दर से आय हो रही होना स्वीकारा गया व प्रतिदिन एक से दो घण्टे कार्य किया जाना व्यक्त किया।

3.58 पेयजल व्यवस्था :

3.58.1 सर्वेक्षण में चयनित ग्रामों में सृजित पेयजल सुविधा में हैण्ड पम्प, बोरवेल का निर्माण किया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–53
पेयजल व्यवस्था का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	जिला	ग्राम	पेयजल सुविधा					
			तलाई निर्माण	हैण्ड पम्प	पेयजल टंकी	नलकूप	योग	ग्राम जनसंख्या
1.	चित्तौडगढ़	विजयपुरा	–	–	1	1	2	769
		अम्बारेटी	–	1	–	–	1	40
2.	दौसा	गरोली	2	2	–	–	4	1808
	योग		**2**	**3**	**1**	**1**	**7**	**2617**
	प्रतिशत		**28.57**	**50.00**	**16.67**	**16.67**		

3.58.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित ग्रामों में कुल 7 सुविधा का सृजन किया गया जिसमें से 2(28.57प्रतिशत) तलाई निर्माण, 3(50.00प्रतिशत)हैण्ड पम्प, प्रत्येक 1(16.67प्रतिशत) क्रमशः पेयजल टंकी, नलकूप का निर्माण किया गया/निर्मित किये गये। तलाई निर्माण मवेशियों के पानी पीने का काम, हैण्ड पम्प, पीने के काम एवं पेयजल टंकी शमशानघाट पर आने वालों के काम आ रही थी। नलकूप का सिचाई के काम में उपयोग में लिया जा रहा था। सृजित की गई सुविधाओं हेतु आवंटित राशि व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

तालिका संख्या–54
सृजित की गई सुविधाओं हेतु आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला	ग्राम का नाम	तलाई निर्माण		हैण्ड पम्प		पेयजल टंकी		नलकूप		योग	
			आवंटन	व्यय	आव.	व्यय	आव.	व्यय	आव.	व्यय	आव.	व्यय
1.	चित्तौडगढ	विजयपुरा	–	–	–	–	0.60	0.60	0.40	0.40	1.00	1.00
		अम्बारेटी	–	–	0.35	0.35	–	–	–	–	0.35	0.35
2.	दौसा	रारोली	2.12	2.12	1.07	1.07	–	–	–	–	3.19	3.19
	योग		**2.12**	**2.12**	**1.42**	**1.42**	**0.60**	**0.60**	**0.40**	**0.40**	**4.54**	**4.54**
	प्रतिशत											**100**

3.58.3 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों के चयनित ग्रामों में सृजित की गयी पेयजल सुविधा हेतु कुल 4.54लाख की राशि आवंटित की गयी जिसका शत प्रतिशत उपयोग किया गया। व्यय कि राशि में ग्रामवासियों द्वारा किया गया जनसहयोग भी सम्मलित है।

3.59 उपयोगिता :

3.59.1 सर्वेक्षण में सृजित की गयी सुविधाओं से मवेशियों को पीने का पानी प्राप्त हो रहा है। निर्माण की गयी पेयजल सुविधा की गुणवत्ता ठीक है व मीठा जल प्राप्त हो रहा है एवं शुद्ध है।

3.60 चयनित जिलों में किये गये जैव विविधता संरक्षण कार्यो का विवरण :

3.60.1 जैव विविधता अन्तर्गत सृजित की गयी सम्पत्ति में चयनित जिला उदयपुर में बायोलोजिकल पार्क, सज्जनगढ में विकसित किया गया एवं चयनित जिला चित्तौडगढ़ में संरक्षित क्षेत्र का सुधार (जल संरक्षण उपाय) सीतामाता अभ्यारण में किया गया। उपरोक्त सृजित कार्यो का विवरण निम्न मदों में दर्शाया जा रहा है।

1 बायोलोजिकल पार्क, सज्जनगढ :

बायोलोजिकल पार्क में निम्न कार्य कराये गये :–

(i) यथा स्थान संरक्षण :

इस मद में जल संरक्षण उपाय कार्य कराये गये। जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में लूज स्टोन चैक डैम, गरेवियन निर्माण कार्य नाली में कराया गया। जिससे मृदा के कटाव में कमी आई एवं पानी सुविधा में आशातीत सुधार हुआ सधन वनस्पति का विकास हुआ ।

(ii) परिभ्रांषित आवास स्थल व इको रेस्टोरेशन :

बायोलोजिकल पार्क में यह कार्य कराया गया है। बाधदडा नेचर फार्म में 50 हैक्टर में आर.डी. एफ. I, आर.डी एफ II , सज्जनगढ में आर डी एफ 50 हैक्टर, गोरेला आर डी एफ 50 हैक्टर में वृक्षारोपण कराया जा कर आवास सुविधा कार्य किये गये। बीज बुवाई कार्य किये गये। इन समस्त वृक्षारोपण में 4000 पौधे लगाये गये जिसने वन्य प्राणियों को भोजन आपूर्ति बढाने में मदद मिली है, आवास में सूक्ष्म आवास विकसित हुए है। अवांच्छित पौध का उन्मूलन कार्य से भी आवास में सुधार हुआ। जल एवं मृदा संरक्षण कार्यो से जल स्तर में सुधार व भूमिगत जल धारा में बढोतरी हुई।

(iii) बाह्य स्थान संरक्षण :

इस मद में उदयपुर में सज्जनगढ़ में बायोलोजिकल पार्क का विकास किया जा रहा है एवं पार्क का सी.जेड.ए. से प्लान स्वीकृत हो चुका है। पार्क की नई दीवार का कार्य पूर्ण हो गया है। सर्विस रोड़ का निर्माण चल रहा है। एनवलोजर्स की निशान देही का कार्य किया जा रहा है। जल आपूर्ति हेतु पाईप लाइन का कार्य प्रगति पर है।

(iv) **जैविक उद्यान :**

चयनित क्षेत्र में जैविक उद्यान के कार्य कराये गये । जिसमें सर्वे, नई दीवार निर्माण कार्य, पुरानी दीवार की ऊँचाई बढाना, सर्विस रोड निर्माण, जल स्त्रोत विकास एनक्लोज मार्किग देही,जूलीफ्लोरा उन्मूलन आदि कार्य प्रगति पर थे।

3.61 पारिस्थितिकी की पर्यटन :

3.61.1 क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्र विकसित किये गये। विकसित किये गये बाधदडा नेचर पार्क में कैपिग साईट का विकास किया गया। चार टैन्ट हेतु चबूतरे बनाये गये। कैम्पिग साइट की सुरक्षा हेतु चैक लिंक फैन्सिंग लगवाई गयी। सुविधा सृजित की गयी। ट्रैक विकास किया गया। न्यू पाईन्ट विकास किया गया। पर्यटनों के ठहरने की आधारभूत सुविधाऐं विकसित कर इको विकास समिति के माध्यम से इको पर्यटन केम्पिंग साईट का संचालन किया गया। पारिस्थितिकी पर्यटन रणनीति में माइक्रोप्लान बना कर स्वयं सहायता समूह बना कर आय सृजन गतिविधियों में इकोटयूरिजम कार्य को जोड़ा गया। समिति को क्रियाशील बनाया गया। ईडी सी व एसएचजी के बैंको में खाते खोले गये ताकि जो आय सृजित हो उसको उनके खाते में जमा किया जा सके ब्रोशर का विकास किया गया जिससे प्रचार प्रसार किया जा सके।

3.61.2 स्वयं सहायता समूह व इको विकास समिति के बैक में खाते खुलवाये गये। इको कैम्पिंग साईट से जो आय सृजित होती है खाते में जमा करायी जाती है।

3.61.3 कराये गये कार्यों से जंगली जानवरों को व पशुओं को संरक्षण मिला व क्षेत्र में कराये गये जल–संरक्षण कार्यों से पीने का पानी प्राप्त हुआ। जंगली जानवरों को संरक्षित क्षेत्र होने से उनकी संख्या में वृद्धि हुई, जैव विविधता के कार्यों से आय प्राप्त हुई। वन्य जीवों जैसे– पैंथर, नीलगाय, पानी के किनारे मगरमच्छ, अजगर, जलपक्षी आदि जातियों के सभी वन्य जीवों का आना बढ़ा जिससे पर्यटकों की आवक बढ़ी एवं आय में वृद्धि हुई है।

3.62 चयनित जिला चित्तौडगढ :

3.62.1 अध्ययन हेतु चयनित जिले चित्तौडगढ़ में संरक्षित सीतामाता क्षेत्र का सुधार में यथा स्थान संरक्षण में चैकडेम,एनीकट, क्षेत्र की बाढ बन्दी, लोहे का गेट,वाटर पाईन्ट, निरीक्षण पथ/कच्ची सड़क का निर्माण किया गया।

3.62.2 परिभ्रांषित आवास स्थल व इको रेस्टोरेशन में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया जिसमें क्षेत्र को बाढ बन्दी कर क्षेत्र को बन्द किया गया, अवांछित वनस्पति को नष्ट करना, सड़क/निरीक्षण पथ व पैदल जाने वाले रास्तो का निर्माण,लाग हट एवं वाच टावर का निर्माण, वाटर पाईन्ट बनाया, आगुन्तुकोकी सुविधाओं के लिए पक्का चबूतरा का निर्माण बाह्य स्थान संरक्षण में जैविक उधानों का विकास किया गया।

3.62.3 जैविक उधान में उडन गिलहरी की सुविधा हेतु विकसित किया गया व इको टयूरिज्म की जानकारी हेतु फोल्डर छपवाये गये। पक्का प्लेटफार्म निर्माण किया गया । कैम्पिग स्थलों एवं ट्रेकिग मार्गो को चिन्हित किया गया, साईन बोर्ड बनवाये गये। परिस्थिति की पर्यटन स्थलों के विकास हेतु स्वपोषित संधारण हेतु पर्यटको से शुल्क लेकर किया जाता है।

3.62.4 सीतामाता क्षेत्र में कराये गये कार्य से पानी उपलब्ध होने से जंगली जानवरों की उपलब्धता बढ़ी, क्षेत्र संरक्षित हुआ, वाच टॉवर से क्षेत्र की देखरेख अच्छी हुई, आगन्तुकों को सुविधा होने से पर्यटकों की आवक बढ़ी, उनके बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ, हरियाली बढ़ी, बाड़बन्दी से क्षेत्र को सुरक्षा प्राप्त हुई एवं हरियाली से पर्यावरण में सुधार हुआ।

————

अध्याय चतुर्थ

कठिनाईयाँ एवं सुझाव

4.0.1 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष, कठिनाइयाँ एवं सुझावों का विवरण इस अध्याय में निम्न मदों में दिया जा रहा है :–

4.1.0 अध्ययन हेतु चयनित न्यादर्श :

4.1.1 परियोजना के अध्ययन हेतु चयनित 4 जिलों के 8 वन मण्ड़लों के 6 मण्ड़लों का अध्ययन हेतु चयन किया गया। चयनित 6 मण्ड़लों के 19 ग्रामों का चयन कर क्षेत्रीय कार्य किया गया। चयनित 19 ग्रामों से 110 लाभप्राप्तकर्ताओं से साक्षात्कार कर अनुसूची भरी गयी।

4.2.0 राज्य स्तरीय निष्कर्ष :

4.2.1 योजना के क्रियान्वयन के प्रारम्भ से वर्ष 2006–07 तक निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि ठीक रही। योजना हेतु प्रारम्भ से वर्ष 2006–07 तक आवंटित राशि 28775.00 लाख के विरूद्ध व्यय 27483.54 लाख व्यय किया गया अर्थात् राशि का 95.51 प्रतिशत उपयोग किया गया। परियोजना हेतु निर्धारित राशि के विरूद्ध की गयी व्यय राशि की कार्यवार तुलना करने से स्पष्ट हुआ है कि कार्यो पर किये गये व्यय में से वानिकी कार्य व जैव विविधता पर 80.92 प्रतिशत व्यय किया गया जबकि अन्य कार्यो पर 14.59 प्रतिशत ही व्यय किया गया।

4.2.2 योजना क्रियान्वयन में नियोजित किये गये श्रमिकों में से पुरूषों द्वारा अधिक कार्य दिवस सृजित किये गये। नियोजित किये गये श्रमिकों को वर्ष 2005–06 में 73/– रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया, जबकि वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2006–07 में 1/– रुपये से 5/– रुपये कम की रेन्ज में भुगतान किया गया।

4.2.3 परियोजनान्तर्गत व्यय की गयी राशि 27483.54 के विरूद्ध भारत सरकार के पुनर्भरण हेतु राशि 27180.59 (98.90प्रतिशत) के क्लेम भेजे गये जिसके विरूद्ध राशि 27097.35 लाख पुनर्भरण के रूप में प्राप्त हुई अर्थात् 99.69 प्रतिशत पुनर्भरण प्राप्त हुआ। प्रतिवर्ष क्रमशः 100, 97.87, 99.70 एवं 99.36 प्रतिशत राशि प्राप्त होती रही।

4.2.4 योजनान्तर्गत वृक्षारोपण से पूर्व भू–संरक्षण कार्यों के 1814 लक्ष्यों के विरूद्ध शत प्रतिशत उपलब्धि सृजित की गयी। भू–संरक्षण कार्यो में मुख्य रूप से गेबियन स्ट्रेक्चर, परकोलेशन टैक सिम्पल, पी.टी.विथ पिचिंग आन अम्बेकमेन्ट, ड्राप स्पील वे सिल्ट डिटेन्शन स्ट्रेक्चर, एनिकट अर्थन ई.एम.बी. इत्यादि के कार्य कराये गये। योजना में सम्मिलित जिलों में से जयपुर व उदयपुर में सर्वाधिक नमी संरक्षण के कार्य करवाये गये । मृदा एवं नमी के कार्यो हेतु आवंटित राशि 1171.940 लाख के विरूद्ध राशि 1151.289 लाख व्यय की गई जो 98.24 प्रतिशत है।

4.3.0 **चयनित जिला स्तरीय निष्कर्ष :**

4.3.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यो के लक्ष्यों के विरूद्ध शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गयी जो परिणात्मक दृष्टि से विभाग की उपलब्धि है। अध्ययन हेतु चयनित जिलों में विभिन्न कार्यो जैसे– वानिकी कार्य, भू–संरक्षण कार्य पर लगाये गये श्रमिकों में से पुरूषों द्वारा अधिक मानव दिवस सृजित किये गये अर्थात् पुरूषों को अधिक रोजगार प्राप्त हुआ।

4.3.2 चयनित जिलों में वृक्षारोपण से पूर्व भू–संरक्षण कार्यो में से चैक डैम, कन्टूर ट्रैन्च, गेबियन स्ट्रेक्चर, परकोलेशन टैक, परकोलेशन टैक विथ एम्बोंकमेन्ट, ड्राप स्पील वे, सिल्ट डिटेक्शन स्ट्रेक्चर के कार्य करवाये गये।

4.3.3 योजनान्तर्गत क्रियान्वयन वर्ष से 2006–07 तक आवंटित राशि 7436.245 लाख के विरूद्ध राशि 7306.536 लाख व्यय किया गया जो 98.26 प्रतिशत है अर्थात् सभी जिलों में आवंटित राशि का अधिकतम स्तर तक व्यय किया गया।

4.3.4 अध्ययन हेतु चयनित जिलों में योजनान्तर्गत कराये गये विभिन्न कार्यो पर महिलाओं की तुलना में पुरूषों को अधिक रोजगार प्राप्त हुआ एवं राशि 72/– रूपये प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया जो निर्धारित दर 73/– रूपये प्रतिदिन से कम है। वन विकास कार्य जल ग्रहण कलस्टर के आधार पर किये गये।

4.4.0 **प्रबन्धकीय निष्कर्ष :**

4.4.1 परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित मानदण्डानुसार वन विकास हेतु समिति गठित कर किया गया। योजना में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाया गया। सूक्ष्म योजना ग्रामीण सहभागिता आकंलन तकनीकी के आधार पर तैयार की गयी। चयनित जिलों में ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति, महिला उप समिति गठित की गयी ।विभागीय कार्य ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति के द्वारा सम्पादित किये गये। वृक्षारोपण में प्रजाति चयन, सुरक्षा तथा ग्राम विकास में सहभागिता एवं जैव विविधता संरक्षण में सामुदायिक कार्य, जल मृदा के कार्य कराये गये।

4.4.2 क्षेत्र में योजना क्रियान्वयन से पूर्व वन विभाग व ग्राम वन सुरक्षा प्रबन्धन समिति के मध्य सहमति पत्र (MOU) तैयार किया । योजना संबंधित उपवन संरक्षक/मण्ड़ल वन अधिकारी द्वारा सूक्ष्म योजना अनुमोदित करायी जाती है। योजनान्तर्गत ग्राम का माइक्रोप्लान बनाया गया। जिसमें महिलाओं के विचारों व सुझावों का समावेश किया गया। गैर सरकारी संगठनों को भी योजना के क्रियान्वयन में भागीदार बनाया गया व समूह गठन में सहयोग प्राप्त किया गया।

4.5.0 **चयनित ग्राम स्तर निष्कर्ष :**

4.5.1 अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य हेतु चयनित ग्रामों में कुल 11 कार्यों के 88 कार्य आर.बी.एच. कराये गये जिसकी शत–प्रतिशत उपलब्धि रही जिसमें आर.डी.एफ I II, आर.बी.एच., पी.ई.ओ, वृक्षारोपण, भू–संरक्षण, जैव विविधता इत्यादि के कार्य कराये गये। चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो हेतु आवंटित राशि 325.30 लाख के विरूद्ध राशि 323.30 लाख अर्थात् 99.39 प्रतिशत व्यय की गयी व 4.573 लाख मानव दिवस सृजित किये गये व 71/– रूपये प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया जो निर्धारित दर 73/– प्रतिदिन से कम है।

4.5.2 चयनित ग्रामों में सृजित कार्यो के स्थान का चयन सूक्ष्म योजना के आधार पर किया गया एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं ग्राम वन सुरक्षा समिति के सदस्यों व ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर किया गया। ग्राम में कराये गये कार्य उपयोगी एवं उपयुक्त है। चयनित ग्रामों में कराये कार्य अच्छी गुणवत्ता वाले थे। कार्यो से जंगल विकास, भू–संरक्षण, रोजगार, जल संरक्षण, पर्यावरण, आर्थिक सुधार, पीने का पानी, इत्यादि पर प्रभाव पड़ना ग्रामवासियों ने स्वीकारा।

4.5.3 चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो से ग्रामवासियों पर आर्थिक, सामाजिक, रहन सहन, रोजगार के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, सस्ती धामण घास उपलब्ध हुई, सामाजिक क्षेत्र में समूह में कार्य करने को बढ़ावा मिला, समीपस्था बढ़ी। रहन सहन में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ। चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो से रोजगार उपलब्धता से स्थानीय श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ एवं आय में वृद्धि हुई।

4.5.4 चयनित क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण कार्यो से मरू प्रसार एवं रेत उडने में रोक लगी। जैव विविधता से प्राकृतिक पौधों की वृद्धि हुई जिससे जंगली जानवरों को आश्रय स्थल प्राप्त हुआ। क्षेत्र के लोगों को घास, लकड़ी, ईधन, लघु वन उपज प्राप्त होने की सम्भावना बढ़ी।

4.5.5 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना के तहत चयनित ग्रामों में आर.डी. एफ प्रथम द्वितीय, आर.बी.एच., पी.ई.ओ, पंचायत भूमि वृक्षारोपण किया गया। सर्वेक्षण में परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना,प्रथम में मानदण्डानुसार 400 पौधे प्रति हैक्टर के अनुसार 3.12 लाख पौधे से 2.25 प्रतिशत पौधे कम लगाये गये। लगाये पौधों की सर्वेक्षण के दौरान जीवित दर 73.26 प्रतिशत पायी गयी।

4.5.6 परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना,द्वितीय मानदण्डानुसार पौधे लगाये गये। इस मद में सर्वेक्षण के दौरान पौधों की जीवित दर 94.71 प्रतिशत पायी गयी।

4.5.7 वृक्ष विहिन पहाडियों पर वृक्षारोपण में मानदण्डानुसार 100 हैक्टर में 60 हजार पौधों 600 प्रति हैक्टर के आधार पर लगाये गये। जिसका सर्वेक्षण के समय जीवितता दर 60.50 प्रतिशत थी।

4.5.8 प्राकृतिक वनों, वृक्षारोपण एवं संवर्धन कार्य में मानदण्डानुसार 0.05 बीड अधिक लगाई गयी जो 16.67 प्रतिशत है। इसकी सर्वेक्षण के दौरान शत प्रतिशत जीवितता दर थी।

4.5.9 पंचायत (सामुदायिक) भूमि पर किये गये वृक्षारोपण में चयनित 29हैक्टर में 24 हजार पौधे लगाये गये जो मानदण्डानुसार 23200 से 800 अधिक (3.45 प्रतिशत) है। सर्वेक्षण में इस मद के वृक्षारोपण की दर 84.70 प्रतिशत थी।

4.5.10 योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित वृक्षारोपण में से सबसे अधिक वृक्षारोपण वर्ष 2006–07 के थे। इसके बाद वर्ष 2005–06 के थे अर्थात् योजनान्तर्गत सबसे अधिक वृक्षारोपण वर्ष 2005–06 व 2006–07 में किये गये।

4.5.11 योजनान्तर्गत आर.डी.एफ प्रथम, द्वितीय व पी.ई.ओ. , वृक्ष विहिन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण, पंचायत (सामुदायिक) लैण्ड में चुरैल, आंवला, बैर, बांस, खैर, सीताफल,लसोडा,बबूल, बांस के कल्पस, खेजडी, इजरायली बबूल की किस्म लगायी गयी।

4.5.12 चयनित कार्य स्थलों हेतु आंवटित राशि 292.842 लाख के विपरीत राशि 281. 974 का व्यय किया गया अर्थात् प्रति पौधे 55.07 लाख आयी। जीवित पौधों की प्रति पौध लागत 70.67/–रूपये थी।

4.5.13 चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यो में से आर.डी.एफ. प्रथम में 73/–रूपये प्रतिदिन की दर से कम 67/– रूपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया। शेष कार्यो में 73/– रूपये प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया।

4.5.14 चयनित 31 वृक्षारोपण स्थलों में से 26 (83.87 प्रतिशत) की सिंचाई प्राकृतिक एवं 41.94 प्रतिशत की टैंकर से हो रही थी।

4.5.15 चयनित 31 कार्य स्थलों में से 29(93.55प्रतिशत) में समितियों द्वारा कारपस फण्ड स्थापित किया गया। वृक्षारोपण से पशुओं के लिए घास, जलाने के लिए ईधन, पर्यावरण, जल एवं भू–संरक्षण में सुधार हुआ। कार्यों से पलायन रूका, वन्य जीवों की सुरक्षा हुई। शत–प्रतिशत कार्य स्थलों पर बाड़बन्दी थी। बीजारोपण से अंकुरित पौधों की ग्रोथ अच्छी हुई। चयनित स्थलों पर खुर्रा निर्माण से गन्दी कम हुई, श्मशान पर टीनशैड से छाया उपलब्ध हुई, राहगीरों व चरवाहों को जल प्राप्त हुआ एवं आय हुई। ग्राम में गठित समितियों द्वारा सहयोग कर कार्य पूर्ण कराया गया। वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति द्वारा वर्ष में तीन बार बैठकें व वर्ष में दो बार ग्राम सभाऐं आयोजित की जाती है। स्थल का चयन मानदण्ड़ानुसार व समिति की राय से हुआ। कार्य स्थलों पर वृक्षारोपण को मवेशियों से बचाने के लिए चौकीदार की नियुक्ति हो रखी है।

4.6.0 लाभप्राप्तकर्ता स्तर निष्कर्ष :

4.6.1 वृक्षारोपण से पूर्व पानी रोकने हेतु चैक, डैम, वी डिच, ट्रैन्च बनवाने से मिट्टी का कटाव रूका, पानी भराव हुआ। वृक्षारोपण से पर्यावरण में सुधार हरियाली बढ़ने से हुआ, वर्षा होने की सम्भावना बढ़ी। ईधन, लकड़ी, चारा, लघुवन, उपज उपलब्ध हुआ क्षेत्र में 25 से 75 प्रतिशत तक रोजगार प्राप्त हुआ, वन विभाग, परिस्थितिकीय व विकास समिति द्वारा कार्य कराये गये, कराये गये कार्यो से जल का समुचित मात्रा में वृद्धि हुई। कार्य से पूर्व सर्वे कराया गया, ग्राम वन सुरक्षा प्रबन्धन समिति का गठन किया गया, भू–संरक्षण कार्य, वृक्षारोपण पश्चात् समय–समय पर निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण पश्चात वन विभाग द्वारा देखभाल से अवैध लकडियों के कटने पर रोक लगी। वृक्षारोपण की बाढ़ बन्दी की हुई है। कराये गये कार्यो से कटाव रूका, पर्यावरण में सुधार हुआ ईधन भविष्य में मिलने में वृद्धि हुई, रोजगार प्राप्त हुआ, आय बढी, समन्वय बढ़ा, बंजर भूमि उपजाऊ बनी, छाया प्राप्त हुई, जीवों में वृद्धि हुई, पलायन रूका, चारा प्राप्त हुआ आदि सामुदायिक कार्यों से लाभ हुआ।

4.7.0 अधिकारी/गैर अधिकारी स्तर निष्कर्ष :

4.7.1 योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मानदण्डानुसार जन सहभागिता के आधार पर निर्धारित मानदण्ड़ानुसार किया गया। ग्राम का माईक्रो प्लान तैयार किया गया सामुदायिक भवन/वन भूमि का चयन निर्धारित मानदण्डानुसार किया गया है। योजना के अन्तर्गत वानिकी विकास, भू–संरक्षण, जल संरक्षण के कार्य कराये गये। पौध रोपण से पूर्व नर्सरी तैयार की गई है। पौधों का निरीक्षण कर उसमें सुधार किया गया। राशि वन मण्ड़लों के माध्यम से कार्यकारी एजेन्सी को निर्धारित प्रक्रियानुसार उपलब्ध करायी जाती है।

4.7.2 पानी की पिलाई प्राकृतिक जल से हैण्ड पम्प, टैकर, कुओं से हो रही है। पौधों का विकास अच्छा/बहुत अच्छा है।

4.7.3 वृक्षारोपण से क्रमशः हरियाली विकास, रोजगार, लघु वन उपज, भू–संरक्षण, जन सहभागिता, ग्रामवासियों पर प्रभाव, कृषि क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में, जैव विविधता, धास प्राप्ति में प्रभाव पड़ा है। योजना से महिलाओं को रोजगार 51 से 75 प्रतिशत तक प्राप्त हुआ। योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार हुआ है।

4.7.4 साझा प्रबन्धन को सुदृढ करने वाली गतिविधियों के अन्तर्गत चयनित क्षेत्र में समूह गठित किये गये प्रशिक्षण दिया गया। कटिंग, सिलाई करना सिखाया गया। पेयजल व्यवस्था सृजित की गयी। पानी की सुविधा सृजित होने से चयनित ग्रामों में शुद्ध पीने का पानी प्राप्त हुआ।

4.8.0 **जैव विविधता निष्कर्ष :**

4.8.1 जैव विविधता के अन्तर्गत बायोलोजिकल पार्क का चयनित जिला उदयपुर में विकास किया गया जिसमें क्रमशः यथा स्थान संरक्षण, परिभ्रांषित आवास स्थल व इको रेस्टोरेशन, बाह्य स्थान संरक्षण, जैविक उद्यान के कार्य कराये गये।

4.8.2 पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्र विकसित किये गये, कैम्पिंग साईट की सुरक्षा हेतु चेन लिंक फैन्सिंग लगवाई गयी, टैक विकास, न्यू पाईन्ट विकास के कार्य हुए। पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधा विकसित कर इको विकास समिति के माध्यम से इको पर्यटन कैम्पिंग साईट का संचालन किया गया, स्वंय सहायता समूह बना कर आय सृजन गतिविधियों को इको टयूरिज्म कार्य से जोड़ा गया। ई.डी.सी. व एस.एच. जी.के खाते खोले गये। इको कैम्पिंग से हो रही आय को खाते में जमा करायी जा रही है। कराये गये जैव विविधता के कार्यों से जंगली जानवरों को संरक्षण मिला, पीने का पानी प्राप्त हुआ, वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई, पर्यटकों की आवक बढ़ी एवं आय में वृद्धि हुई।

4.8.3 चयनित जिला चित्तौडगढ़ में सीता माता क्षेत्र में सुधार यथा स्थान संरक्षण में चैक डैम,एनीकट, बाढ बन्दी, लोहे का गेट, वाटर पाईन्ट, निरीक्षण पथ/कच्ची सड़क का निर्माण हुआ है। परिभ्रांषित आवास स्थल व इको रेस्टोरेशन में आवश्यक आधार भूत सुविधाओं का विकास हुआ, जैविक उद्यानों का विकास, वाच टॉवर का निर्माण, आगन्तुकों की सुविधा हेतु पक्के चबूतरे का निर्माण सीतामाता क्षेत्र में कराये गये कार्यों से पानी उपलब्ध हुआ, जंगली जानवरों की उपलब्धता बढ़ी व उड़न गिलहरी की सुविधा विकसित हुई है।

4.9.0 **कठिनाइयाँ :**

1. वृक्षों को पानी पिलाई की सुविधा का अभाव।
2. दीमक का प्रकोप होने से वृक्षों को नुकसान।
3. वन कर्मियों की कमी एवं यातायात, संचार साधन की कठिनाई, जिसे कार्यो में गति की कमी।
4. परियोजना अन्तर्गत कार्यालय व्यय हेतु कम प्रावधान।

4.10.0 **सुझाव :**

4.10.1 योजना को ओर कारगर व सफल बनाने हेतु सुझाव दिये गये है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

1. वृक्षारोपण पश्चात् समय पर पानी पिलाई व खाद की व्यवस्था होनी चाहिए।
2. दीमक से बचाव हेतु उपाय किया जाना चाहिए।
3. वृक्षारोपण स्थल पर पशुओं की चराई की रोक हेतु स्थानीय ग्रामवासियों का सहयोग लिया जाना चाहिए।
4. वृक्षारोपण के बारे में जन चेतना जागृत की जानी चाहिए।
5. संघन बाढ बन्दी की जानी चाहिए।
6. वृक्षों की कटाई पर रोक लगायी जानी चाहिए।
7. योजना हेतु अधिक बजट आंवटित होना चाहिए।
8. क्षेत्रवार सुरक्षा कर्मी नियुक्त होने चाहिए।
9. स्थायी सुरक्षा हेतु पक्की दीवार होनी चाहिए।
10. वृक्षारोपण को नियमित योजना से जोडा जाना चाहिए।
11. योजना की समयावधि को आगे बढाया जाना चाहिए जिससे वृक्षारोपण से वंचित भूमि पर वृक्षारोपण हो सके। चारागाह भूमि पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।
12. रेन्ज स्तर पर पर्याप्त स्टाफ एवं टेलीफोन व वाहन प्रदान किये जाने चाहिए।
13. वन क्षेत्रों की तरह पंचायत क्षेत्रों में करवाये जाने वाले कार्यो हेतु संबंधित पंचायतों को आधारभूत ढांचा व आय सृजन कार्य व कारपस कोष उपलब्ध करवाये जाने चाहिए।

———————

परियोजना में सम्मिलित मण्डल एवं सूक्ष्म ग्रामों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	मण्डल की संख्या	ग्रामों की संख्या का वर्षवार (2003–04 से 2006–07 तक)
1.	अजमेर	1	63
2.	अलवर	2	58
3.	भीलवाड़ा	1	100
4.	बूंदी	1	41
5.	बांसवाड़ा	1	125
6.	चित्तौडगढ़	2	83
7.	दौसा	1	67
8.	जयपुर	4	161
9.	पाली	1	55
10.	राजसमन्द	1	59
11.	सवाई माधोपुर	2	73
12.	सीकर	1	46
13.	सिरोही	2	111
14.	टौंक	1	34
15.	उदयपुर	5	202
16.	प्रतापगढ़	1	71
17.	डूंगरपुर	1	65
18.	बीकानेर	2	61
19.	जैसलमेर	2	57
	योग	**32**	**1532**

स्त्रोत– वन विभाग

परिशिष्ट– II

परियोजना में सम्मिलित वन मण्डल में ग्रामों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	वन मंडल की संख्या	ग्रामों की संख्या	वि.वि.
1.	अजमेर	1	63	
2.	अलवर	2	58	
3.	भीलवाड़ा	1	100	
4.	बूंदी	1	41	
5.	बांसवाड़ा	1	125	
6.	चित्तौडगढ़	3	164	
7.	दौसा	1	67	
8.	जयपुर	4	164	
9.	पाली	1	55	
10.	राजसमन्द	1	59	
11.	सवाई माधोपुर	2	73	
12.	सीकर	1	46	
13.	सिरोही	2	111	
14.	टौंक	1	34	
15.	उदयपुर	5	223	
16.	डूंगरपुर	1	65	
17.	बीकानेर	2	63	
18.	जैसलमेर	2	57	
	योग	**32**	**1568**	

स्त्रोत–वन विभाग

<u>परिशिष्ट– **III**</u>

योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक सृजित मानव दिवसों का विवरण

(मानव दिवस– दिनों में)

क्र. सं.	जिला	वर्ष									
		2003–04		2004–05		2005–06		2006–07		योग	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	जयपुर	247935	297973	365812	519562	412722	586327	314151	389710	1340620	1793572
2	दौसा	16012	64006	68448	273785	69889	279551	49698	198793	204047	816135
3	अजमेर	69326	103983	93528	243229	192884	289321	98502	213061	454240	84954
4	टौंक	26783	57876	63895	119968	96688	178198	67569	114246	254935	470288
5	अलवर	142889	80061	160003	85456	143006	61761	92854	74384	538752	301662
6	भीलवाड़ा	71400	47600	191770	124015	264267	176196	196008	130770	723445	478581
7	बूंदी	67885	29045	166259	94873	190520	77480	90168	38642	514832	240040
8	उदयपुर	525101	273588	787426	443060	1032582	478473	867956	388909	3213065	1584030
9	चित्तौडगढ	329029	197296	399940	396702	421883	455241	375604	345686	1526456	1394925
10	डूंगरपुर	87610	107643	130581	151364	148675	176723	113057	134984	479923	570714
11	बांसवाड़ा	12947	8632	443813	110955	308485	205657	350734	233822	1115979	559066
12	सिरोही	82339	100731	356313	240627	192061	214552	141110	201715	771823	757652
13	राजसमन्द	101660	82490	163522	162955	167878	171712	195515	119418	628575	536575
14	सवाई माधोपुर	108843	163121	223079	288708	257735	304977	119223	257287	708880	1014093
15	पाली	66580	98361	149562	207940	150294	307142	104219	176164	470655	789607
16	सीकर	100117	51479	225690	111966	224523	110537	159113	80950	709443	354932
17	बीकानेर	12285	5087	62103	30347	93154	47222	108970	50581	276512	133237
18	जैसलमेर	22134	21180	112624	99106	139595	101201	178902	100629	453255	322116
	योग	**2090875**	**1790152**	**4164368**	**3704618**	**4506841**	**4222271**	**3623353**	**3249751**	**14385437**	**12966792**

स्त्रोत–वन विभाग

परिशिष्ट– **IV**

योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक सृजित मानव दिवसों पर दी गयी मजदूरी का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला	मण्डल मजदूरी	कार्यों की संख्या	वर्ष									
				2003–04		2004–05		2005–06		2006–07		योग	
				पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	अजमेर	मण्डल वन अधिकारी	4	21.72	74.56	46.49	176.94	69.96	258.85	52.39	167.56	190.56	677.91
2	अलवर	उवस टी पी	2	85.73	48.03	90.73	48.16	144.95	76.35	76.84	63.53	398.25	236.07
3	भीलवाड़ा	उप वन संरक्षक	1	52.12	34.74	139.99	90.53	192.91	128.62	143.08	95.46	528.10	349.35
4	बूंदी	मण्डल वन अधिकारी	1	60.30	32.59	99.75	56.92	139.08	56.56	65.82	28.21	364.95	174.28
5	बांसवाड़ा	मण्डल वन अधिकारी	8	116.69	77.77	239.80	159.86	245.54	163.68	185.01	123.34	787.04	524.65
6	चित्तौडग ढ़	मण्डल वन अधिकारी	10	196.22	120.50	291.45	286.39	307.28	348.55	259.30	266.49	1054.25	1021.93
7	दौसा	उप वन संरक्षक	1	11.69	46.72	49.97	199.86	51.02	204.07	36.28	145.12	148.96	595.77
8	जयपुर	उमुवजीप्र	13	149.38	182.14	251.30	355.74	300.01	414.91	226.22	312.92	926.91	1265.71
9	पाली	उप वन संरक्षक	4	43.46	81.33	93.00	162.25	125.94	188.42	79.93	125.33	342.33	557.33
10	राजसमन्द	उप वन संरक्षक	5	39.79	63.47	85.41	117.75	103.2	140.68	71.83	98.14	300.23	420.04
11	सवाई– माधोपुर	उप वन संरक्षक	7	59.91	105.96	133.27	227.52	176.29	214.44	126.54	202.57	496.01	715.49
12	सीकर	उप वन संरक्षक	1	73.07	37.60	164.76	81.76	163.89	80.67	116.14	59.13	517.86	259.15
13	सिरोही	मण्डल वन अधिकारी	12	60.14	73.51	180.28	125.99	140.3	155.62	103.00	147.25	483.72	502.36
14	टौंक	मण्डल वन अधिकारी	5	11.16	36.74	35.28	103.60	53.24	156.89	41.01	116.83	140.69	414.07
15	उदयपुर	उप वन संरक्षक	5	308.35	159.87	641.77	308.3	775.34	333.94	623.75	257.11	2349.23	1059.23
16	डूंगरपुर	उप वन संरक्षक	7	44.44	77.90	68.32	137.02	85.04	154.67	64.79	113.61	262.58	483.20
17	बीकानेर	उप वन संरक्षक	5	10.47	2.21	51.00	22.20	67.68	34.58	94.02	37.90	223.17	96.89
18	जैसलमेर	उप वन संरक्षक	2	17.31	15.98	88.82	74.96	105.13	75.96	151.58	75.60	362.83	242.50
	योग		**93**	**1361.95**	**1271.62**	**2751.39**	**2735.75**	**3246.80**	**3187.46**	**2517.53**	**2436.10**	**9877.67**	**9595.93**

स्त्रोत–वन विभाग

परिशिष्ट– V

वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कराये गये मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यो की प्रगति का विवरण

(कार्य–संख्या)

क्र. सं.	जिला	वन मण्डल	कार्यो की संख्या	लक्ष्य			उपलब्धि		
				मण्डल	आरएफ–बीपी	योग	मण्डल	आरएफ–बीपी	योग
1	अजमेर	वन मण्डल अधिकारी	11	67	14	81	67	14	81
2	अलवर	उप वन संरक्षक	22	95	0	95	95	0	95
3	भीलवाड़ा	मण्डल वन अधिकारी	11	64	13	77	64	13	77
4	बूंदी	मण्डल वन अधिकारी	11	51	6	57	48	6	54
5	बांसवाड़ा	मण्डल वन अधिकारी	11	76	7	83	76	7	83
6	चित्तौडगढ़	उप वन संरक्षक	33	201	35	236	203	35	238
7	दौसा	उप वन संरक्षक	11	49	6	55	49	6	55
8	जयपुर	उमुवजीप्र	44	205	24	229	205	24	229
9	पाली	उप वन संरक्षक	11	60	0	60	60	0	60
10.	उदयपुर	उप वन संरक्षक	44	261	49	310	261	49	310
11.	राजसमन्द	उप वन संरक्षक	11	67	25	92	67	25	92
12.	स.माधोपुर	उप वन संरक्षक	22	142	0	142	144	0	144
13.	सीकर	उप वन संरक्षक	11	51	0	51	51	0	51
14.	सिरोही	मण्डल वन अधिकारी	22	135	0	135	137	0	137
15.	टौंक	मण्डल वन अधिकारी	11	35	4	39	35	4	39
16.	डूंगरपुर	उप वन संरक्षक	11	67	5	72	67	5	72
	योग		**297**	**1626**	**188**	**1814**	**1629**	**188**	**1817**

स्त्रोत–वन विभाग

परिशिष्ट– **VI**

वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कराये गये मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यो पर किय गये व्यय का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिला	वन मण्डल	कार्यो की संख्या	आवंटन			व्यय		
				वन मण्डल	आरएफबीपी	योग	वन मण्डल	आरएफबीपी	योग
1	अजमेर	वन मण्डल अधिकारी	11	26.175	25.480	51.655	26.050	25.480	51.530
2	अलवर	उप वन संरक्षक	22	48.640	0.00	48.640	44.788	0.00	44.788
3	भीलवाड़ा	वन मण्डल अधिकारी	11	27.620	21.55	49.170	27.613	21.550	49.163
4	बूंदी	वन मण्डल अधिकारी	11	24.85	21.780	46.630	23.972	21.780	45.752
5	बांसवाड़ा	उप वन संरक्षक	11	45.180	11.720	56.900	44.475	11.720	56.195
6	चित्तौडगढ़	उप वन संरक्षक	33	87.605	63.81	151.415	86.960	63.810	150.77
7	दौसा	उप वन संरक्षक	11	27.980	11.690	39.670	27.819	11.690	39.509
8	जयपुर	उमुवजी	44	83.120	37.830	120.950	82.704	37.830	120.534
9	पाली	उप वन संरक्षक	11	45.400	0.00	45.400	45.320	0.00	45.320
10.	उदयपुर	उप वन संरक्षक	44	110.345	95.180	205.525	110.759	95.180	205.939
11.	राजसमन्द	उप वन संरक्षक	11	45.495	62.850	108.345	45.464	62.850	108.314
12.	स.माधोपुर	उप वन संरक्षक	22	95.085	0.00	95.085	93.509	0.00	93.509
13.	सीकर	उप वन संरक्षक	11	18.380	0.00	18.380	17.636	0.00	17.636
14.	सिरोही	वन मण्डल अधिकारी	22	70.005	0.00	70.005	58.383	0.00	58.383
15.	टौंक	वन मण्डल अधिकारी	11	9.31	10.900	20.21	9.097	10.900	19.997
16.	डूंगरपुर	उप वन संरक्षक	11	34.30	9.66	43.96	34.29	9.66	43.950
	योग		**297**	**799.490**	**372.450**	**1171.940**	**778.839**	**372.450**	**1151.289**

स्त्रोत–वन विभाग

परिशिष्ट– **VII**

चयनित जिलों में कराये गये भू–संरक्षण कार्यो पर व्यय की गयी राशि का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रारम्भ से वर्ष 2006–07 तक की प्रगति									
		उदयपुर		चित्तौडगढ		दौसा		सीकर		योग	
		आवंटन	व्यय	आ.	व्यय	आ.	व्यय	आ.	व्यय	आ.	व्यय
1.	चैक डैम, धन मीटर	52.028	52.028	–	–	151.67	151.67	–	–	203.698	203.698
2.	कन्ट्रर टैन्च रनिग मी ↕ लाख)	79.380	79.380	–	–	118.58	118.58	–	–	197.96	197.96
3.	गेवियन स्ट्रक्चर	14.042	14.034	4.42	4.42	–	–	–	–	18.462	18.454
4.	परकोलेशन टेक सिम्पल	4.66	4.657	2.82	2.82	–	–	–	–	7.48	7.477
5.	परकोलेशन टेक विथ आऊटलेट	8.358	8.279	2.76	2.76	–	–	–	–	11.118	11.039
7.	ड्राप स्पील वे	9.797	9.798	1.96	1.96	–	–	–	–	11.757	11.758
8.	सिल्ट डिटेक्शन स्ट्रक्चर	6.965	6.970	3.51	3.51	–	–	–	–	10.475	10.48
9.	आउट लेट स्ट्रक्चर	0.850	0.850	–	–	–	–	–	–	0.850	0.850
10.	एनिकट I	1.00	1.00	3.00	3.00	–	–	–	–	4.00	4.00
11.	एनिकट II	9.000	9.000	–	–	–	–	–	–	9.000	9.000
12.	एनिकट III	10.439	10.440	–	–	–	–	–	–	10.439	10.440
13.	अर्थन एम्बेक्मेन्ट विथ कोर एण्ड आऊट लेट	3.996	4.009	–	–	–	–	–	–	3.996	4.009
14.	परकोलेशन विथ पिचिंग एम्बोकमेन्ट	–	–	4.30	4.30	–	–	–	–	4.30	4.30
15.	जल संरक्षण ढाँचा अर्थन एम्बेकमेन्ट वीट स्पेल वे	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	अर्थन एम्बेकमेन्ट वीट आऊटलेट टाईप I एनिकट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	अर्थन एम्बेकमेन्ट वीदकोर एण्ड सुरबेल आऊटलेट टाईप I एनिकट	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	वाटर हारवेस्टिग निर्माण	41.43	41.43	–	–	–	–	–	–	41.43	41.43
19.	एम सी एम	–	–	30.48	28.57	–	–	18.38	17.741	48.86	46.311
20.	ई.ई.विथ कट स्लिप वे	–	–	0.86	0.86	–	–	–	–	0.86	0.86
	योग	**241.945**	**241.875**	**54.11**	**52.20**	**270.25**	**270.25**	**18.38**	**17.741**	**584.685**	**582.066**
	प्रतिशत										**99.55**